

- वर्ष 28 • अंक 1
- अक्टूबर-दिसंबर 2015



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

आधुनिक बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन

विशेषांक

सदस्य



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक-मंडल		1
● संपादकीय		2
● अनुचिंतन		4
● भाषण		
जोखिम का सामना - एक व्यावहारिक रास्ता	हारुन आर. खान	5
● परिचय		
आधुनिक बैंकिंग में प्रभावी जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता	सुबह सिंह यादव	11
वर्तमान बैंकिंग में जोखिम के स्वरूप एवं उनका निदान	विनय बंसल	23
जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक	डॉ. आशीष श्रीवास्तव	28
● वित्तीय जोखिम		
क - ऋण जोखिम		
ऋण जोखिम प्रबंधन	के.वी. लक्ष्मीदेवी	32
बढ़ता एनपीए - कारण एवं निवारण	ए.के. बंसल	36
एनपीए नियंत्रण - एक चुनौती	ध्रुव मुखर्जी	39
ख-बाजार जोखिम		
बाजार जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्व	अरविंद कुमार चतुर्वेदी	47
ग - अन्य वित्तीय जोखिम		
ब्याज दर जोखिम - विश्लेषणात्मक परिचय	डॉ. राम जस यादव	51
● गैर-वित्तीय जोखिम		
बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन जोखिम : परिणाम एवं समाधान	अभिनव श्रीवास्तव	54
परिचालन जोखिम की पहचान	वैभव सिंह/डॉ. लोकेन्द्र सिंह	58
प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्य एवं उनकी सीमाएं	डॉ. चेतना पाण्डेय	62
बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन	डॉ. रमाकांत शर्मा	67
सरफेसी अधिनियम, 2002 - एक परिचय	ओम प्रकाश अग्रवाल	76
बैंकों में मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	78
प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग की खामियां एवं उनका निस्तारण	पी. अनवर बाशा	82
आस्तियों पर एक प्रतिशत प्रतिलाभ - नये अर्थ	जनमेजय पटनायक	86
● रेग्युलेटर की नज़र से	डॉ. रमाकांत गुप्ता	90
● इतिहास के पन्नों से	डॉ. मीनू मंजरी	93
● घूमता आईना	के.सी. मालपानी	97

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्री एल.एन. उपाध्याय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

डॉ. अनिल चन्द्र
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051

सदस्य

डॉ. ए.आर. जोशी
परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

श्री ब्रिज राज
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, डीईपीआर, मुंबई

श्री जनमेजय पटनायक
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीओटीसी, भोपाल

श्री राकेश चन्द्र नारायण
उप महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

डॉ. जवाहर कर्णावट
सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

तकनीकी सहयोगी

श्री के.सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
के लिए संपादित और प्रकाशित तथा इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 022-26572801 फैक्स 022-26572812

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

“प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः।
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति।।”



अर्थात् निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के डर से कार्य शुरू नहीं करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य शुरू कर के विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग बार-बार विघ्न आने पर भी जो कार्य शुरू किया है उसे नहीं छोड़ते। किसी भी कार्य में विघ्न या जोखिम होने की संभावना बनी रहती है पर उसके भय से कार्य शुरू नहीं करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ज़रूरत उस विघ्न या जोखिम के प्रबंधन की है।

बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने में जोखिम की संभावना निहित रहती है और उसका ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो उसकी परिणति अनर्जक आस्तियों के रूप में सामने आती है। सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट शुरू होने के ठीक पहले भारतीय बैंकों की कुल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 53,917 करोड़ रुपये की थीं, जो सितंबर 2015 तक बढ़कर 3,41,641 करोड़ रुपये हो गईं। कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में बैंकों का कुल जीएनपीए 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि संपादक मंडल ने वर्ष 2015 का विशेषांक “आधुनिक बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन” नामक विषय पर निकालने का निर्णय लिया है ताकि अनर्जक आस्तियों की इस विकराल समस्या और उससे निपटने के उपायों से पाठकों को रू-ब-रू कराया जा सके।

इस अंक में हमने भारतीय कंपनियों के भविष्य को जोखिम रहित बनाने के बारे में सीआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जोखिम शिखर सम्मेलन में 10 फरवरी 2016 को मुंबई में दिए गए अपने भाषण में आदरणीय उप गवर्नर श्री हारुन आर. खान के ‘जोखिम का सामना - एक व्यावहारिक रास्ता’ नामक भाषण को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने अधिक-से-अधिक प्रतिलाभ कमाने की कंपनियों की इच्छा और उसकी प्रक्रिया में निहित जोखिम एवं इस संदर्भ में विनियामक की भूमिका के बारे में काफी व्यावहारिक मार्ग सुझाया है और इसका अनुवाद भी ऐसा किया गया है कि वह अनुवाद जैसा न लगकर मूल लेख जैसा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पाठक अवश्य पसंद करेंगे और इससे कंपनियों एवं बैंकिंग के कार्य में निहित जोखिम के बारे में उनकी समझ में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी।

इस अंक की शुरुआत में श्री सुबह सिंह यादव और श्री विनय बंसल के लेख के द्वारा बैंकिंग कार्य में मौजूद जोखिम से पाठकों का परिचय कराया गया है। जहां भारतीय स्टेट बैंक के श्री विनय बंसल ने अपने लेख में वर्तमान परिदृश्य में बैंकों के सामने मौजूद विभिन्न प्रकार के जोखिमों - ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम - का परिचय देते हुए उसके प्रबंधन की प्रक्रिया और निदान सुझाए हैं, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक श्री सुबह सिंह यादव ने अपने विस्तृत लेख में कहा है कि बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम अनिवार्य होने के कारण जोखिम प्रबंधन बैंकिंग गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोखिम की सन्निहित संभावना को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाना ही मोटे तौर पर जोखिम प्रबंधन है। कंपनियों की ही तरह बैंकों में भी अधिक प्रतिफल की चाह और उसमें निहित जोखिम के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। श्री यादव ने अपने लेख में जोखिम प्रबंधन की परिभाषा से लेकर, उसके इतिहास और भविष्य की चुनौतियों तक का सजीव चित्र पाठकों के सामने रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने वित्तीय क्षेत्र के जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका स्पष्ट की है। आशा है, पत्रिका के पाठकगण उक्त तीनों लेखों को पढ़कर इस विषय के महत्व का एहसास कर लेंगे।

परिचय के बाद पहले पाठकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों की गहराई में ले जाने का प्रयास किया गया है। ग्राहक द्वारा समय पर ऋण की चुकौती न कर पाने के कारण उत्पन्न जोखिम को ऋण जोखिम कहते हैं जिसकी वजह से एनपीए की समस्या जन्म लेती है। इस महत्वपूर्ण जोखिम से पाठकों से रू-ब-रू कराने के लिए इससे संबंधित तीन लेख शामिल किए गए हैं, जिनके लेखक हैं - श्रीमती के.वी. लक्ष्मीदेवी, श्री ए.के. बंसल और श्री ध्रुव मुखर्जी। इन विद्वान लेखकों ने एनपीए में गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी, उसके प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न समितियों, एनपीए के कारणों एवं उनके निवारण के लिए उठाए जाने वाले विधिक और गैर-विधिक उपायों की विस्तार से जानकारी दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने बाज़ार जोखिम की जानकारी दी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के उप प्रधानाचार्य डॉ. राम जस यादव ने अपने लेख में ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण किया है। ऋणों की वसूली में सरफेसी कानून काफी सहायक साबित हुआ है और इसकी जानकारी दी है - श्री ओम प्रकाश अग्रवाल ने अपने लेख 'सरफेसी अधिनियम, 2002 : एक परिचय' में। बैंकों में अनर्जक आस्तियों की समस्या कम करने में प्रतिभूतीकरण और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का भी काफी योगदान है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक डॉ. चेतना पाण्डेय ने अपने लेख 'प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्य एवं उनकी सीमाएं' में। संपादकीय समिति के सदस्य श्री जनमेजय पटनायक ने अपने सारगर्भित लेख में इन तमाम जोखिमों से निपटते हुए आस्तियों पर कम-से-कम एक प्रतिशत प्रतिलाभ अर्जित करने की चुनौती बैंकरों के सामने रखी है।

गैर-वित्तीय जोखिम के तहत जहां श्री अभिनव श्रीवास्तव, श्री वैभव सिंह एवं डॉ. लोकेन्द्र सिंह ने अपने-अपने लेख में बैंकिंग परिचालन में निहित जोखिम का सविस्तार विवेचन किया है, वहीं संपादकीय समिति के एक अन्य सदस्य श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने लेख में गैर-वित्तीय जोखिम के एक नए पहलू मानव संसाधन प्रबंधन में निहित जोखिम की ओर तथा विजया बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पी. अनवर बाशा ने तकनीक आधारित जोखिम की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। बैंकों के सुचारु परिचालन के लिए उनकी आस्तियों और देयताओं के बीच संतुलन ज़रूरी है और इस महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है - रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक डॉ. रमाकांत शर्मा ने अपने सारगर्भित लेख 'बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन' में।

साथ ही, इस पत्रिका के पाठकों से सुपरिचित हो चुकीं हमारे विभाग की सहायक प्रबंधक डॉ. मीनू मंजरी ने 'इतिहास के पन्नों से' में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के बारे में उसके हैदराबाद स्टेट बैंक से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तक के सफर की रोचक दास्तां पेश की है तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - पत्रिका के तकनीकी सहयोगी श्री के.सी. मालपानी ने अपने लेख 'घूमता आईना' में। जून 2015 से शुरू किए गए नए स्तंभ 'रेग्युलेटर की नज़र से' के तहत पेश है वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की कुछ पहलों की जानकारी।

कुल मिलाकर, इस अंक में नियमित स्तंभों को जारी रखते हुए बैंकिंग कार्य में मौजूद जोखिमों के हर पहलू पर प्रकाश डालकर इसे पाठकों के लिए एक संग्रहणीय अंक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। विशेषांक निकालना अपने आप में काफी श्रमसाध्य कार्य है और इसके लिए संपादक मंडल, लेखक एवं इसके प्रकाशन से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं।

पिछले अंक में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से अनुरोध है कि वे इस विशेषांक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव anilchandra@rbi.org.in अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई-मेल पते पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका के अगले अंकों को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।



(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

महाप्रबंधक एवं प्रबंध संपादक

अ | नु | चि | त | न

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का अंक-4 जुलाई-सितंबर 2015 सहर्ष पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। वर्तमान घड़ी में वित्तीय क्षितिज में वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग के साथ-साथ बढ़ती हुई धोखाधड़ी, जालसाजी एवं ऑनलाइन प्रक्रियागत गबनों तथा ठगी की ग्रस्तता से चूना लगाए जाने की घटनाएँ अत्यन्त दुःखद एवं चिंतनीय हैं, जिनसे सावधानी से बचने तथा उनकी रोकथाम हेतु जरूरी उपायों से भरे श्री विनय कुमार पाठक, श्री के. आर. चौहान एवं श्री परवेज़ अख्तर के लेख समसामयिक, अनुकरणीय और हर पहलू पर परमोपयोगी हैं।

औद्योगिक संवृद्धि की महत्ता के मद्देनजर माननीय गवर्नर महोदय डॉ. रघुराम जी. राजन के भाषण “संवृद्धि के लिए आक्रामकता” का हिन्दी पाठ वर्तमान वैश्विक वित्तीय क्षितिज का सही कथाकथन है, और पूर्वानुमान भी तथा जागरूकता का संदेश भी। सुश्री निधि चौधरी का लेख फिलहाल वक्त की ज्वलन्त समस्या के निवारणार्थ एक प्राथमिक चरण “सुकन्या समृद्धि योजना” है। निधि जी का यह लेख विवेचनात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक और अविलंब अंजाम देने योग्य है जिससे भारतीय कन्याओं की हो रही भ्रूण हत्याओं पर रोक लगेगी और उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा। पत्रिका के अन्य सभी लेख भी स्तरीय, पठनीय, संग्रहणीय व शिक्षाप्रद हैं जिनके लिए लेखक, सम्पादक एवं प्रकाशक आदि सभी बधाई के पात्र हैं। जर्नल के अगले अंक की प्रतीक्षा में। शुभकामनाओं के साथ...

● **हरिश्चंद्र सा. अग्रवाल**
अकोला (विदर्भ)

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का जुलाई-सितंबर 2015 अंक प्राप्त हुआ जिसमें सम्पूर्ण विषय सामग्री अत्यधिक उपयोगी एवं मार्गदर्शक थी। ऐसी पुस्तकें सतत प्रकाशित होती रहनी चाहिए जिससे कि पाठकों का ज्ञान बढ़ता रहे। पुस्तक का मुखपृष्ठ भी बहुत ही आकर्षित कर रहा था। उसमें संदर्भित लेख ‘सुकन्या समृद्धि योजना’, ‘धोखाधड़ी के मामलों में तृतीय पक्षकारों की भूमिका - कारण व निवारण’, ‘खुदरा ऋणों में धोखाधड़ी एवं बढ़ते हुए एन.पी.ए...’, एवं ‘बैंकिंग में ऑनलाइन धोखाधड़ी...’ लेख सर्वोत्तम रहे। अतः मैं पुस्तक के लेखक, संपादक एवं प्रकाशक आदि समस्त स्टाफ सदस्यों का आभारी हूँ तथा सभी को हार्दिक

बधाई प्रेषित करता हूँ। भविष्य में प्रकाशित अंक की प्रतीक्षा में

● **योगेन्द्र दत्त शर्मा**
जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन अंक 4, जुलाई-सितंबर 2015 की प्रति आज ही मुझ तक पहुंची। कुछ बात है कि आपके संपादकीय ने ईमेल भेजने को मज़बूर कर दिया। कहना बस यही है कि बीटीसी से जब यह पत्रिका संपादित होती थी तब इसके संपादकीय की जो पहचान बनी थी आपने उसमें इज़ाफा किया है। अपने गवर्नर के भाषण का जो अनुवाद इस अंक में छापा है वह काफी उपयोगी है।

● **अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी**
यूको बैंक, कोलकाता

बैंकिंग चिंतन-अनुचितन का जुलाई-सितंबर 2015 अंक प्राप्त हुआ। बदलते बैंकिंग परिदृश्य में यह अंक बहुत उपयोगी है। इसमें प्रकाशित आलेख सुकन्या समृद्धि योजना, रिटेल बैंकिंग का भविष्य, खुदरा ऋणों में धोखाधड़ी आलेख अच्छे हैं। संपादकीय में “मनुष्यों को चाहिए कि सदाचार की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करें... अच्छे सद्विचार हैं। बैंकिंग क्षेत्र में इसका महत्त्व और बढ़ जाता है। पुनः शुभकामनाओं के साथ

● **संतोष श्रीवास्तव**
भोपाल

बैंकिंग जर्नल ‘बैंकिंग चिंतन-अनुचितन’ का जुलाई-सितंबर 2015 का अंक प्राप्त हुआ जिसमें प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्द्धक और उपयोगी हैं। संपादकीय बहुत अच्छा लगा। ‘सुकन्या समृद्धि योजना - एक विवेचना’ तथा ‘जन-धन योजना और बैंक सेवक’ लेख अपने विषयों की सम्यक् जानकारी देने के कारण उपयोगी हैं। अन्य सभी लेख भी बहुत ज्ञानवर्धक हैं। डॉ. मीनू मंजरी का ‘इतिहास के पन्नों से’ स्तम्भ में देना बैंक की आत्मकथात्मक जीवनगाथा पत्रिका का सबसे रोचक लेख है। ‘रेग्युलेटर की नज़र से’ और ‘घूमता आईना’ स्तम्भ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उत्कृष्ट संपादन से अंक अविस्मरणीय है। सफल संपादन एवं उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई। अगले अंक की प्रतीक्षा में...

● **विष्णु शर्मा**, फैजाबाद

जोखिम का सामना – एक व्यावहारिक रास्ता*

– श्री हारुन आर. खान

श्री सुरेश सेनापति, श्री रिचर्ड रेखी, श्री दीपक पारीख, श्रीमती ग्रीता वर्गीस एवं मंच पर उपस्थित और सामने की ओर आसीन विशिष्ट अतिथिगण तथा आमंत्रितगण। मैं सीआईआई के इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में भाषण के लिए मिले निमंत्रण से आनंदित हूँ। सीआईआई ने इस राष्ट्रीय जोखिम शिखर सम्मेलन के लिए एक बहुत ही रोचक विषय- ‘भारतीय कंपनियों के भविष्य को जोखिम रहित बनाना’ चुना है। निश्चय ही, मैं इस बात से चकित हूँ कि सीआईआई भारतीय कंपनियों के भविष्य को जोखिम रहित बनाने के लिए क्यों विचार कर रहा है, हालांकि यहां मौजूद प्रतिभागी इस तथ्य को भी समझते होंगे कि जोखिम रहित होने का एक तात्पर्य यह भी है कि वे ‘कारोबार’ में नहीं बने रह पाएंगे।

वीयूसीएपी विश्व में जोखिम-प्रतिफल-प्रतिकार

सभी मानवीय कार्यकलापों, विशेष रूप से कारोबारी गतिविधियों में जोखिम शामिल होता है, ताकि जोखिम-प्रतिफल सरोकार के अनुरूप ‘पुरस्कार’ अथवा ‘प्रतिफल’ अर्जित किया जा सके। तथापि, यह संबंध कहीं अधिक गूढ़ है क्योंकि लाभ कमाने की अंधी दौड़ के कारण अकल्पनीय स्तर के जोखिम न केवल व्यक्तिगत उद्यमों के लिए वरन् समस्त प्रणाली के लिए पैदा हो सकते हैं। आज विश्व के वित्तीय और आर्थिक संतुलन के लिए खतरा पैदा करने वाले जोखिमों का उचित रूप से प्रबंधन करना और उन्हें नियंत्रण में रखना काफी कठिन हो गया है। मैं समझता हूँ कि तेजी से लाभ कमाने की प्रवृत्तियां यदि बढ़ नहीं रही हैं तो बनी हुई हैं और इस बात का साक्ष्य मौजूद है, जो इस संगोष्ठी की विषयवस्तु का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है।

* 10 फरवरी 2015 को मुंबई में भारतीय कंपनियों के भविष्य को जोखिम रहित बनाने के संबंध में सीआईआई राष्ट्रीय जोखिम शिखर सम्मेलन में श्री हारुन आर. खान, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। वक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री आर. गुरुमूर्ति के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

जोखिम-प्रतिफल संबंधों के अत्यधिक प्रयुक्त दृष्टिकोण पर अपने विचारों को आकार देने के दौरान मैंने जोखिम-प्रतिफल समस्या में से अनुपस्थित ‘आर’- रीकटल (प्रतिपूर्ति) पर विचार किया। लाभ पाने के लिए अत्यन्त उग्र मानवीय आकर्षण और इसकी तलाश में जोखिम मोल लेने की प्रबल आदत के कारण कई बार दीर्घ काल में अपरिहार्य प्रतिफल और प्रतिपूर्ति के रूप में इसकी परिणति होती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, संभवतः यह जग की प्रचलित रीति ही है जो हमें उतावला बना देती है। वैश्विक वित्तीय संकट का विकट प्रभाव देखने के बाद हम अपने भविष्य को जोखिम-रहित बनाने की शपथ लेना चाहेंगे। अमरीकी वित्तीय इतिहासकार पीटर बर्नेस्टिन का एक रोचक परिप्रेक्ष्य है, उनके अनुसार, ‘जोखिम और समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यदि भविष्य ही नहीं होगा तो कोई जोखिम भी नहीं होगा। समय जोखिम को परिवर्तित करता है, और जोखिम की प्रकृति का निर्धारण समय के क्षितिज द्वारा होता है: भविष्य ही क्रीडा स्थल है’¹। अतः हमारा तरीका समय के साथ जोखिम अनुकूलता सुनिश्चित करना होना चाहिए न कि भविष्य को जोखिम रहित बनाना। वस्तुतः जोखिम निवारण की उन्मादी वचनबद्धता अपने आप में एक जोखिम है, जिसका सामना किसी कारोबार को संकट के बाद की स्थितियों में करना पड़ सकता है।

हो सकता है कि हमें वीयूसीएपी विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता हो। यह सैन्य शब्दकोश का एक हिस्सा है, यह उतार-चढ़ाव, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता का संक्षिप्ताक्षर है और अब इसका व्यापक उपयोग वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजारों की अनिश्चितता बताने के लिए किया जाता है। मैं इसमें ‘पी’ और जोड़ना चाहूंगा, जिसका अर्थ है प्रतिकूलता (परवरसिटी), और इसके बाद यह वीयूसीएपी बन जाता

¹ ईश्वर के विरुद्ध

है। समसामयिक वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारों और संपूर्ण विश्व में सामरिक हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए यह बेमेल भी नहीं होगा।

पहले हम अत्यधिक उतार-चढ़ाव को टेढ़ी नजरों से देखा करते थे, परंतु अब कम उतार-चढ़ाव से चिंतित हैं। हमें अस्थिरताओं से चिंता अवश्य करनी चाहिए परंतु निश्चितता अपने साथ संतोष लाती है और हमें असुरक्षित बना देती है। क्या असलियत में हम जटिलताओं को लेकर असहज होते हैं? निश्चित नहीं है। कुछ के लिए जटिलता फायदे का सौदा होती है। और इनमें संशय बरकरार है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई अद्यतन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसंबर 2014), 'ऐसे परिवेश' के बारे में बताती है, 'जहां कमजोर संवृद्धि की संभावनाओं को भी वित्तीय बाजारों के लिए अनुकूल माना जाता है' क्योंकि इनसे उन संभावनाओं को बल मिलता है कि अत्यधिक सरल मौद्रिक नीतियां जारी रहेंगी, यह एक तरह से प्रतिकूलता है। परंतु, यही वह संसार है जिसके साथ हमें कारोबार करना है।

मेरा विचार है कि यह स्वभाव में ही है। आइए, उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र के एक धार्मिक विचार पर नज़र दौड़ाते हैं, जिसमें विषयवस्तु - नामतः व्यवस्था, अस्तव्यस्तता और पुनरारम्भ - बारंबार सामने आते हैं। प्रत्येक वर्ष नील नदी में बाढ़ आती है, परंतु फिर यह जमीन की उर्वरता बढ़ा देती है और अत्यधिक उत्पादक कृषि उद्योग की मदद करती है जिससे कि मिस्र की सभ्यता इतने दिनों तक बनी रही। किसी अन्य संकट की भांति ही, वैश्विक वित्तीय संकट ने हमें नई सीख दी है और नए अवसर भी प्रदान किए हैं।

यहां 'पी' और वहां 'आर' जोड़ देने से इस संगोष्ठी की व्यापक विषयवस्तु को एक दृष्टिकोण मिल जाता है, आइए अब कुछ विशिष्टताओं की ओर नज़र दौड़ाएं :

कारोबार जोखिम और विनियामक दुविधा

विनियामक होने के नाते, मैं विधिक और विनियामक जोखिमों के संबंध में कारोबारी समुदाय की चिंताओं से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जैसाकि मैं आपकी विज्ञापन पुस्तिका से देख सकता हूं कि इस पर चर्चा करने के लिए इसमें स्लॉट दिया गया है और सारांश उसमें नीचे दिया गया है। जहां इसमें जटिल विनियमन लागू करने और नए विधानों से कंपनियों के सामने आ रहे बढ़ते हुए जोखिमों की बात की जा रही है, वहीं इसमें इस ओर भी, ठीक ही, संकेत किया गया है कि उन्हें पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए कॉरपोरेट

अनाचरणों और विकारों के कारण लाया गया था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संगठन सीमा पार से अभी तक की तुलना में कहीं अधिक कारोबार कर रहे हैं; इस प्रकार, उनके स्थानीय विनियामक जोखिमों में वैश्विक विनियामक चिंताएं जुड़ जाती हैं। अतः हम सभी यहां कानून लागू करने वालों की एवं इन कानूनों और विनियमों से प्रभावित होने वाले दोनों की चिंताओं को समझेंगे और महसूस करेंगे।

अक्सर, हम ऐसा सुनते हैं कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। परंतु, कई समयांतरालों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ऐसी ही चिंताएं किसी अन्य स्थान पर कारोबार करने के लिए भी व्यक्त की थीं। हाल ही में, म्यूनिख में आयोजित डीएलडी सम्मेलन में, ब्लाब्लाकार, जो फ्रांसीसी राइड-शेयरिंग स्टार्टअप कंपनी है, के सह-संस्थापक निकोलस ब्रुसेसन से 28 प्रकार के कानूनों और विनियमनों वाले फ्रांस के बाहर अपने कारोबार की शुरुआत करने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने उतर दिया कि: 'जब आप फ्रांस से प्रारंभ करते हैं तो सब कुछ सरल प्रतीत होता है'। मुझे विश्वास है कि पिछले एक दशक या अधिक के दौरान जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों में कारोबार किया है वे भी इन्हीं संवेदनाओं को दोहराएंगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, 'मेक इन इंडिया' पर गंभीरतापूर्वक विचार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार इसके तहत ऐसा करने का प्रयास कर रही है जो वह कर सकती है।

हमें यह समझना होगा कि अधिकतर समय विनियमित निकायों द्वारा उल्लंघन किए जाने या तथाकथित स्वयं-विनियमित तंत्र की ओवररीच के बाद ही विनियामक नियम आते हैं, न कि उनके पूर्व। विनियामक अपने कंधों पर जो भारी मेंडेट (अधिदेश) रखते हैं वस्तुतः उसकी प्रकृति के कारण ही कार्रवाई होती है। एक शब्दावली में जिसे 'विनियामकीय दुविधा' कहा जाता है, वित्तीय बाजार के विनियमन के संबंध में यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, जिसमें विनियामक और विनियमित दोनों विनियमनों, वंचना और पुनर्विनियमन की वैकल्पिक चालें चलते हैं।² यही बात अन्य बाजारों के लिए भी सत्य होती है।

लोकप्रियता नहीं, बल्कि विनियामक जिन बाजारों को विनियमित करते हैं उनकी सहज कार्यप्रणाली और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता से विनियामकों की कार्रवाई निर्देशित होती है। दूसरे शब्दों

² एडवर्ड केन - 'लूज एंड्स इन कैपिटल रेग्युलेशन : फेसिंग अप टु रेग्युलेटरी डायलेक्ट', अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सम्मेलन फेडरल रिज़र्व ऑफ शिकागो, नवंबर 11, 2011, शिकागो में किया गया प्रस्तुतीकरण।

में, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स में कॉलम लिखने वाले जॉन की अक्सर कहते हैं कि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय को भीड़ के लिए रुचिकर विकल्प से नहीं बदला जा सकता है। उनका विद्वत विचार है कि “इसीलिए हम जहाज उड़ाने के लिए यात्रियों की राय का उपयोग करने के बजाए एक कुशल पायलट पर विश्वास करते हैं”।

क्रेडिट का उपयोग और दुरुपयोग

यह मुझे अधिक कॉरपोरेट लीवरेज और मौजूदा क्रेडिट संस्कृति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे विनियामकों की व्यापक चिंताओं की ओर ले आती हैं। आगे चलकर कुछेक कंपनियों को संसाधन जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है- वह भी इसलिए नहीं कि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं अथवा यह कि ऋण के लिए पात्र कारोबारी अवसर उपलब्ध नहीं हैं बल्कि वह ऋण वितरण में “कार्यक्षमता घटक” के रूप में अब एक नई सोच के रूप में एवं इस रूप में कि ऋणकर्ता अपनी वचनबद्धताओं का कितना सम्मान करते हैं, सामने आ रही है। इस बात की कहीं अधिक संभावना बन रही है कि आगे आने वाले दिनों में हितधारकों के अलावा जमाकर्ताओं और करदाताओं द्वारा बैंकों के क्रेडिट देने संबंधी निर्णयों की और अधिक संवीक्षा की जाएगी। क्या यह सब इसलिए कि क्रेडिट संस्कृति में गिरावट आ रही है। हमें इस पर विचार करना होगा।

बैंक हमारी वित्तीय प्रणाली की रीढ़ हैं और वे एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं - वे वित्तीय बचतों को उन तक पहुंचाते हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। अतः मध्यस्थता की इस प्रक्रिया का दूसरा छोर क्रेडिट है और हम सभी को ‘क्रेडिट’ शब्द की व्युत्पत्ति को समझना होगा और उसके अर्थ को सम्मान देना होगा। इस स्थिति से निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वह है उत्तरदायित्व के साथ ऋण का उपयोग करना।

जैसा कि गवर्नर राजन ने चेतावनी दी है³, ‘संपूर्ण विश्व में सभी प्रकार के स्थापित संविदात्मक मानदंडों के विरुद्ध उद्यम में जोखिम और प्रतिफल की असमान भागीदारी है- जहां प्रवर्तकों के पास एक ‘विशिष्ट’ श्रेणी की इक्विटी है जो अच्छे समय में सभी प्रकार के लाभों को रखती है और बुरे वक्त में बहुत कम हानियों को सहती है, वहीं उधारदाताओं, हमारे संदर्भ में मुख्य रूप से सरकारी बैंक, के पास “निम्न श्रेणी” के कर्ज होते हैं और उन्हें अच्छे समय में कुछ भी

³ सेविंग क्रेडिट- आईआरएमए, आणंद में 25 नवंबर 2004 को आयोजित तीसरे डॉ. वर्गीज़ कुरियन स्मृति भाषण में डॉ. रघुराम राजन का वक्तव्य।

बेहतर प्रतिफल प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि वे बुरे वक्त में अधिकतर हानियां सहते हैं।’

आइए अब हम देखें कि किस प्रकार ‘लीवरेज’ नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि किसी प्रकार के कारोबार की वृद्धि के लिए लीवरेज एक प्रकार की अनिवार्य बुराई है। तो हाल ही में कॉरपोरेट लीवरेज को वित्तीय स्थिरता के लिए एक चिंता के रूप में क्यों देखा जा रहा है? इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय कंपनियों ने विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनाने, वैश्विक खिलाड़ियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने, देश की सीमाओं के परे अपने पंख पसारने में एक लंबी यात्रा तय की है। जहां उनमें कुछ को सफलता मिली तो उनमें से कुछ अन्य की महत्वाकांक्षाएं हेकड़ी ही साबित हुई हैं। उन्हें कार्यकलापों के लिए काफी बड़े संसाधनों की आवश्यकता थी, जो घरेलू और विदेशी वित्तीय बाजारों से प्राप्त हुए, हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट, मांग में कमी और मुद्रा के उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप उन्हें असंभावित जोखिमों का सामना करना पड़ा। क्या वे इन सब का पूर्वानुमान लगा सकते थे? वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात, शायद भविष्य में वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की भांति ही गैर-वित्तीय कंपनियां कुछ प्रकार की दबाव जांच के बारे में विचार कर सकती हैं ताकि आने वाले जोखिमों के प्रति उनकी आघात-सहनीयता का अनुमान लगाया जा सके।

बचावरहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के जोखिम

बड़े पैमाने पर बचावरहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र न केवल अलग-अलग संस्थाओं के लिए खतरा हैं अपितु आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय हैं। हालांकि विनियामक निश्चित रूप से उन विषयों का माइक्रो रूप से प्रबंध नहीं करना चाहेंगे जो कि देखा जाए तो एक वाणिज्यिक निर्णय है, फिर भी कंपनियों को उनके बचाव रहित मुद्रा एक्सपोज़रों में अंतर्निहित संभावित जोखिमों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि असंभावित और अचानक हुए दर संचरणों के कारण उन्हें अत्यधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी स्विस नेशनल बैंक के हाल के निर्णय के बारे में जानते होंगे जिसके शिकार कुछ लोग बने, जबकि भुक्तभोगी इसका विरोध करते रहे।

दूसरी ओर गवर्नर राजन ने कुछ समय पहले⁴ यह संकेत दिया

⁴ कांपटीटिव मॉनीटरी ईजिंग: इज़ इट यस्टरडे वन्स मोर? - 10 अप्रैल 2014 को ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में डॉ. रघुराम राजन द्वारा की गई टिप्पणी।

था कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बढ़ोतरी के समय उधारकर्ता जाल में फंस सकते हैं क्योंकि बढ़ती हुई आस्ति कीमतों के कारण उन्हें उच्चतर इक्विटी के रूप में परिवर्तित होने का भ्रम हो सकता है। यद्यपि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, फिर भी एक सुदृढ़ मत यह है कि चरमसीमा पर पहुंचे बाह्य आघातों से इस प्रकार का कोई भी भंडार हमें मोहलत नहीं दे पाएगा। हम यहां देशों के बारे में भी यही बात कह रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कंपनी के पास बहुत अधिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर होगा वह कितना अधिक असुरक्षित (वल्नरेबल) संवेदनशील होगी।

जिन कारोबारी निकायों के पास साधारण तौर पर बचाव की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए विदेशी उधारियों हेतु मात्र ब्याज दर अंतर (बचाव लागत के बिना) के रूप में लागत लाभ एक निर्देशक घटक नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, हमारे पास इसका भी एक दुःखद अनुभव है, 2008 के वित्तीय संकट के बाद, बहुत से भारतीय निर्यातकों ने, जिन्होंने बैंकों के साथ जटिल डेरिवेटिव करार किए थे, उन्हें अपनी डेरिवेटिव स्थितियों को बाजार भाव के साथ दर्शाने (मार्क-टु-मार्केट) के कारण भारी हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जटिलता कुछ को ही लाभ देती है और अन्य को परेशानी देती है। अतः कंपनियों को न केवल उनके द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को समझने की जरूरत है बल्कि उन्हें जोखिम कम करने के लिए उठाई गई गलत प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जोखिम को भी समझना होगा। इसलिए, कारोबारियों को यह समझना चाहिए कि जोखिम प्रबंधन रणनीति अतिरिक्त आय कमाने का जरिया नहीं है अपितु अनुमानित आय के प्रवाह की सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

पिछले वर्ष जब यूएस फेड ने मात्रात्मक सहजता में कमी लाने के संकेत दिए थे, भारत जैसी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से जिनका चालू खाता घाटे में रहता है, पूंजी बहिर्वाह के कारण गंभीर दबाव में आ गई थीं। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए कई उपाय किए गए थे जिनमें, अन्य के साथ-साथ स्वचालित चैनल के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा में कमी लाना शामिल था। समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय के रूप में इस सीमा को किसी भारतीय कंपनी की नेटवर्थ के 400 प्रतिशत से कमकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था हालांकि वास्तविक मामलों में उपर्युक्त संशोधित सीमा पर अनुमोदन चैनल के माध्यम से विचार किया गया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक वित्तीय बाजार गतिविधियों के अवसरों को

कम करने के लिए अन्य कई प्रशासनिक उपाय भी किए गए। राष्ट्रीय तुलनपत्र को जोखिम रहित बनाने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार को कई उपाय करने पड़े, केवल उदाहरण के लिए, स्वर्ण के आयात पर नियंत्रण लगाया गया और विदेशी मुद्रा जमाशियों तथा बैंकों द्वारा ली जाने वाली उधारियों के जरिए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए रियायती स्वैप सुविधा को प्रारंभ किया गया।

रुपया-डालर विनिमय दर में स्थिरता लौटने पर पारदेशीय सीधे निवेश के तहत विप्रेषणों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें मोटे तौर पर 01 जुलाई 2014 को वापस ले लिया गया और स्वचालित चैनल के तहत पारदेशीय निवेशों के लिए सीमा भारतीय निकायों की नेटवर्थ के 400 प्रतिशत तक पुनः बहाल कर दी गई। दूसरे शब्दों में, कभी-कभी मेरे द्वारा पहले बताई गई बृहत्तर संस्थाओं के लिए कॉरपोरेट संसार को जोखिम से मुक्त करने का कार्य रिज़र्व बैंक जैसे समष्टि-विवेकपूर्ण विनियामक का बन जाता है फिर भी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवेकपूर्ण विनियमन और सूक्ष्म प्रबंधन के बीच की भेदक रेखा बहुत पतली होती है।

क्रांतिकारी विचारों और प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल

आइए अब इस शिखर सम्मेलन की एक अन्य विषय वस्तु की ओर चलते हैं। इसका संबंध उन क्रांतिकारी विचारों और प्रौद्योगिकियों से है जो डिजिटल विश्व द्वारा सामने रखी गई उभरती हुई चुनौतियों को तेजी से न समझ पाने के कारण उत्पन्न हुई। क्रांतिकारी विचारों और प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप तेजी से परिवर्तित संसार के कारण कारोबारी समुदाय के एक वर्ग के बीच एक प्रकार की असहजता दृष्टिगोचर हो रही है।

प्राइस वाटर कूपर के एक सर्वेक्षण⁵ के अनुसार, सर्वेक्षण की गई 60 प्रतिशत फर्मों ने दर्शाया कि, 'प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की गति' संवृद्धि की संभावनाओं के लिए एक खतरा है। दूसरी ओर, विनिर्माण उद्योग इस बात से विशेष रूप से चिंतित है कि अधिकाधिक प्रतिभा और संसाधन वर्चुअल प्लैटफार्म की ओर जा रहे हैं न कि भौतिक विनिर्माण की ओर। इस प्रकार के पहलों का मूल्यांकन एकतरफा प्रतीत होता है, परंतु एक क्षण के लिए हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार के क्रांतिकारी पहलों के भी अपने जोखिम और अपनी चुनौतियां होती हैं, तथापि, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या वे अपरिहार्य हैं।

⁵ प्राइस वाटरकूपर 2014 वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण।

क्रांतिकारी विचारों को जोखिम से बचाव करने की प्रवृत्ति तनिक भी नहीं सुहाती है और स्टार्ट-अप संस्कृति को देखने से इसके विषय में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है जिसके लिए यूएस जाना जाता है और क्यों वह देश अलग नज़र आता है और तेजी से बदलते आर्थिक चक्रों और उपभोक्ता तरजीहों के बीच नेतृत्व की स्थिति में होता है। सफलता की कुंजी कारोबार को इस तरह से रूपांतरित करने में निहित है ताकि औद्योगिकीकरण के बाद के डिजिटल विश्व में वह संगत बना रहे। हमारे जैसे देशों के लिए हमें इस बात के लिए फिर से आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी अंततः समावेशी संवृद्धि के जरिए रोज़गार के अवसरों को बेहतर करेगी- मात्रात्मक रूप में भी और गुणात्मक रूप में भी- न कि वह रोज़गार के अवसर उनसे छीन लेगी और जीवन स्तर की गुणवत्ता में गिरावट लाने के बजाए वह उसमें वृद्धि करेगी।

साइबर की चुनौतियों का सामना करना

विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वह अपने वर्तमान आईटी परिवेश पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अनेक वित्तीय फर्मों में आईटी की बुनियादी सुविधाएं बिखरी हुई एवं असंगत हैं।⁶ वित्तीय क्षेत्र उद्योग विश्वास और भरोसे पर टिका हुआ है, और बढ़ता हुआ साइबर अपराध इसके लिए बुनियादी चुनौती बन गया है। ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन (बीबीए) द्वारा पीडब्लूसी के समन्वय से जारी रिपोर्ट⁷ के अनुसार नये-नये विनियमों एवं नीति के साथ अपने को अद्यतन रखते हुए साइबर-आक्रमण को रोकना एक जटिल चुनौती बन गया है।

जैसाकि आप जानते हैं, साइबर-अपराध दिन-प्रतिदिन परिमार्जित एवं जटिल होते जा रहे हैं। उन्हें अंजाम देने वालों को 'संगठित साइबर अपराधी' और 'शत्रु स्टेट एजेंट' के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का मोटिव कंपनियों की जासूसी, बौद्धिक संपत्ति अधिकार से लेकर धन को उड़ा लेने तक कुछ भी हो सकता है। इन सब में यदि हम ध्यान से देखें तो इसका पहला हथियार होता है असुरक्षितताओं का फायदा उठाना। चूँकि चाहकर भी इससे आसानी से बचा नहीं जा सकता है इसलिए कंपनियों के पास इनसे बचने का

⁶ जटिलताओं को सुलझाना - वित्तीय सेवा उद्योग की स्थिति 2015 - ओलिबर वायमैन

⁷ बैंकिंग को साइबर चुनौती-विश्व स्तर पर उद्योग को चुनौती

एक ही उपाय यह है कि उनकी 'साइबर सुरक्षा' पहले की तुलना में "अधिक सक्रिय" बनी रहे।

पिछले वर्ष डेटा चुराने का एक मामला प्रकाश में आया था जो एक विश्व स्तर के निवेश बैंक में हुआ था, उसमें परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने न केवल सुरक्षा का उल्लंघन किया था बल्कि हकीकत यह थी कि हैकर उनके सिस्टम के भीतर तकरीबन दो महीने से बैठे हुए थे और उनका पता नहीं चल सका था। कंपनियों को चाहिए कि वे एक तीव्र कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) योजना लागू रखें (जो इस सम्मेलन के अंतिम सत्र की प्रमुख विषय-वस्तु है) और कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें। कोई भी कंपनी इसे मामूली गैर-परिचालनगत कार्यकलाप के रूप में नहीं ले सकती है क्योंकि इससे जो भारी जोखिम होता है वह केवल मौद्रिक नुकसान ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठागत एवं विधिक जोखिम भी होता है जो एक स्थापित कारोबार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है।

एक सर्वेक्षण⁸ से पता चलता है कि 41 प्रतिशत आर्थिक अपराध संगठन के भीतर के कर्मचारियों द्वारा किए गए हैं। हम इसे कैसे सुलझाएं? क्या हम गंभीरतापूर्वक इस बात की जांच कर सकते हैं कि हमारी कंपनियों में प्रोत्साहन-संगतता ढांचा कैसा है? चूँकि जोखिम प्रत्येक कारोबार में निहित होता है, इसलिए उपयुक्त प्रोत्साहन - संगतता ढांचे के बिना हमें निर्णय-प्रक्रिया में ऐसे व्यवहारगत पैटर्न का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति को जोखिम रहित बनाया जा सकता है बजाय इसके कि ऐसा कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाए जो संगठन को फायदा पहुंचाए। इस प्रकार के व्यवहारगत-पैटर्न पूरी कार्यप्रणाली को ठप्प कर सकते हैं और कई बार संगठन के भीतर बहुत बड़ी कारोबारी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं।

यहां तक कि हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्री-पुरुष की हिस्सेदारी का संतुलन रखने पर विचार कर सकते हैं, जो 'समावेशी' चर्चा में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया पहलू है। इस बारे में मुझे एक पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए क्रिस्टीन लेगार्डे की बात याद आती है। यदि लेहमैन ब्रदर्स आज लेहमैन सिस्टर्स होता तो आर्थिक संकट की स्थिति कुछ और होती। यह चतुराईपूर्ण युक्ति प्रतीत हो सकती है, लेकिन हमने मुहम्मद युनुस की सफलता देखी है जिन्होंने 'माइक्रो फाइनांस' को सफल बनाने के लिए आज वह जिस रूप में है- महिलाओं की ओर रुख किया। व्यवहारवादी वित्त के बारे में

⁸ पी डब्लू सी 2014 वैश्विक आर्थिक अपराध सर्वेक्षण

कतिपय अनुसंधान से ज्ञात होता है कि पुरुषों द्वारा जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाना उनके शारीरिक संरचना से जुड़ा हुआ तथ्य है।

सावधानी के साथ आशावाद

भारत तरक्की की राह में अग्रसर है और कारोबारी संस्थाओं को इसका फायदा उठाना चाहिए लेकिन उन्हें उन जोखिमों के प्रति सचेत रहना होगा जिनका वे अपने और समूची प्रणाली के लिए सामना करने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार के समष्टि-आर्थिक असुरक्षितता का सामना कर रही थी उसमें काफी कमी आई है, क्योंकि संवृद्धि की संभावनाएं बढ़ गई हैं, महंगाई में कमी आयी है, तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट आई है, बाह्य क्षेत्र में सुधार हुआ है, साथ ही विदेशी मुद्रा का भारी भंडार है, वस्तुतः इस समय अब तक का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 330 बिलियन अमरीकी डालर हमारे पास है, और सरकार की ओर से भी इस बात के पुख्ता वायदे हैं कि वह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखेगी। इसका अर्थ यह है कि हम अपने समकक्ष अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं और असुरक्षितताओं का सामना बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद हम संतुष्ट होकर बैठ नहीं सकते, इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण के प्रति और अधिक सावधान रहना है और हम किसी भी अन्य देश की तुलना में इस बात के लिए ज्यादा आश्वस्त रहना चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली को इस प्रकार की अनेक असुरक्षितताओं से दुबारा दो-चार न होना पड़े।

अन्य शब्दों में, इस समय भारत को पिछले कई वर्षों से जो अवसर प्राप्त हुए हैं उसे वह खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि उभरते हुए बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत मज़बूत है। दूसरी ओर, राजनैतिक व्यवस्था उद्योग की चिंताओं के प्रति जागरूक है और 'भारत में निर्माण' का परिदृश्य सरकार और उद्योग के बीच देखने योग्य परिवर्तन लाएगा।

फिर भी, इस देखने योग्य परिवर्तन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक उद्योग से कुछ बुनियादी किंतु सैद्धांतिक प्रश्न यह उठते हैं कि 'हमें क्या प्रस्तुत करना है?' 'मेरी प्रमुख क्षमताएं कौन-कौन सी हैं?' और 'मेरी कमज़ोरियां क्या हैं?' यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भारतीय उद्योग में मूल्य बढ़ाने के बजाय लागत को नियंत्रण में रखने के लिए होगा जिसका समाधान पहले किया जाना है? 'जोखिम-रहित' बनने का अर्थ है कि प्रत्येक को अपनी जमीन

स्वयं तलाशनी होगी, अर्थात् वहनीय यूएसपी। एक विनिर्माण उद्योग जो गुणवत्ता से समझौता करते हुए लागत को कम रखने का सिद्धांत अपनाता है वह अपने लिए मात्र अल्प समय के लिए सुखकर स्थिति का निर्माण करता है।

निष्कर्ष

मैं कुछ अन्य विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। ज्ञान में अग्रणी बने रहना काफी हद तक जोखिम को कम करने का एक स्थायी समाधान है। तरक्की करने के लिए 'मैं भी' जैसे कारोबारी मॉडल, जो कुशलतर स्टार्ट अप के विघटनकारी प्रहार के प्रति बहुत अधिक असुरक्षित है, से निकलकर 'ज्ञानपरक नेतृत्व' के मॉडल को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन भारत को एक देश के तौर पर नेतृत्व के सतत स्रोत को विकसित करने के लिए यह कदम उठाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार के कदमों को हमारी शैक्षिक संस्थाओं, व्यावसायिक या अन्य संस्थाओं, में भी उठाना पड़ेगा। अधिक से अधिक उत्कृष्ट संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे प्रौद्योगिकी संबंधी महत्वपूर्ण अनुसंधानों के लिए निर्माण स्थल के तौर पर सामने आएँ।

इसमें सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या है जो हमें नवोन्मेषी उन्मुख ज्ञान-केंद्र बनने से रोकता है। ज्ञानपरक नेतृत्व का अर्थ यह नहीं है कि संपूर्ण भारतीय उद्योग इस मन्थन से अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि अंततः बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के डॉउ जोन्स सूचकांक और इक्कीसवीं शताब्दी के बीच एक ही कंपनी कॉमन रह गई। बल्कि इसका आशय यह होगा कि इस प्रकार के नेतृत्व से किसी उद्यम में असफल कोई एक होगा लेकिन विजेता कई होंगे।

मैं आपको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 'जोखिम विश्लेषण' से लेकर 'विनियामकीय जोखिम' तक पर और 'डिजिटल फोरेसिक', 'भावी कार्य-स्थल से होने वाले जोखिम' तथा अंततः 'जलवायु परिवर्तन और वहनीयता जोखिम' जैसे विशद विषय की थीम पर सार्थक चर्चाएं की जाएंगी। मुझे विश्वास है कि शिखर सम्मेलन के समापन पर आप कुछ ऐसी कार्यशील रणनीति लेकर आएंगे जिनसे आप अपने कारोबार के जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे।

आप सभी को धन्यवाद।

○○○

आधुनिक बैंकिंग में प्रभावी जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

आधुनिक बैंकिंग में प्रभावी जोखिम प्रबंधन न केवल आवश्यक, अपितु अपरिहार्य है। बैंकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में वित्तीय मध्यस्थता और परिपक्वता परिवर्तन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बैंकों के पास उपलब्ध चलनिधि देयता प्रोफाइल के एक साथ निकासी का भारी खतरा बना रहता है। इस एक प्रक्रिया में ही वे विविध प्रकार के जोखिमों का या तो निर्माण करते हैं या उनका सामना करते हैं। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम तीनों का बैंकों के निष्पादन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अन्य कई प्रकार के और भी जोखिम हैं जो आन्तरिक अथवा बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं और बैंकों को दैनिक कार्यों में उनका सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंक अधिकतर व्यापारिक गतिविधियां लाभ को ध्यान में रखकर करते हैं और परिचालन प्रतिफलों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में उनका व्यापार जोखिमोन्मुख बन जाता है। साथ ही, ये बैंक अपना परिचालन न केवल उधार की धनराशि और अत्यधिक लीवरेज पर करते हैं, अपितु वे विभिन्न प्रकार

की वित्तीय सेवाएं भी देने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार प्रतिफलों को पाने की चाहत से जोखिम में भी गुणात्मक वृद्धि होने लगती है।

आज वैश्वीकरण और वित्तीय नवोन्मेष के युग वाली 21वीं शताब्दी में बैंकिंग संस्थान नित नये उत्पादों और सेवाओं के साथ विभिन्न महाद्वीपों में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बैंकिंग के लिए जोखिम भी अत्यन्त जटिल हो गया है। बैंकिंग किसी भी अर्थव्यवस्था में जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि इसमें जनता का धन दांव पर लगा होता है और यह अत्यंत लिवरेज्ड भी है। इस कारण भी आधुनिक बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन बैंकिंग कारोबार से जुड़ा है क्योंकि सभी पणधारियों के हितों की सुरक्षा करना अनिवार्य है।

दुनियाभर में बैंकों को अभिशासित करने वाली जोखिम प्रबंधन नीतियों में सभी देशों में व्यापक अंतर पाया जाता है, जो बैंकिंग संस्थाओं के वैश्वीकरण में एक गंभीर बाधा सिद्ध हुआ है। एक समान स्तरीय नीति-नियमों के अभाव में अंतरदेशीय एवं अंतर बैंक तुलना करना कठिन हो जाता है।

भारत में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में सतही तौर पर परिवर्तन दृष्टिगत हैं और बैंकिंग अर्थव्यवस्था भी इन परिवर्तनों का अपवाद नहीं है। आर्थिक सुधार प्रक्रिया जनित इन परिवर्तनों के कारण इन क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप उत्पन्न परिवर्तनों में बैंकों के स्वामित्व का ढांचा, कोष उपलब्धता, कोषों की लागत एवं आय के अवसर, शुल्क आधारित तथा आय आधारित सुविधा विस्तार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के उधारों का प्रबंधन तथा बैंकिंग क्षेत्र में कार्य निष्पादन



श्री सुबह सिंह यादव
सहायक महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर

से संबंधित समस्त आयामों में अंतरराष्ट्रीय परंपराओं एवं नियमों का प्रयोग सम्मिलित है। फिर भी मौलिक रूप से बैंकिंग का आधार कम लागत में जमा राशियां जुटाना और सर्वोत्तम ढंग से उनका लाभप्रद प्रयोग करना है। इसके समानांतर निजीकरण एवं अविनियमन ने भी बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है जिसके कारण बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिससे यह जोखिम भी अत्यंत जटिल एवं व्यापक हो गया।

आर्थिक सुधार एवं जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी इन सुधारों का प्रभाव परिलक्षित हुआ तो बैंकिंग में विवेकपूर्ण मानदंड लागू किये गये और ऐसी स्थिति में लाभप्रदता में वृद्धि इनके अस्तित्व का मूलाधार बना। अब बैंकों का मूल्यांकन पूंजी पर्याप्तता, इक्विटी व आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी लाभ आदि मानदंडों के आधार पर किया जाने लगा। यह दृष्टिकोण कदाचित् सामयिक एवं प्रासंगिक भी है क्योंकि अविनियमनकारी उपायों से उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बैंकों को घटते हुए शुद्ध ब्याज फैलाव, लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव एवं ऐसी अन्य संबद्ध आकस्मिकताओं का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके चुनौतीपूर्ण समाधान के लिए भारतीय बैंकिंग एकाएक तैयार नहीं थी। इसी क्रम में 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केमल्स मॉडल की शुरुआत की जिसके अंतर्गत पूंजी आस्तियों का गुण प्रबंधन, लाभ अर्जन क्षमता, तरलता व बैंकिंग की रेटिंग में प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी। इस दृष्टि से बैंकों के लिए यह सहज भाव से अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने व्यवसाय में अंतर्निहित जोखिमों को समुचित रूप से चिह्नित करें तथा उनके प्रभावशाली प्रबंधन हेतु तदनुसारी कारगर कदम उठाएं ताकि उन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानदंडों को प्राप्त किया जा सके जिनकी वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की स्थिति में महती आवश्यकता है।

अमेरिकी डाउनग्रेड और यूरोजोन सरकारी संकट जैसे प्रलयकारी और भविष्य सूचक घटनाओं ने विश्व एवं भारत को हिला कर रख दिया जिससे वर्ष 2011 में आस्ति मूल्यों

और मुद्रा के मूल्य में अभूतपूर्व एवं अत्यधिक अस्थिरता देखी गई जिसके परिणामस्वरूप जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता आवश्यक रूप से केन्द्र में आ गई। अतः धुंधले, आघातपूर्ण, निराशाजनक एवं दुर्बल वित्तीय स्थिति जब-जब भी पैदा होती है, तब-तब जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता स्पष्ट रूप से सामने आती है।

जोखिम की अवधारणा

जोखिम को ऐसी अनिश्चितता के रूप में देखा जाता है जिसके परिणाम विपरीत निकलने की संभावना बनी रहती है। यूं तो किसी भी कार्य के साथ जोखिम जुड़ा रहता है, प्रत्येक कार्य का परिणाम लाभ, हानि या हास के रूप में हो सकता है - पर जोखिम को सामान्य तौर पर वित्तीय परिणामों अर्थात् वित्तीय जोखिम के रूप में ही देखा जाता है। वित्तीय जोखिम को एक ऐसी अनिश्चितता के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके परिणाम से लाभार्जन में प्रतिकूलता या घाटा होने की संभावना हो। दूसरे शब्दों में जोखिम को वित्तीय परिणाम वाली एक ऐसी गैर नियोजित घटना के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हानि की संभावनाएं हों या लाभ में कमी की आशंका हो। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, आकस्मिक जोखिम, प्रतिस्पर्धा जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, व्यापार जोखिम आदि गैर वित्तीय जोखिम के अन्तर्गत आते हैं। गैर-वित्तीय जोखिम भी वित्तीय जोखिम के रूप में परिवर्तित हो सकती है।

बैंकिंग कारोबार में जोखिम

वाणिज्यिक बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त, खुदरा बैंकिंग व्यापार लेनदेन एवं विनियोग बैंकिंग तथा विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं मिलकर बैंकिंग के मुख्य कारोबार के सारभाग का निर्माण करती हैं। इस कारोबार की प्रत्येक पंक्ति में कई उप समूह तथा प्रत्येक उप समूह में विभिन्न गतिविधियां समाहित हैं। बैंकों के ग्राहक वर्ग में भी खुदरा उपभोक्ता संभाग से लेकर मध्य स्तरीय बाजार, कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेट घराने और अन्ततः वित्तीय संस्थाएं तक शामिल हैं जो आगे दी गई सारणी से स्पष्ट है :

कारोबार पंक्ति	उप समूह	गतिविधियाँ
कॉरपोरेट वित्त	कॉरपोरेट वित्त, नगर निगम/सरकारी वित्त, मर्चेन्ट सलाहकार सेवाएं	संविलयन एवं अधिग्रहण अभिलेखन, निजीकरण, प्रतिभूतीकरण शोध, सरकारी ऋण, ऋण एवं सिण्डिकेशन, आईपीओ, द्वितीयक, निजी संस्थापना।
व्यापार एवं विक्रय	बिक्री बाजार बनाना, प्रोप्राइटरी स्थान/जगह कोषागार	संविधि आय, इक्विटी, विदेशी विनिमय, पण्य वस्तुएं, कोष प्रदान करना, स्वयं स्थिति की प्रतिभूतियाँ, ऋण प्रदान करना एवं रेपोज दलाली।
खुदरा बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग, निजी बैंकिंग कार्ड सेवा	खुदरा ऋण एवं जमाएं, बैंकिंग सेवाएं, ट्रस्ट एवं बिक्री, निजीकरण एवं जमाएं, बैंकिंग सेवाएं, ट्रस्ट एवं विनियोग सलाह मर्चेन्ट / वाणिज्यिक/कॉरपोरेट कार्ड एवं खुदरा संभाग।
वाणिज्यिक बैंकिंग	वाणिज्यिक बैंकिंग	परियोजना वित्तपोषण, स्थावर संपदा, निर्यात वित्त, व्यापार वित्त, फैक्टरिंग लीजिंग, ऋण देना, गारंटी, विनिमय बिल।
भुगतान निपटान	बाह्य ग्राहक	भुगतान एवं संग्रहण, कोष अंतरण, समाशोधन एवं निपटान।
एजेंसी सेवा	कस्टडी कॉरपोरेट एजेंसी, कॉरपोरेट ट्रस्ट	निलम्ब लेख, डिपॉजिटरी रसीद, प्रतिभूतियों पर ऋण देना, कॉरपोरेट कार्य, निर्गमन एवं भुगतान एजेन्ट।
आस्ति प्रबंधन	विवेकाधीन एवं गैर-विवेकाधीन कोष प्रबंधन	इकट्टे किये हुए, अलग अलग किये हुए, छोटे हुए, खुदरा, संस्थागत, बंद-खुले।
खुदरा दलाली	खुदरा दलाली	क्रियान्वयन एवं पूर्ण सेवा।

प्रत्येक संभाग के लिए और यहां तक कि एक-सी सेवाओं के लिए भी बैंकिंग पर्याप्त रूप से अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए ऋण देने वाली गतिविधियों का विस्तार खुदरा बैंकिंग से लेकर विशिष्टीकृत वित्त हो सकता है। यहां तक कि विशिष्टीकृत वित्त का भी विशेष क्षेत्रों से लेकर मानक व्यवहारों/पद्धतियों तक विस्तार किया जा सकता है, जैसे निर्यात और पण्य वित्तपोषण से संचरित वित्तपोषण इसके निहितार्थ हैं। बड़े तथा जोखिम भरे लेनदेन को संभव बनाने के लिए परियोजना वित्तपोषण अथवा कॉरपोरेट अधिग्रहण इसके उदाहरण हैं। बैंक वित्तीय उत्पादों तथा डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) को इकट्ठा भी करते हैं और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप विशिष्टीकृत वित्तपोषण के एक भाग के रूप में अपने ग्राहकों को उसे पैकेज के रूप में प्रदान करते हैं।

ग्राहकों के सभी संभागों में उत्पाद पंक्तियां भी अलग-अलग होती हैं। मानक उधार देने वाले उत्पादों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण होते हैं जिनके अंतर्गत सुस्पष्ट/सुनिश्चित चुकौती

के साथ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण, मांग ऋण तथा बिल क्रय एवं बिल पुनःकटौती सुविधाएं, नकद ऋण इत्यादि जैसी कई विभिन्न ऋण पंक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। खुदरा पंक्ति में बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं जैसे ऑटो ऋण, गृह, भवन ऋण इत्यादि। बैंक गारंटी तथा लेटर ऑफ क्रेडिट भी देते हैं जो ऑफ बैलेन्स शीट लेनदेन के रूप में होते हैं। विभिन्न संभागों और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न जमा उत्पाद भी उपलब्ध हैं। बैंक सावधि आय प्रतिभूतियां, शेयर, विदेशी विनिमय व्यापार तथा डेरिवेटिव जैसे बाजार उत्पादों को भी वित्त उपलब्ध कराते हैं। मानक स्वैप एवं आप्शंस इसके उदाहरण हैं। वित्तीय सेवाओं के अविनियमन, वैश्वीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ने नये-नये उत्पाद एवं प्रणालियां विकसित की हैं।

सभी कारोबार पंक्तियों को प्रबंधित करने का मूल मंत्र है- वृद्धिशील जोखिम समायोजित प्रतिफल, जो सभी कारोबार पंक्तियों में सामान्य घटक है लेकिन प्रबंधन पद्धतियां प्रत्येक

कारोबार पंक्तियों और उप समूहों एवं गतिविधियों में अलग-अलग हो सकती हैं क्योंकि विभिन्न कारोबार पंक्तियों/गतिविधियों की लाभदायकता भिन्न-भिन्न हो सकती है। यही बात उनसे संबद्ध जोखिम घटकों के बारे में भी लागू होती है। जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से बैंकिंग कारोबार पंक्तियों को तीन प्रमुख शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बैंकिंग बहियां, कारोबार पोर्टफोलियो तथा ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोज़र।

जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम अपरिहार्य होने के कारण जोखिम प्रबंधन बैंकिंग गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोखिम की सन्निहित संभावना को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाना ही मोटे तौर पर जोखिम प्रबंधन है। जोखिमरहित बैंकिंग की कल्पना असंभव है। इस अर्थ में बैंक एवं जोखिम का चोली दामन का संबंध है, वे एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।

परिचालनात्मक जोखिम भारतीय संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुभव के आधार पर ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम की चुनौतियों से परिचालनगत जोखिम की चुनौतियां अधिक गंभीर हैं क्योंकि बैंक का कार्य धन से जुड़ा हुआ है, अतः आंतरिक एवं बाह्य धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। परिचालनात्मक जोखिम असहायता एवं असक्षमता का जोखिम है एवं इनसे जुड़े मुद्दे काफी जटिल एवं अधिक लागत वाले हैं। वित्तीय सेवाओं के अविनियमन, वैश्वीकरण एवं कम्प्यूटीकरण ने नये नये उत्पाद एवं प्रणालियां विकसित की हैं। बैंक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का आयुवर्ग भी काफी महत्वपूर्ण है। जटिलताओं को समझने में काफी समय लगता है। जोखिम प्रबंधन मानव जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो इसे अन्यो से अलग करता है और उसके अस्तित्व और विकास में सहायता करता है। यह सत्य है कि जोखिम हर जगह है, लेकिन वित्तीय जगत में इस जोखिम को संख्यावाची बनाने और उसका प्रबंधन करने के कई उपाय किये गए हैं। यहाँ पर इस बात को समझना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन के द्वारा जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन शून्य नहीं किया जा सकता।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन को जोखिम की पहचान, माप, निगरानी,

नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उठाए गये जोखिम की तुलना में प्राप्त प्रतिफल समुचित हैं और उठाए गये जोखिम, उसकी प्रवृत्ति और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आरक्षी निधि रहे ताकि इनकी शोधन क्षमता और स्थिरता के लिए अल्पावधि अथवा दीर्घावधि दोनों में ही कोई खतरा उत्पन्न न हो।

जोखिमों की मात्रा के निर्धारण और उनके बारे में सूचना देने के लिए तौर तरीके विकसित करने पर विभिन्न स्तरों पर संगठनों के अन्तर्गत व्यक्तिगत जोखिम उठाने वालों, संगठनात्मक इकाइयों, समग्र संस्था और अभी बिल्कुल हाल में समग्र वित्तीय प्रणाली स्तर पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पहले बैंकों के पास जोखिम प्रबंधन के ढांचे के अंतर्गत कोई प्रणाली नहीं थी। वस्तुतः बैंकों के समग्र आस्ति देयता प्रबंधन, प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन के कुछ प्रावधान विद्यमान रहे हैं।

आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में इस जोखिम प्रबंधन ढांचे का विस्तार (तुलन-पत्र की इतर स्थितियों सहित) आस्ति देयता के सभी वर्गों में जोखिम की माप करके एक अधिक बड़े 'जोखिम अभिमुखीकरण' अभियान के अंतर्गत करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक बैंकिंग में प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर इसलिए अधिक ध्यान दिया जाने लगा कि वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है-

- 1) जहाँ अस्थिरता के साथ वृद्धि हुई वहीं वित्तीय बाजारों पर से नियंत्रण हटाया गया।
- 2) बैंकों के उधार देने और उधार लेने के परंपरागत कार्यों से हटकर उनकी गतिविधियों में विस्तार हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करना, प्रतिभूतियों की अंडरटेकिंग और कंपनियों को परामर्श देना शामिल है।
- 3) वित्तीय प्रणाली के आपसी सहसंबंध में वृद्धि होने के साथ-साथ जटिल वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का उदय हुआ।
- 4) पूरे विश्व में विनियामकों ने भी बैंकों से उनकी जोखिमों के

अनुरूप पूंजी व्यवस्था करने की अपेक्षा करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

5) जटिल उत्पादों की वृद्धि के साथ-साथ प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव संबंधी उत्पादों की भूमिका बढ़ी। नये जटिल उत्पाद बाजार में जैसे-जैसे बढ़ते गये, उनके मूल्य निर्धारण के मामले में चुनौतियां पैदा होने लगीं और साथ ही उनके नकदीकरण में कठिनाइयां और पारदर्शिता में भी कमी आने लगी। अमेरिकी कांग्रेस के एक दल की 2009 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कम गुणवत्तावाली आस्तियां कितना जोखिम पैदा करेंगी... यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कम गुणवत्तावाली आस्तियां कितनी हैं। लेकिन इस बात को निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता... जोखिमग्रस्त आस्तियों की डॉलर में ठीक-ठीक राशि का निर्धारण करना बिल्कुल असंभव है, यहां तक कि विश्वसनीय आकलन करने की चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं...

6) 2008-09 के वित्तीय संकट ने बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन के ढांचे के महत्त्व को और अधिक बढ़ा दिया। अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि किसी कारोबार से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त ध्यान रखे बिना किसी कारोबार मॉडल को अपना लेना महत्त्वपूर्ण बात थी, विशेषकर उस स्थिति में जब कारोबार आर्थिक मंदी के शिकार थे। पर इसने मूल्य निर्धारण संबंधी जोखिमों और विशेष रूप से आर्थिक चक्र के उछाल के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने के प्रयास में जोखिमों को कम करके आंकने की प्रवृत्ति के खतरों को भी रेखांकित किया है। इसने जोखिमों और आघातों के प्रति वित्तीय संस्थाओं का लचीलापन सुनिश्चित करने, आंतरिक नियंत्रणों, कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन के महत्त्व को भी केंद्र बिंदु में ला खड़ा किया है। कहने का आशय यह है कि बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन की चुनौती विगत दो से तीन दशकों से निरंतर जटिल होती जा रही है।

परिष्कृत प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रभावी जोखिम प्रबंधन

उपर्युक्त गतिविधियों ने जोखिम प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाने का काम किया है। जोखिम प्रबंधन की विधियां पहले मुख्यतः अनौपचारिक एवं अपेक्षाकृत सरल थीं। वे ज्यादातर अपनी आंतरिक समझ पर आधारित थीं तथा

उसके लिए अपनाये गये तौर तरीके पुराने एवं अपरिष्कृत थे। हाल ही के वर्षों में जोखिम प्रबंधन ने एक प्रभावी एवं नया स्वरूप ग्रहण किया है - एक ऐसा स्वरूप जो जटिल है तथा जिसके लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में जोखिम प्रबंधन सूचनाओं पर आधारित है जो उन्नत सांख्यिकी तकनीक पर निर्भर करता है।

किसी भी अन्य व्यवसाय की भाँति बैंकिंग व्यवसाय में भी जोखिम समग्र स्तर पर इसके निवल नकदी प्रवाह की भिन्नता पर निर्भर करेगा। इस प्रकार समग्र नकदी प्रवाह में विचरण एवं विभिन्नता को प्रबंधित करना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है तथा पोर्टफोलियो जोखिम को भी प्रबंधित करना चाहिए। इस प्रकार बैंकिंग व्यवसाय लेनदेन (सौदा) स्तर तथा समग्र स्तर पर निर्देशित किया जाता है। बैंकों का निवल नकदी प्रवाह कई मिलियन सौदों से उत्पन्न होता है। उसके साथ जोखिम भी जुड़ा है, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं चूंकि व्यक्तिगत नकदी प्रवाह कुल नकदी प्रवाह को प्रभावित करते हैं, इसलिए लेनदेन के स्तर पर जोखिम को प्रबंधित किया जाना चाहिए।

जोखिम वहन सीमा

जोखिम प्रबंधन जोखिम की पूरी समाप्ति या उससे पूरी सुरक्षा के संबंध में नहीं है, बल्कि पहले इसे निर्धारित करना है, जैसे किसी जोखिम की सीमा, जोखिम सहने की सीमा और फिर किसी संस्था का वर्तमान जोखिम, फिर चाहे वह मुद्रा, ब्याज, पण्य मूल्य का जोखिम हो, जिसमें उसकी जोखिम सहन करने की सीमा भी होगी। अब यह जोखिम भावी परिणामों की अनिश्चितता होती है, जैसे कि नकदी प्रवाह। वित्तीय सिद्धान्त और प्रथा के अनुसार यह पारंपरिक रूप से आस्ति मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन की समय श्रृंखला के वार्षिकीकृत मानक विचलन से नापी जाती है। जहाँ वित्तीय प्रतिलाभ के लिए वित्तीय जोखिम लेना बैंकिंग/वित्तीय जोखिम में सामान्य बात है, वहीं यही बात उद्योग तथा कारोबारी क्षेत्र में लागू नहीं होती। कारोबार तथा उद्योग में प्रमुखतः शेयर धारकों को शेयरों पर बाजार प्रतिस्पर्धी प्रतिलाभ देने के लिए जोखिम लिया जाता है।

अब इस बात पर सहमति बन गई है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

की अनिश्चितताओं का असर व्यापार वित्त, वस्तु मूल्य और विश्वास माध्यमों जैसे अनेक माध्यमों के जरिये विकासशील देशों पर पड़ रहा है। ये अनिश्चितताएं उभरते बाजार के पूंजीगत प्रवाह की अस्थिरता को दर्शाती हैं जिसका असर देशी वित्तीय बाजार की चर वित्तीय अस्थिरता में दिखता है। वैश्विक गतिविधियों के साथ जुड़े होने के बावजूद कई ऐसे देशी कारक हैं जो देशी वित्तीय बाजार में अस्थिरता की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे बढ़ता चालू खाता घाटा, धीमी वृद्धि दर, बढ़ता राजस्व घाटा और अवरुद्ध मुद्रास्फीति आदि।

वित्तीय बाजार से जुड़ी अनिश्चितता और अस्थिरता निकट भविष्य में भी 'नये सामान्य' (New Normal) के रूप में बनी रहने की संभावना है जो बैंकों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। बाजार जोखिम में तुलनात्मक दृष्टि से शीघ्र परिवर्तन के कारण यह जोखिम सबसे अधिक सक्रिय है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार जोखिम के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र पर जो दबाव परीक्षण परिणाम सामने आये थे, उससे विदित होता है कि बैंकों को बाजार मूल्य में तेजी से उतार-चढ़ाव का खतरा है। बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जिसे व्यावसायिक व्यापारी कम से कम वृद्धि की संभावना के होने के चलते उठा लेते हैं जबकि ऋण जोखिम के संबंध में ऐसा नहीं है और परिचालनगत जोखिम के संबंध में यह और भी अधिक जोखिम भरा होगा।

अनेक ऐतिहासिक एवं व्यावहारिक दोनों कारणों से बाजार व ऋण जोखिम को प्रायः माना जाता है कि वे जोखिम के ऐसे स्रोत हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है अर्थात् जोखिम प्रकार को अलग-अलग मापा गया है एवं उसे अलग-अलग रूप से व्यवस्थित किया गया है।

बाजार जोखिम और ऋण जोखिम में अंतर प्रायः ऋण जोखिम की चूक (वास्तविक या प्रत्याशित) के साथ पहचान करके किया जाता है। चूक को पूर्व निर्धारित बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यद्यपि समान आर्थिक कारक इन दोनों प्रकार के जोखिम को प्रभावित करते हैं तथापि व्यावहारिक जोखिम माप और प्रबंधन में स्पष्ट अंतर करना बहुत कठिन है। भले ही, अंतर कारक जोखिम के दोनों प्रकारों से अलग-अलग संबंधित हो सकते हैं, कारक आस्ति वर्ग को

निर्धारित करने में अक्सर एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और इसलिए जोखिम माप और प्रबंधन को उनके संयुक्त प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। व्यवहार में बाजार जोखिम और ऋण जोखिम में लिखत, बाजार तरलता, लेखांकन व्यवहार या धारिता के आधार पर अक्सर अपेक्षाकृत साधारण तरीके से अंतर किया जाता है।

व्यावहारिक साक्ष्य यह बताते हैं कि ऐसे मामले जिनमें संयुक्त जोखिम विविधीकरण प्रभाव की तुलना में 'यौगिक प्रभाव' वाले घटकों का जोड़ अधिक होता है, वहां इन दोनों जोखिमों का आकलन अलग-अलग करना चाहिए। इसका एक स्पष्ट उदाहरण विदेशी मुद्रा ऋण है जो कई देशों की ऋण राशि का एक भाग होता है। किसी बैंक द्वारा देशी उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में दी गई उधार राशि में बाजार जोखिम (विनिमय दर जोखिम) और ऋण जोखिम (उधारकर्ताओं का चूक जोखिम) शामिल होता है।

अब इन दोनों जोखिमों का आकलन अलग-अलग करना होगा। उदाहरण के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में देशी उधारकर्ताओं की चूक करने की संभावना बढ़ जाती है। घरेलू मुद्रा में गिरावट आने की स्थिति में घरेलू मुद्रा में ऋण का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित होता है। इसलिए सतही स्तर पर यह प्रतीत होता है कि दो प्रभाव एक दूसरे को बराबर करते हैं। किंतु यह तर्क इस प्रकार के समझौते में विनिमय दर परिवर्तन और चूक जोखिम के बीच मजबूत संबंध को अस्वीकार करता है। स्वदेशी उधारकर्ता की विदेशी मुद्रा में ऋण चुकता करने की क्षमता विनिमय दर (जब तक स्वदेशी उधारकर्ता के पास विदेशी मुद्रा जिसमें ऋण मूल्यवर्गित है, न हो) में उतार-चढ़ाव पर अरैखिक तरीके पर निर्भर करती है। देशी मुद्रा में अमूल्यन का प्रभाव चुकौती राशि पर पड़ता है।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के उपाय

बेहतर जोखिम प्रबंधन उपायों के संबंध में नई विशेषताओं का समावेश किया जा सकता है जिनमें एकरसता, अंतरण से अप्रभावित समरूपता और उपयोगितात्मकता सम्मिलित हैं, इन जोखिम उपायों को तकरीबन सभी स्थितियों के अनुकूल सुसंगत माना गया है। यह भी पाया गया है कि जोखिम मूल्य

ऊपर वर्णित पहली तीन स्थितियों का समाधान करता है, जबकि उपयोगितात्मकता का समाधान नहीं करता जिसके लिए यह आवश्यक है कि दो पोर्टफोलियो के जोखिम उपायों को आपस में मिलाने से पहले के उनके जोखिम उपाय के कुल योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

तथापि, साधारण और बेहतर विकल्प की कमी को देखते हुए जोखिम मूल्य को जोखिम मूल्य मॉडल की यथार्थता की जांच करने के लिए बैंक टेस्टिंग, अन्य उपायों में संभव प्रतिकूल बाजार स्थितियों के संभाव्य प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दबावग्रस्त जांच तथा परिदृश्य विश्लेषण जैसे अन्य पहलुओं के साथ जोड़कर प्रयोग करना जारी रखा जा सकता है।

उन्नत बाजार जोखिम दृष्टिकोण के संबंध में बैंक को बैंक टेस्टिंग (Back Testing) के चलते होने वाले अपवादों की संख्या के आधार पर अपने बैंक टेस्टिंग परिणामों को तीन हिस्सों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ा खतरनाक लाल क्षेत्र (Red Zone) है, यदि बैंक टेस्ट दस या दस से अधिक अपवाद देता हो, जिनमें जोखिम मूल्य और दबावग्रस्त जोखिम मूल्य दोनों के लिए गुणन कारक तीन से बढ़कर चार हो जाएंगे। किसी असाधारण स्थिति में ही भारतीय रिज़र्व बैंक दस से अधिक अपवाद की अनुमति देता है। रिज़र्व बैंक की अपेक्षा यह है कि बाजार जोखिम के संबंध में जिस बैंक का मॉडल खतरनाक (लाल) क्षेत्र में आ जाएगा, उस बैंक को या तो उसे बंद करना होगा या फिर उसमें सुधार करना होगा।

बाजार जोखिम पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण अपनाने वाले बैंकों को इस प्रकार के संभाव्य दबावों का समाधान करने के लिए कठोर और व्यापक दबावग्रस्त परीक्षण कार्यक्रम लागू करते रहना चाहिए। दबावग्रस्त परीक्षण निम्नलिखित समाधानों के उद्देश्य से करने होंगे-

(अ) संकेन्द्रण जोखिम; (ब) दबावग्रस्त बाजार स्थितियों में बाजार की अतरलता; (स) एक मार्गी बाजार; (द) इवेंट एण्ड जम्प टू डिफाल्ट रिस्क; (य) उत्पादों की गैर रैखिकता; (ल) मुद्रा अंतर के अधीन स्थितियाँ और (व) अन्य जोखिम जिन्हें जोखिम मूल्य मॉडल (उदाहरण के लिए वसूली दर अनिश्चितता सहसंबंध और विकिरण जोखिम) में समुचित रूप से शामिल नहीं

किया जा सकता। जोखिम मॉडल वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप गहन सुरक्षा के अधीन आया है और जोखिम मॉडल के पर्यवेक्षण, निर्धारण और मूल्यांकन के अभिशासन को जोखिम प्रकार्य और बैंकिंग उद्योग के लिए बहुत महत्त्व दिया गया है। बैंक के पास एक मॉडल वैधीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए जो मॉडल के तीन घटकों का समाधान करती हो :

- इन्पुट घटक मॉडल जो आंकड़े और पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है,
- एक मॉडल संसाधित घटक जिसमें सैद्धान्तिक मॉडल और कम्प्यूटर कोड शामिल होता है और जो मॉडल इनपुट को गणितीय अनुमानों में बदलता है तथा
- एक रिपोर्टिंग घटक जो गणितीय अनुमानों को उपयोगी कारोबार सूचना में बदलता है।

जोखिम प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए वैश्विक उपाय

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बासेल-III के रूप में एक एकीकृत सुधार पैकेज को वैश्विक विनियामक पैकेज के रूप में प्रवर्तित किया गया ताकि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ एवं आघात-सहन करने योग्य बनाया जा सके। ये सुधार बैंक के जोखिम प्रबंधन के संबंध में पूंजी चलनिधि, लीवरेज और समष्टि विवेकपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन में बासेल-III की भूमिका उसकी विलक्षणताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जैसे-

1. यह बैंकों के पास जमा हानि को सोखने वाली पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने का प्रयास करता है।
2. बासेल-III पूंजी ढांचे की जोखिम कवर करने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के प्रति उन्मुख है ताकि विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों, तुलन-पत्र इतर मर्दों में निहित प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों और व्युत्पन्नी सौदों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिपक्षी जोखिम को कम किया जा सके।
3. प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए इसमें विनियम बनाए गए हैं और प्रचक्रियता को सीमित करने के लिए प्रतिचक्रिय पूंजी अपेक्षाएं लागू की हैं।
4. प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (G-SIB) के लिए एक ढांचा भी तैयार किया है।

5. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIB) के लिए भी एक ढांचा तैयार किया है ताकि अंतर सहसंबद्धता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंध किया जा सके। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (D-SIB) माना जाएगा।
6. जोखिम आधारित पूंजी ढांचे की मदद के लिए साधारण सुरक्षा कवच सुविधा प्रदान करने के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय सुसंगत लीवरेज अनुपात लागू किया गया है ताकि प्रणाली में अत्यधिक लीवरेज निर्माण को रोका जा सके।
7. बासेल-III के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि बैंक साधारण इक्विटी की राशि को जनवरी 2019 तक बढ़ाकर आस्तियों के 4.5 प्रतिशत तक ले जाएं जो अभी बासेल-II में 2 प्रतिशत है। टियर-1 पूंजी के लिए न्यूनतम अपेक्षा अब बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है।
8. बासेल-III अपेक्षाओं में जो नये घटक शामिल किए गए हैं, उनमें पूंजी संरक्षण बफर के और प्रतिचक्रिय पूंजी बफर के रूप में पूंजी की अतिरिक्त परत, अल्पावधि चलनिधि कवरेज अनुपात और दीर्घावधि ढांचागत निवल स्थायी वित्तीयन अनुपात के रूप में न्यूनतम चलनिधि अपेक्षाएं, जोखिम आधारित पूंजी ढांचे के सुरक्षा कवच के रूप में लीवरेज अनुपात और महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव शामिल हैं।
9. स्तंभ-2 और 3 के अंतर्गत पर्यवेक्षणीय समीक्षा प्रक्रिया और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए मानकों को बढ़ाकर, साथ ही साथ मूल्यांकन पद्धतियों, दबाव जाँच, चलनिधि जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट अभिशासन एवं क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त दिशा-निर्देश शामिल करते हुए, बासेल-III के ढांचे में भी कुछ बढ़ोत्तरी की गई है।
10. पूंजी संरक्षण बफर साधारण इक्विटी का 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा के अतिरिक्त होगा और इस प्रकार कुल साधारण इक्विटी अपेक्षा 7 प्रतिशत होगी। इसका उल्लंघन करने पर लाभांश भुगतान पर रोक लगाई जाएगी ताकि न्यूनतम इक्विटी अपेक्षा

को पूरा किया जा सके। वित्तीय और आर्थिक दबाव की स्थिति में इस पूंजी बफर का उपयोग किया जा सकेगा। इन उपायों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं :

- (अ) सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी के ढांचे को मात्र औपचारिकता के रूप में देखने के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन आने के साथ-साथ उसे बैंक को सुदृढ़, स्थिर रखने के लिए एक ऐसी पूर्वशर्त के रूप में देखना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता अर्जित की जा सकती है,
- (ब) जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंकों की क्षमता प्रभावी तथा बहुमुखी हो, और
- (स) आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों और उच्च कोटि के हों।

भारतीय बैंकों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन का आधुनिक स्वरूप

1991 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार आरंभ होने के साथ भारत में जोखिम प्रबंधन मानकों में सुधार दृष्टिगोचर हुआ। बैंकों की पहुँच और कारोबार की मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है। साथ ही, परिचालकों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, जिसमें जोखिम संस्कृति पर दिये जाने वाले ध्यान की व्यापक समीक्षा की गई है, जोखिम संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया गया और फलस्वरूप बैंकों ने वित्तीय संकट के चलते अपने जोखिम अभिशासन ढाँचे में कल्पनातीत परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए बैंकों की बोर्ड जोखिम समिति काफी व्यापक है, जहां इसके सदस्यगण को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कारण मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका भी वरिष्ठता और स्तर की दृष्टि से निरंतर बढ़ती गई जो अब या तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति अथवा संयुक्त रूप से मुख्य कार्यपालक और जोखिम समिति के प्रति जवाबदेह हैं। हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी उपर्युक्त सर्वेक्षण में यह खेद अवश्य प्रकट किया गया है कि बैंकिंग उद्योग में पर्याप्त जोखिम पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए बोर्डरूम के बाहर और कारोबार इकाइयों में सन्निहित जोखिम संस्कृति की प्रक्रिया

से जूझना पड़ता है। इस संबंध में संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सुदृढ़ जोखिम संस्कृति को स्थापित करने के लिए और अधिक कार्य करने की जरूरत भी इस सर्वेक्षण में दर्ज की गई है।

इसी क्रम में वित्तीय सेवा उद्योग के कारोबार निर्णयों में जोखिम वहन क्षमता (जोखिम अभिशासन का एक अभिन्न भाग है) को शामिल करना एक चुनौती माना गया, अतः वित्तीय संकट के दौरान यह चिह्नित किया गया कि बोर्ड की अपेक्षा है कि शेयर मूल्य और लाभ की तुलना में अपनी रणनीतियों से जुड़े जोखिम पर अधिक ध्यान दिया जाए। ऐसा करते समय मुख्य जोखिम अधिकारी को और अधिक अधिकार दिये जाएं ताकि वह संगठन में और अधिक जोखिम संबंधी सांस्कृतिक परिवर्तन ला सके। इन परिवर्तनों के चलते जोखिम कार्यपालक प्रतिष्ठा और परिचालनगत जोखिम को कार्यसूची में शामिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी जूझ रहे हैं कि विशेष कारोबार निर्णय जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप लिए गए हैं तथा इसे प्राप्त करने के लिए नये कार्यक्रम भी लागू किये जा रहे हैं।

व्यापक जोखिम मॉडल विकसित करने के लिए नये कार्यक्रम भी लागू किये जा रहे हैं। बैंकों को व्यापक जोखिम मॉडल विकसित करने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक है उपलब्ध ऐतिहासिक और टाइम सिरीज हानि आंकड़े और उनकी गुणवत्ता। प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए स्वतंत्र और समर्पित जोखिम प्रबंधन कार्य के साथ-साथ विशेषज्ञता और तकनीकी निपुणता भी आवश्यक है। एक ओर इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन नीतियां और कुशल मानव स्रोत की सीमित समुचित संख्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिन चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे कुशल कर्मचारियों को संगठन में बनाये रखना भी बहुत कठिन कार्य है।

इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी अपने स्तर पर सक्रिय एवं नियंत्रित उपायों द्वारा बैंकों को सुदृढ़ सुविधा प्रदान की है। प्रचक्रियता और सहसम्बद्धता दोनों से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिम को सीमित करने के लिए भी रिज़र्व बैंक द्वारा एक सुविचारित नीति अपनाई गई है। सन् 2004 में कुछ विशेष क्षेत्रों (Sectors) में आई अत्यधिक तेजी को रोकने के लिए प्रतिचक्रिय

उपाय लागू किये गये थे और पूंजी बाजार, आवास, वाणिज्यिक भू-संपदा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम भारों और प्रावधानीकरण के अनुपातों में उस समय वृद्धि की गई थी जब इन क्षेत्रों में दलदलों का निर्माण हो रहा था। जहां एक ओर बैंकों के साथ सहसंबद्धता कम करने के लिए प्रयास किये गये थे, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के बीच और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम को रोकने के लिए पूंजी बाजार में निहित एक्सपोज़रों को कम करने के लिए भी विनियामक सीमाएं लगाई गई थीं। इस प्रकार की दूरदर्शी समष्टिपरक विवेकपूर्ण पद्धतियों के द्वारा, जो उस समय प्रचलन में नहीं थीं, वैश्विक वित्तीय संकट की पराकाष्ठा के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था को उन प्रतिकूल झटकों से बचा लिया गया था, जिन्होंने विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह से हिला दिया था। यहां तक कि भारत में देश की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बासेल-III को लागू करने के लिए स्तरीय पद्धति अपनाई गई थी। इससे आगे भारत में बासेल-III पूंजी विनियमनों को लागू करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हो चुकी है जिसे चरणबद्ध रूप से 31 मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। यह तारीख बासेल-III संक्रमणकालीन समझौते को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत तारीख के नजदीक भी प्रतीत होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III के जोखिम प्रबंधन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा 01 जनवरी 2013 से प्रारंभ होकर 01 जनवरी 2017 तक चलने वाली समानांतर अवधि हेतु प्रस्तावित न्यूनतम 3 प्रतिशत के टियर-1 लीवरेज अनुपात के विरुद्ध रिज़र्व बैंक ने टियर-1 लीवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत रखा है। बासेल समिति के हालिया प्रस्तावों के मद्देनजर लीवरेज अनुपात के ढांचे में संशोधन प्रस्तावित है।
2. 7 नवंबर 2012 को व्यापक चलनिधि जोखिम प्रबंधन (LRM) संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये। इसके बाद जनवरी 2013 में चलनिधि जोखिम अनुपात के बासेल

- समिति द्वारा प्रकाशित किये गये दिशा-निर्देशों को रिज़र्व बैंक द्वारा शीघ्र ही जारी किया जा सकता है।
3. रिज़र्व बैंक ने मई 2012 में प्रतिभूतीकरण के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था और न्यूनतम होल्डिंग अवधि, न्यूनतम प्रतिधारण अनुपात और उचित तत्परता संबंधी मानदंड लागू किये ताकि प्रवर्तकों और निवेशकों के हितों को रेखांकित किये जाने के साथ-साथ स्वहित की धारणा को लागू किया जा सके और 'वितरण के लिए ही प्रवर्तन' पद्धति को हतोत्साहित किया जा सके।
 4. रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए प्रावधानीकरण बफर बनाने के उद्देश्य से ऐसे समय में प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण दृष्टिकोण की शुरुआत करना चाहता है जब बैंक सामान्यतः लाभ कमा रहे हों ताकि इस बफर का प्रयोग गिरावट के समय हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जा सके। इस दृष्टिकोण से लाभ-हानि खाते में हुए नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सकेगा और बैंक इससे गिरावट के समय भी ऋण प्रदान कर सकेंगे।
 5. रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2013 को केंद्रीय प्रतिपक्षियों में बैंक के एक्सपोज़रों के लिए पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किये थे, उनमें मानकीकृत ओटीसी व्युत्पन्नी सौदों का निपटान पात्र सीसीपी (CCP) के माध्यम से करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है।
 6. रिज़र्व बैंक द्वारा 30 सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से प्रभावी स्तंभ-3 प्रकटीकरण अपेक्षाओं को बढ़ा दिया गया है ताकि विनियामक पूंजी की पारदर्शिता में सुधार लाने के साथ-साथ बाजार अनुशासन को बढ़ाया जा सके।
 7. रिज़र्व बैंक द्वारा 02 दिसंबर 2013 को प्रकाशित महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIB) के साथ व्यवहार ढांचे के मसौदे में यह अपेक्षा की गई है कि उच्चतम प्रणालीगत महत्वपूर्णता के साथ महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIB) के लिए लागू सामान्य इक्विटी पूंजी अपेक्षा को जोखिम भारित आस्तियों (RWA) का 0.8 किया जाए।
 8. 1 अप्रैल 2014 से अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति के पुनरुद्धार के लिए एक ढांचा बनाकर इसे लागू भी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय दबाव की शीघ्र पहचान करना, उधारदाताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान करना और त्वरित समाधान के लिए समन्वित रूप से उपाय करना और उधारदाताओं के लिए समुचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना समाहित किये गये हैं।
 9. रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2014 को विनियामक दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं जिसके द्वारा वित्तीय अंतर सामूहिक लेनदेनों और एक्सपोज़रों (ITE) तथा गैर-वित्तीय अंतर-सामूहिक लेनदेनों (ITES) के लिए विवेकपूर्ण उपायों को लागू किया गया है।
 10. बचावरहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र रखने वाली कंपनियों के एक्सपोज़रों के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण तथा पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
 11. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा 2009 में ठोस दबाव जांच पद्धतियों और पर्यवेक्षण पर जारी सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबाव जांच के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया है। दबाव जांच, जो मूलरूप से भविष्योन्मुखी होती है, से यह आशा की जाती है कि वह मूल्यवर्धित जोखिम (VAR) और आर्थिक पूंजी तथा अनुषंगी जोखिम प्रबंधन जैसे तरीकों, जो कि जटिल गणितीय तरीकों पर आधारित होते हैं और उन्हें पृष्ठोन्मुखी आंकड़ों और अनुमानित सांख्यिकीय संबंधों का उपयोग करते हुए निकाला जाता है, की तुलना में एक अनुषंगी और स्वतंत्र जोखिम दृष्टिकोण प्रदान करेगी।
 12. प्रणालीगत जोखिम को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि भारत में बैंकों के लिए एक प्रतिचक्रिय पूंजी बफर (CCCB) ढांचा बनाया जाए। यह प्रतिचक्रिय पूंजी बफर बैंक की जोखिम भारित आस्तियों के 0 से 2.5 प्रतिशत तक की एकल रेखा में वृद्धिशील होगा जो 3 प्रतिशत अंकों से 15 प्रतिशत अंकों के बीच की अंतर स्थिति पर आधारित होगा।
 13. भारतीय रिज़र्व बैंक ने समग्र जोखिम प्रबंधन संस्कृति को प्रभावी रूप प्रदान करने हेतु बाजार जोखिम, साख जोखिम

और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन इत्यादि पर विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ कॉरपोरेट अभिशासन, योग्य एवं निष्पक्ष, अपने ग्राहक को जानिये/धन शोधन निवारण ऋण सूचना का आदान-प्रदान, ग्राहक सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी समय-समय पर विनियामक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन की चुनौतियाँ

भारतीय बैंकों का वर्तमान पूंजी आधार और चलनिधि स्थिति बासेल-III के शुरुआती दौर की तुलना में आमतौर पर सुखद स्थिति में है, तथापि इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। बैंकों की स्थिति मापने में आस्ति गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है और आस्तियों से जुड़ा प्रावधानीकरण कवरेज है जिसे बैंकों की तनावग्रस्त आस्तियों की तुलना में रखा जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आस्ति गुणवत्ता में विवेकसम्मत मानदंड, सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002, कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (CDR) व्यवस्था, ऋण सूचना कंपनी इत्यादि के आने से काफी सुधार हुआ है। **तथापि बैंक परिचालनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष लाभ प्रबंधन है। बैंकों में लाभप्रदता की सुदृढ़ स्थिति बैंक के स्वास्थ्य और सुदृढ़ता को दर्शाती है और इसका प्रत्यक्ष संबंध इसकी पूंजी निर्माण क्षमता से होता है। दूसरी ओर यदि बैंकों की रणनीतियाँ, कारोबारी मॉडल, योजना एवं परिचालन और जोखिम प्रबंधन कमजोर, अप्रयुक्त अथवा अप्रचलित या समष्टि आर्थिक परिवेश के अनुरूप नहीं है तो उनकी आय या तो कम होगी अथवा उन्हें नुकसान होगा। बैंक की लाभप्रदता इसके द्वारा अपनाए गए कारोबारी मॉडल, आस्ति आधार की गुणवत्ता और प्रकार के साथ-साथ परिचालन कुशलता और कार्यनीतियों में किए गए सकारात्मक परिवर्तनों पर आधारित होती है। किसी भी बैंक के जोखिम प्रोफाइल का आकलन काफी हद तक उसकी आय और व्यय विवरण से भी किया जा सकता है, तथापि जोखिम प्रबंधन और लाभप्रदता प्रबंधन के उद्देश्य के तालमेल पर फिलहाल वांछित जोर नहीं दिया जा रहा है। चूंकि बैंकों की लाभप्रदता अथवा उनकी आय व्यय की योजनाएं तथा निर्णय सीधे-सीधे पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण शोधन क्षमता पर तथा स्थिरता व सुदृढ़ता के**

संबंध में विनियामक सरोकार से जुड़े होते हैं, इसलिए बैंकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए यह जरूरी है कि वे आय और व्यय के घटकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। इससे बैंकों को अधिकतम आय कमाने, लागत एवं व्यय को युक्तिपरक बनाने का अवसर तो प्राप्त होता ही है, साथ में आंतरिक तौर पर परिवर्तन करने तथा अपने कारोबार का मॉडल विकसित करके उद्योग अथवा वर्तमान एवं लाभप्रद बाजार प्रथाओं के अनुसार विविध स्वरूप प्रदान करने की पहल में भी सहायक होता है।

कतिपय सुझाव

- (अ) यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पर्याप्त स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा दी जाए। शायद इसी उद्देश्य से मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है। साथ ही, बोर्ड के स्तर की जोखिम समितियों को अपने दायित्व को सार्थक तरीके से निभाने की जानकारी होनी चाहिए।
- (ब) बैंकों के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्हें जोखिम प्रबंधन नीतियों तथा अन्य संबंधित बातों की जानकारी एवं अनुपालन हेतु प्रेरित करना चाहिए।
- (स) यह भी आवश्यक है कि जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन करते समय विशेषज्ञों की राय अवश्य ली जाए। मॉडल आधारित जोखिम मूल्यांकन के पूरक के रूप में दबाव जांच तथा रिवर्स दबाव जांच एवं बैंक टेस्टिंग को अच्छी तरह से किया जाए।
- (द) बैंकों को जोखिम गवर्नेंस पर अत्यधिक ध्यान देने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड को विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के लिए बनाई जाने वाली उपयुक्त नीतियों एवं रणनीतियों में पूरी तरह से सहभागी होना चाहिए।
- (य) एक प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का होना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है ताकि बोर्ड एवं शीर्ष प्रबंध तंत्र को जोखिम संबंधी समस्त जानकारी समय पर, विश्वसनीय ढंग से दी जा सके। इस प्रक्रिया से कारगर निर्णय लेने से निर्णयात्मक कार्रवाई संभव हो सकेगी।
- (र) जोखिम उठाने की भूख तथा जोखिम वहन करने की क्षमता का स्तर स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए जिसके लिए संभावित आंतरिक एवं बाह्य जोखिम वातावरण के संबंध

में विगत अनुभवों और भावी दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ल) जोखिम प्रबंधन गुणवत्ता तथा निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि करने के लिए 'सन्निहित' (Embeddedness) तथा 'प्रयोग जांच' (Use Test) को प्रोत्साहित किया जाए। ये दोनों चर मात्रात्मक मॉडल में इन्पुट लेने तथा उससे आउटपुट लेने को अपरिहार्य बनाते हैं।

उपसंहार

आधुनिक बैंकिंग अपने नवाचार एवं जटिल उत्पादों के कारण परंपरागत बैंकिंग से व्यापक रूप से भिन्न हो गई है। आर्थिक सुधारों के चलते बैंकिंग क्षितिज पर उभरी रेखाएं तथा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रारूप में बैंकिंग में हुए आमूलचूल परिवर्तनों ने इसे चुनौतीपूर्ण बनाकर अनेक प्रकार के जोखिमों को उत्पन्न कर दिया है। इसके बाद से प्रभावी जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। एक बार जोखिमों की पहचान एवं इसके मापन के बाद ही हम जोखिम को स्वीकार करने अथवा जोखिम पर पूर्णतया एवं आंशिक रूप से काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के द्वारा जोखिम को घटे हुए स्तर पर भी स्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेनदेन की कीमत का निर्धारण उस लेनदेन के जोखिम तत्त्व के अनुरूप ही होना चाहिए। भारत में 2004 से जोखिम प्रबंधन को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के प्रयत्न किए गए। बासेल-III को लागू करने के लिए स्तरीय पद्धति अपनाई गई और उसे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। बासेल-III बैंकों के पास जमा हानि को सोखने वाली पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने का प्रयास करने के साथ-साथ पूंजी ढांचे की जोखिम कवर करने की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य अपने सामने रखता है, ताकि विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों, तुलनपत्रेतर मर्दों में निहित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों और व्युत्पन्नी सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षी क्रेडिट को कम किया जा सके।

दूसरी ओर प्रणालीगत जोखिमों से निपटने के लिए विनियम बनाए गए हैं। फिर भी हमारे यहाँ जोखिम प्रबंधन में कुछ पेशेवर कुशलता का अभाव है जो विकास के प्रति कतिपय रुकावट

के रूप में कार्य करता है। मौजूदा समय में पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना भी स्वागतयोग्य है। इसके लिए कारगर जोखिम प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली की आवश्यकता, उत्पादों और सेवाओं के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, लेखापरीक्षकों की भूमिका, जोखिम-केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा, बोर्ड की भूमिका, मानव संसाधन संबंधी मुद्दे, पर्यवेक्षी संसाधनों का आबंटन तथा पर्यवेक्षकों का क्षमता निर्माण आदि प्रमुख पूर्व शर्तें हैं।

कंपनियों की ओर से भी एक महती जिम्मेवारी की आशा की जानी चाहिए कि वे एक समष्टिपरक परिवेश में अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के प्रति गहन साझेदारी दिखाएं। जोखिम और अभिशासन पर अभी भी अवधारणाएं विकसित हो रही हैं। 2008-09 के वैश्विक संकट ने इस बात पर जोर दिया है कि जोखिमों और आघातों से बचा नहीं जा सकता। इस संकट में यह बात भी सामने आई कि कोई भी वित्तीय संस्था भले ही सुदृढ़ हो लेकिन जब वे सब के सब अपने निजी हितों की सुरक्षा में लगते हैं तो उनकी इन कार्रवाइयों से प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। जोखिम उठाना बैंकों के कारोबार का एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन आज के समय की मांग है।

चुनिंदा संदर्भ

1. मोहन राकेश (2007) 'इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्म्स-फास्टरिंग ग्रोथ व्हाइल कंटेनिंग रिस्क'।
2. ग्रुप ऑफ थर्टी, 'टुवर्ड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन'।
3. रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2012-13'।
4. नीरज, यादव एवं यादव, 'बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां, 2013'।
5. विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (2012) 'बैंक अभिशासन : वित्तीय संकट से सीख'।
6. डेनियलसन, जॉन 'ब्लेम दि मॉडल', जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 4(2008)।
7. हल्डाने, एंड्रयू जी (2012) 'टेल्स ऑफ दि अनएक्सपेक्टेड'।

○○○

वर्तमान बैंकिंग में जोखिम के स्वरूप एवं उनका निदान

बैंकिंग में जोखिम एक अंतर्निहित और अपरिहार्य तत्त्व होता है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश में किसी बैंक की प्रतिलाभ दर, उसके जोखिम प्रबंधन के कौशल से व्यापक रूप से प्रभावित होती है। जोखिम का संबंध भावी अनिश्चितताओं से है। जहां अनिश्चितताएं अधिक हैं वहां जोखिम भी अधिक है। हम देख चुके हैं कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, बेयरिंग्स बैंक (फर. 1995 में), डाइवा बैंक (सितं. 1995 में), मैरिल लिंच तथा लेहमन ब्रदर्स जैसे बड़े निवेश बैंक (मई 2008 में), अमरीका की अग्रणी बीमा कंपनी एआईजी, बैंक ऑफ अमरीका, कोलोनियल बैंक, फर्स्ट क्वेटा बैंक, कैपिटल साउथ बैंक, ब्रिटेन के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, नार्दर्न रॉक बैंक, आस्ट्रेलिया के निवेश बैंक मैक्वायर ग्रुप, जापान के मिशुविशी यूएफजे फाइनेंसियल कॉर्प, ब्रिटेन का ही ब्रैडफोर्ड एंड बिंगले पीएलसी, बेल्जियम-डच वित्तीय समूह फोर्टिस, अमरीका के वाशिंगटन म्यूच्युअल, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनले, फ्रैंकलिन बैंक, सिक्वोरिटी पैसेफिक बैंक, नार्डिक बैंकस ग्लिटनिर बैंक जैसे व्यावसायिक संगठन इसलिए संकटग्रस्त हो गए क्योंकि उनके उच्च प्रबंधन ने समुचित जोखिम प्रबंधन नीति पर ध्यान नहीं दिया।



श्री विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक, आगरा

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य

अब देश का बैंकिंग परिदृश्य पूर्णतः बदल गया है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की हवा ने संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। यह प्रतिस्पर्धा बहुआयामी है। यह प्रतिस्पर्धा सेवाओं की गुणवत्ता आधारित भी है और कुशलता आधारित भी, उत्पाद आधारित भी है और मूल्य आधारित भी, प्रौद्योगिकी आधारित भी है और स्थितिजन्य सुविधा आधारित भी। यह प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की है। आंतरिक प्रतिस्पर्धा में एक बैंक दूसरे बैंक को चुनौतियां दे रहा है, तो बाह्य प्रतिस्पर्धा में बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और म्यूच्युअल फंडों से चुनौतियां मिल रही हैं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा में भी निजी क्षेत्र का एक बैंक निजी क्षेत्र के ही दूसरे बैंक को, सार्वजनिक क्षेत्र का ही एक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ही दूसरे बैंक को चुनौतियां दे रहा है। विदेशी बैंकों के इस प्रतिस्पर्धा में प्रवेश से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है। बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में एकीकरण के परिणामस्वरूप भी प्रतिस्पर्धा और कड़ी होती जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र में आय-अभिज्ञान व आस्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को और कड़ा किया गया है। बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि हुई है। कतिपय श्रेणी के और पुनःसंरचित अग्रिमों पर अधिक प्रावधानीकरण करना आवश्यक हो गया है।

बैंकों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ है जिसके अंतर्गत ग्राहकों के अधिकतर कार्य (निर्धारित सीमा तक) एक ही काउंटर पर पूरे किए जाते हैं। आज रेल्वे प्लेटफार्म, पेट्रोल पंप तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एटीएम लगाए जा रहे हैं। एक ही एटीएम से विभिन्न बैंकों के ग्राहक बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। आज ग्राहकों को 'ड्राइव इन' बैंकिंग सुविधा मिल रही है जिसके अंतर्गत ग्राहक अपने वाहन में बैठे-बैठे ही बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं।

प्लास्टिक मुद्रा (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि) का चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। निधि अंतरण हेतु बैंकों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) तथा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेण्ट सिस्टम (आरटीजीएस) जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को चरणबद्ध तरीके से अविनियमित किया गया है। बैंकों को विभेदक ब्याज दर की अनुमति प्रदान कर दी है। बैंक नये विशिष्ट सेवा कार्यों हेतु विशिष्ट शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं। अधिक व्यस्त लोगों के लिए सचल बैंक शाखाएं खोली जा रही हैं। ग्राहकों की आवश्यकतानुसार बैंक दिन-प्रतिदिन नये उत्पाद व योजनाएं ला रहे हैं। बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र जारी करना, मर्चेण्ट बैंकिंग, फैक्ट्रिंग, फॉरफेटिंग, प्रतिभूतीकरण, अभिरक्षकीय सेवाओं, निवेश बैंकिंग, बंधक वित्तपोषण आदि सेवाओं का विस्तार किया है। बीमा व्यवसाय को धीरे-धीरे बैंकों की सामान्य गतिविधि के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को कठोर किया गया है। बैंक एकीकरण तथा रणनीतिक गठजोड़ का मार्ग अपना रहे हैं। बैंकों में विलय एवं अभिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों का अंतर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है।

बैंकों को पदनिर्माण, पद वर्गीकरण, पदोन्नति प्रक्रिया आदि आंतरिक प्रशासन तथा अन्य गंभीर स्वरूप वाले निर्णय अपने स्तर पर लेने की स्वायत्तता प्रदान की गई है। घाटे वाली शाखाओं को बंद करने के लिए अब बैंक स्वतंत्र हैं। बैंक स्वविवेक से ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जमाराशियां प्राप्त करने की उच्च लागत तथा ऋण प्रदान करने पर घटती आय के परिणामस्वरूप बैंकों का ब्याज दर स्प्रेड कम हो गया है। आवास ऋण के समय से पूर्व चुकौती के मामले में कोई प्रभार लगाने की मनाही है। बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली शुरू की गई है जिससे निदेशक मंडल अपने ग्राहकों, कर्मचारियों तथा संपूर्ण समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए उच्चतर शेयरधारक मूल्य की प्राप्ति हेतु बेहतर कार्य-संपादन कर सके। पूंजी बाजार में उदारीकरण के चलते बहुत-सी कंपनियां पूंजी उगाही हेतु जनता के पास जा रही हैं। इससे बैंकों की मध्यस्थता की भूमिका में कमी आई है।

इस मध्यस्थता-विहीन स्थिति के कारण बैंक दोनों तरह से (जमा संग्रहण की दृष्टि से तथा ऋण प्रसार की दृष्टि से) प्रभावित हो रहे हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कमी की गई है ताकि बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में वृद्धि हो सके। जमाराशियों पर घटती ब्याज दरों के कारण लोग पूंजी बाजार की ओर भाग रहे हैं। बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम की जा रही है। ग्राहक शिकायतों के तत्काल समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गयी है।

वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आशा से अधिक खाते खोले गए हैं। बहुत कम दर पर दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना तथा सहज मृत्यु बीमा योजना शुरू की गई हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि ग्राहकों के खातों में सीधे ही जमा हो रही है। मुद्रा ऋण योजना शुरू की गई है। भुगतान बैंक तथा लघु वित्त बैंक स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस जारी किए गए हैं।

जोखिम के स्वरूप

संकट किसी भी व्यक्ति, कंपनी या अर्थव्यवस्था के सामने कब आ जाए, कहा नहीं जा सकता क्योंकि सभी के सामने किसी न किसी रूप में जोखिम प्रायः हर समय ही विद्यमान रहते हैं। बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के सामने जोखिम एक अंतर्निहित एवं अपरिहार्य तत्त्व है। बासेल समिति ने बैंकिंग से जुड़े जोखिमों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालनात्मक जोखिम।

ऋण जोखिम

ग्राहक द्वारा समय पर ऋण की चुकौती न कर पाने के कारण उत्पन्न जोखिम को ऋण जोखिम कहते हैं। ऋण जोखिम में चूक जोखिम, निपटान जोखिम (पूर्व-निपटान जोखिम, हेर्सटैट जोखिम), लेनदेन जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, संविभाग जोखिम (अंतर्निहित जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम), ऋण फैलाव जोखिम, देश जोखिम, प्रतिभूतीकरण जोखिम आदि शामिल हैं। बासेल मानक बैंकों को ऋण जोखिम हेतु पूंजी प्रभारों के परिकलन के दो दृष्टिकोणों (मानकीकृत दृष्टिकोण तथा आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण) में से किसी एक का चयन करने की छूट देता है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक उपयुक्त रूप से आस्तियों का वर्गीकरण तथा जोखिम प्रशासकों, लिखत के प्रकार और आस्ति की गुणवत्ता जैसे अन्य कारकों का उचित संज्ञान लेकर बाह्य साख निर्धारण एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर जोखिम भार निर्धारित करते हुए बैंक आस्तियों के ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार का प्रयोग करते हैं।

आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों को प्रतिपक्षों और एक्सपोजरों के लिए स्वयं द्वारा की गई आंतरिक रेटिंग से जोखिम भार का निर्धारण करना होता है। यह दृष्टिकोण बासेल समिति द्वारा संस्तुत एक सूत्र पर निर्भर है जिसके चार प्रमुख अवयव हैं- चूक की संभावना, हानिकारक चूक, चूक पर एक्सपोजर तथा परिपक्वता। आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण दो प्रकार का होता है - आंतरिक रेटिंग आधारित बुनियादी दृष्टिकोण तथा आंतरिक रेटिंग आधारित उन्नत दृष्टिकोण। आंतरिक रेटिंग आधारित बुनियादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक प्रत्येक ऋणी की चूक की संभावना का अनुमान स्वयं करता है, जबकि शेष तीनों अवयवों की आपूर्ति पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है। आंतरिक रेटिंग आधारित उन्नत दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक स्वयं चूक की संभावना के साथ-साथ अन्य निविष्टियों का आकलन करता है। इस दृष्टिकोण के लिए अपेक्षाएं अधिक कठोर हैं।

बाजार जोखिम

बैंक के तुलन-पत्र में शामिल आस्तियों की मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण उनकी कीमतों में गिरावट के कारण यह जोखिम उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, इक्विटी कीमत जोखिम, पण्य कीमत जोखिम, चलनिधि जोखिम (सावधि चलनिधि जोखिम, आहरण जोखिम, संरचनात्मक चलनिधि जोखिम, आकस्मिक चलनिधि जोखिम, बाजार चलनिधि जोखिम), व्यावसायिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम आदि शामिल हैं। बाजार असंतुलन के कारण उत्पन्न जोखिम के परिकलन हेतु बासेल समिति ने दो दृष्टिकोण निर्धारित किए हैं - मानकीकृत दृष्टिकोण तथा आंतरिक प्रतिदर्श दृष्टिकोण।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर संबंधी और इक्विटी लिखतों के कारण एक बिल्डिंग ब्लॉक दृष्टिकोण अपनाया गया है जो विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं को सामान्य

जोखिम भार से अलग कर देता है। विशिष्ट जोखिम भार को एकल जारीकर्ता से संबंधित कारकों के कारण किसी एकल प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल गतिविधि से बचाने के लिए बनाया गया है जबकि सामान्य जोखिम भार ब्याज दर जोखिम से सुरक्षा हेतु बनाया गया है। आंतरिक प्रतिदर्श दृष्टिकोण बैंकों को अपनी आंतरिक पद्धति का उपयोग करने में समर्थ बनाता है। लेकिन इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक बीसीबीएस द्वारा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करें तथा उसे अपने पर्यवेक्षक का अनुमोदन प्राप्त हो।

परिचालनात्मक जोखिम

अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों के अलावा बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न जोखिम को परिचालनात्मक जोखिम कहते हैं। यह किसी भी कार्मिक, मशीन या नियमों में शिथिलता के कारण उत्पन्न हो सकता है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम, नियंत्रण जोखिम, प्रणाली एवं प्रक्रिया जोखिम, पूंजीगत जोखिम, अर्जन जोखिम, आउटसोर्सिंग जोखिम, कार्यस्थल सुरक्षा जोखिम, मानव संसाधन जोखिम, विपणन जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, व्यवसाय क्षमता जोखिम, सुरक्षा जोखिम, संचार जोखिम, प्रलेखन जोखिम, व्यूहात्मक जोखिम, राजनीतिक जोखिम, अनुपालन जोखिम, कर जोखिम, प्रतिस्पर्धा जोखिम, विलय जोखिम आदि शामिल हैं। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के मापन हेतु बासेल समिति ने तीन दृष्टिकोण संस्तुत किए हैं- आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत मापन दृष्टिकोण।

आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण परिचालनात्मक जोखिम के लिए सकल आय के नियत प्रतिशत के रूप में भार निर्धारित करता है जो बैंक के जोखिम एक्सपोजर के लिए एक प्रतिनिधि का कार्य करता है। मानकीकृत दृष्टिकोण में बैंक परिचालनों को 8 मानक व्यावसायिक वर्गों में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग हेतु जोखिम पूंजी समनुदेशन बीटा से उस व्यावसायिक वर्ग की सकल आय को गुणा करके प्राप्त की जाती है। उन्नत मापन दृष्टिकोण के अंतर्गत विनियामक पूंजीगत अपेक्षा बैंक द्वारा प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग के लिए आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम प्रणाली द्वारा निकाले गए जोखिम के माप के समान होगी।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में तीन तत्व सम्मिलित हैं - जोखिम की पहचान, जोखिम मापन तथा जोखिम नियंत्रण। जोखिम की पहचान करने में किसी उत्पाद अथवा सेवा के लेनदेन अथवा प्रकार से जुड़े प्रत्येक जोखिम का नाम ज्ञात करना और उसकी व्याख्या करना शामिल होता है। जोखिम की पहचान करने की व्याख्या ऐसी कला के रूप में की जा सकती है जिसमें संस्था के साथ जांच सूचियों, रिपोर्टों, वैयक्तिक निरीक्षणों और साक्षात्कारों जैसी सूचना एकत्र करने के औपचारिक साधनों को शामिल किया जाता है, जिससे उत्पाद अथवा स्थिति से जुड़े हुए जोखिमों की पहचान की जा सके।

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण जोखिम की माप करना है। इसका तात्पर्य विभिन्न परिदृश्यों में किसी संभाव्य हानि की मात्रा, संभाव्यता और उसके समय का अनुमान लगाने से है। जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया का यह सबसे कठिन चरण है और इसकी प्रणालियों, अशुद्धीकरण की मात्राओं तथा लागतों में भारी अंतर हो सकता है। आस्ति-देयता प्रबंधन जोखिम मापने का एक अच्छा उदाहरण है।

जोखिम घटकों की पहचान और उनका निर्धारण करने के पश्चात जोखिम प्रबंधन का अगला चरण है जोखिम नियंत्रण। जोखिम नियंत्रण में शामिल है - प्रभाव पड़ने से बचाव करना, जोखिम की तीक्ष्णता को कम करके इसके प्रभाव को कम करना, जोखिमयुक्त क्षेत्र में संकेन्द्रण न होने देना, जोखिम प्रबंधन प्रतिरक्षी लिखतों का प्रयोग करना।

निदान

जोखिमों से बचना तो असंभव है, लेकिन प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीति लागू करके जोखिमों को न्यूनतम किया जा सकता है। अतः बैंकों को चाहिए कि वे समुचित जोखिम प्रबंधन नीति अपनाएं। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक में लागू जोखिम नीति की तथा जोखिम कौशल नीति की वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। जोखिम नीति को बैंक में लागू करने की जिम्मेदारी बैंक के उच्च प्रबंधन वर्ग पर डाली जानी चाहिए। इस जिम्मेदारी में जोखिम को पहचानने, मापने, निगरानी एवं नियंत्रण हेतु नई प्रणाली एवं प्रक्रिया भी विकसित की जानी शामिल है।

बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी परिचालन पूर्व-परिभाषित एवं सुदृढ़ प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए। इस प्रक्रिया में बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ ही ऋणदाता को समझने, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य, ऋण की संरचना एवं ऋण अदायगी आदि का समावेश होना चाहिए। वर्तमान ऋणियों की ऋणसीमा में वृद्धि बहुत सोच-विचार कर ही की जानी चाहिए। गैर-निष्पादक आस्तियों को कम करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपने वसूली-तंत्र को सुदृढ़ बनाएं। आवधिक अंतराल पर वसूली शिविर लगाए जाएं और, जहां आवश्यक हो, वसूली के लिए कार्यरत सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाए। क्रेडिट इन्फर्मेेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लि. के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान कर अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों को कम करने के प्रयास करें। समुचित ऋण निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पर्यवेक्षकों को बैंकों की ऋण प्रदान करने संबंधी कौशल, प्रणालियों, प्रक्रिया, नीति एवं कार्यप्रणाली का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।

बाज़ार जोखिम का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति बनाई जाए जो प्रभाव-मापन, साधन-विश्लेषण तथा निष्पादन मूल्यांकन में प्रवीण हो। यह समिति ब्याज दर जोखिम तथा चलनिधि जोखिमों के कुशल प्रबंधन सहित जोखिम-प्रतिलाभ दृष्टिकोण से तुलन-पत्र आयोजना के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। आस्ति-देयता समिति के सदस्यों की संख्या बैंक के आकार, कारोबार के स्वरूप तथा संगठनात्मक जटिलता के आधार पर होनी चाहिए।

बैंकों को चाहिए कि वे अपनी जोखिम प्रबंधन नीति में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता भी शामिल करें। सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर वह एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते ग्राहक अपनी निष्ठा परिवर्तित कर दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे समय-समय पर ग्राहक सेवा से संबंधित सर्वेक्षण करें, ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानें, उनसे सेवा गुणवत्ता के स्तर संबंधी शिकायतें सुनें, उनकी आकांक्षाओं व अपेक्षाओं का पता लगाएं और उसी के अनुरूप ग्राहक सेवा प्रदान करें। बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहक सर्वेक्षण योग्यताएं विकसित करें।

जोखिम प्रबंधन में मानव संसाधन प्रबंधन की भी अहम् भूमिका है। बैंकों में भर्ती व पदोन्नति की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन

किए जाने की आवश्यकता है। बैंक कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में समूह अभ्यास, समूह प्रस्तुतीकरण, प्रकरण अध्ययन, दृश्य-श्रव्य विधि आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। परंपरागत प्रशिक्षण के बजाय परिवेश आधारित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। स्टाफ का पारिश्रमिक उनके कार्य-निष्पादन से सहबद्ध कर देना चाहिए। दोषी कर्मचारियों को दण्डित करना चाहिए तथा अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत करना चाहिए।

उन्नत प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने चाहिए जिससे कम्प्यूटर स्वयं जोखिम के पहले बीज रूपी तत्त्व को नष्ट करके विशिष्ट कार्य को आगे न बढ़ने दे। यदि कोई मानव तत्त्व उस जोखिम भरे कार्य को जबरन आगे बढ़ाता है तो कम्प्यूटर सक्षम अधिकारी को भविष्य में होने वाले नुकसानों के प्रति सतर्क कर दे।

पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे इस बात की निगरानी रखें कि बैंक ठोस जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कार्यविधियों का अनुपालन कर रहे हैं तथा आचारगत एवं व्यावसायिक मानदंडों का निरंतर आधार पर अनुसरण कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुचित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह एक ऐसी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करे जो समग्र जोखिम प्रबंध नीति और समीक्षा के कार्यबिन्दु के रूप में हो और यह समिति जोखिम उपसमितियों के मार्गदर्शन का कार्य भी करे। बासेल-3 मानदंडों के क्रियान्वयन जैसी नियामक अपेक्षाओं के कारण जोखिम के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता बढ़ गई है।

बैंकों को चाहिए कि वे अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बचें। निवेश परिवेश में सुधार लाने को प्राथमिकता दें न कि निवेश की मात्रा बढ़ाने में। विकास की प्रक्रिया को इस तरह संतुलित किया जाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था का हर हिस्सा इसका फायदा उठा सके। वित्तीय समावेशन में वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए।

भारतीय वित्तीय प्रणाली पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुदृढ़ हुई है और इसने आघातों का सामना करने की नमनीयता दिखायी है। बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ पूँजी की स्थिति ने, जो 9 प्रतिशत की

विनियामक अपेक्षा से काफी ऊपर है, आघातों और अन्य उभरते जोखिमों का सामना करने के लिए आवश्यक सहारा प्रदान किया है। भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बासेल समिति द्वारा निर्धारित अनुपात (8 प्रतिशत) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपात (9 प्रतिशत) से अधिक है।

स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करने पर नियंत्रण रखा जा रहा है (इसके अभाव में 1992 में प्रतिभूति घोटाला हुआ था)। आस्ति-देयता प्रबंधन नीति अपनायी जा रही है (इसके अभाव में 1995 में बेयरिंग्स बैंक विफल हुआ)। संसाधनों का दक्षतापूर्वक दोहन किया जा रहा है (पूर्व एशियाई तथा लेटिन अमरीकी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट का मुख्य कारण यह था कि वहां पर अर्थव्यवस्थाओं का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा था)। ब्याज दरों के स्तर को कम किया जा रहा है (जमाराशियों पर ब्याज का स्तर बहुत ऊँचा होने कारण 1997 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विफल हुई थीं)। पूँजी बाजार में बैंकों के एक्सपोजर पर नियंत्रण रखा जा रहा है (पूँजी बाजार में बैंकों का अत्यधिक एक्सपोजर होने के कारण 1997 में एशियाई संकट आया था)। बैंकों के तुलन-पत्रों में पारदर्शिता लायी जा रही है (जिसके अभाव में वर्ष 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक विफल हुआ था)।

बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में संपूर्ण वित्तीय समावेशन और भुगतान बैंक तथा दीर्घ काल में बासेल-III मानदंड और पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ साबित हो सकती हैं। अतः बैंकों को चाहिए कि वे समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करें तथा जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का सिद्धान्त 'सर्वोत्तम की जीविता' (सरवाइवल ऑफ दि फिटेस्ट) को ध्यान में रखते हुए भावी खतरे को भांपकर अपनी-अपनी जोखिम प्रबंधन नीति बनाएं जिससे न केवल चुनौतियों का सामना किया जा सके, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदला जा सके। यदि समय रहते समुचित कदम नहीं उठाए गए तो इन परिवर्तनों से जुड़े जोखिम भावी आघात-सहनीयता को समाप्त कर सकते हैं। यहां यह भी स्मरणीय है कि जोखिम प्रबंधन गंतव्य नहीं, अपितु एक यात्रा है। यह एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं अपितु आजीवन अपनाई जाने वाली पद्धति है, जिसे बार-बार लागू किया जाना आवश्यक है।

○○○

जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक

किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों का समुच्चय होती है जिसमें उसकी बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली अभिन्न रूप से सम्मिलित रहती है। बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली की कार्य-कुशलता तथा गुणवत्ता अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल सक्रिय योगदान देती है अपितु पूंजी निर्माण की प्रक्रिया द्वारा उसे सतत विकास के पथ पर अग्रसर बनाए रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का केंद्र होने के कारण केंद्रीय बैंक कहा जाता है। जहां अन्य देशों में केंद्रीय बैंक पहले विद्यमान बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन एवं संचालन हेतु स्थापित किए गए, वहीं भारत में रिज़र्व बैंक वित्तीय तथा बैंकिंग व्यवस्था का विकास करते हुए उसके विनियमन तथा पर्यवेक्षण के साथ बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न मानकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, पूंजी निर्माण, मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार आदि की अच्छी स्थिति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक सकारात्मक परिवेश प्रदान करती है और न केवल वित्तीय अपितु वास्तविक आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। परंतु अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त विभिन्न अवयवों में एक स्वाभाविक



डॉ. आशीष श्रीवास्तव
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

अनिश्चितता व्याप्त रहती है जिसके कारण उनसे संबंधित निर्णयों के अपेक्षित परिणाम न आ पाने की संभावना रहती है। अनिश्चितता के कारण अपेक्षित परिणाम न आ पाने की संभावना को सामान्य तौर पर जोखिम के रूप में समझा जाता है। वित्तीय प्रणाली में जोखिम प्रबंधन भविष्यगामी जोखिम आकलन तथा मूल्यांकन की आवश्यकता के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय व्यवस्था में अपनी केंद्रीय भूमिका के कारण जोखिम प्रबंधन में केंद्रीय बैंकिंग का योगदान अपेक्षित होने के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के सफल संचालन तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में उसके प्रभावी योगदान के लिए भी आवश्यक है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम का आधारभूत कारण अनिश्चितता है, परंतु जोखिम और अनिश्चितता के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जहां अनिश्चितता गुणात्मक है और किसी संख्या में व्यक्त नहीं की जा सकती है, वहीं जोखिम को सांख्यिकीय रूप में प्रभाव और सम्भाव्यता के गुणनफल से निरूपित किया जा सकता है। सामान्य रूप में जोखिम को नुकसान या घाटे की संभाव्यता के रूप में समझा जाता है। जोखिमों की एक बार पहचान हो जाने पर क्षमता, हानि की संभावित गंभीरता एवं घटित होने की संभावना के संबंध में उनका आकलन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यद्यपि जोखिम मूल्यांकन में मूलभूत कठिनाई घटना होने की दर का निर्धारण करना है क्योंकि अतीत की सभी प्रकार की घटनाओं के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय आस्तियों के मामले में परिणाम का मूल्यांकन अक्सर कठिन होता है। फिर भी, जोखिम मूल्यांकन द्वारा जोखिमों को आसानी से समझ कर जोखिम प्रबंधन के निर्णयों को प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर जोखिमों का अनुचित आकलन और मूल्यांकन किया गया और अनुचित प्राथमिकता प्रदान की गई, तो असंभावित जोखिमों से निपटने में संसाधनों का अपव्यय हो सकता है।

जोखिम प्रबंधन का अर्थ है जोखिम की पहचान, मूल्यांकन एवं प्राथमिकीकरण के साथ-साथ संसाधनों का समन्वित तथा प्रभावी प्रयोग कर घाटे की संभाव्यता अथवा प्रभाव को न्यूनतम अथवा नियंत्रित करना। बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में जोखिम मुख्यतः ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, आदि के रूप में परिलक्षित होते हैं। परंतु केंद्रीय बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में जोखिम प्रबंधन का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक एवं विस्तृत है, जिसमें जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक को व्यवस्थात्मक (सिस्टेमिक) एवं संस्थात्मक (इण्टरप्राइज-वाइड) दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है।

जोखिम प्रबंधन – केंद्रीय बैंकिंग की भूमिका

केंद्रीय बैंक वित्तीय व्यवस्था में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण व्यवस्थात्मक (सिस्टेमिक) एवं संस्थात्मक (इण्टरप्राइज-वाइड) जोखिम प्रबंधन में अपना योगदान करते हैं। जहां व्यवस्थात्मक जोखिम प्रबंधन मूल रूप से केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है, वहीं अपने स्तर पर जोखिम प्रबंधन करना वित्तीय संस्थाओं का प्राथमिक दायित्व है यद्यपि केंद्रीय बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं द्वारा संस्थात्मक (इण्टरप्राइज-वाइड) जोखिम प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करते हैं।


संस्थात्मक (इण्टरप्राइज-वाइड) जोखिम प्रबंधन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने स्तर पर मुख्यतः ऋण, बाजार, परिचालन, चलनिधि, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा, आदि से संबंधित जोखिमों का आकलन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन करती हैं,

जिनके बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और समय-समय पर इस संबंध में उनकी दक्षता की समीक्षा भी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा संस्थात्मक स्तर पर जोखिमों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है परंतु इसमें यह भी संभावना रहती है कि वित्तीय संस्थाएं जोखिम प्रबंधन को विनियामकीय अनुपालन की प्रक्रिया मात्र मानकर संतुष्ट हो जाएं और सक्रियता के साथ अनवरत रूप से जोखिमों की पहचान तथा प्रबंधन न करें। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थाओं का जोखिम प्रबंधक बन जाता है जो कि वित्तीय संस्थाओं, केंद्रीय बैंक के साथ-साथ वित्तीय व्यवस्था के लिए भी एक अवांछनीय स्थिति है। जहां तक संस्थात्मक (इण्टरप्राइज-वाइड) जोखिम प्रबंधन का प्रश्न है, संस्था विशेष की ओर से सक्रिय भागीदारी के बिना प्रभावी जोखिम प्रबंधन संभव ही नहीं है। वित्तीय नवाचारों और तकनीकी प्रगति के युग में वित्तीय संस्थाओं को जोखिम प्रबंधन हेतु सजग, समर्थ एवं सक्रिय रहना आवश्यक है।

संस्थात्मक स्तर के जोखिम प्रबंधन के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रबंधन तंत्रों में सामंजस्य व तारतम्यता का अभाव है जो वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय परिलक्षित हुआ था, जिसमें यह पाया गया कि कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरी तरह से तर्कसंगत जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुपालन न किया जाना, विशेषतया चलनिधि संबंधी जोखिम प्रबंधन, अन्य वित्तीय संस्थाओं के पतन का कारण बन गया। उस समय बाजार में तरलता की कमी के कारण

फ्लोचार्ट 1 : जोखिम प्रबंधन – केंद्रीय बैंकिंग की भूमिका



संभावना रहती है कि वित्तीय संस्थाएं जोखिम प्रबंधन को विनियामकीय अनुपालन की प्रक्रिया मात्र मानकर संतुष्ट हो जाएं और सक्रियता के साथ अनवरत रूप से जोखिमों की पहचान तथा प्रबंधन न करें। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थाओं का जोखिम प्रबंधक बन जाता है जो कि वित्तीय संस्थाओं, केंद्रीय बैंक के साथ-साथ वित्तीय व्यवस्था के लिए भी एक अवांछनीय स्थिति है।

कुछ वित्तीय संस्थानों ने तरल आस्तियों का संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया जिससे बाजार में तरलता समाप्त हो गई। अतः वित्तीय प्रणाली में यह संभव है कि किसी वित्तीय संस्था द्वारा पूर्णतः तर्क संगत जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुपालन भी उसके स्तर पर पूरी व्यवस्था

के बारे में व्यापक दृष्टिकोण के अभाव में कभी-कभी वित्तीय व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक की व्यवस्थात्मक (सिस्टेमिक) जोखिम प्रबंधन नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।


व्यवस्थात्मक (सिस्टेमिक) जोखिम प्रबंधन

विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक संरचना डाइकोटोमी (विरोधाभाषी स्थिति) प्रदर्शित करती है जिसमें पारंपरिक और धीमी गति तथा एक आधुनिक, गतिशील और तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं। अतः कुछ क्षेत्रों में एक उदार और खुले वातावरण की मांग होती है, जबकि उसी समय अन्य क्षेत्रों को संरक्षित और पोषित करने की जरूरत होती है। इसलिए, प्रगतिशील और सुरक्षात्मक केंद्रीय बैंकिंग नीतियों के विवेकपूर्ण संयोजन की आवश्यकता केंद्रीय बैंकिंग को और अधिक जटिल और कठिन बना देती है, जो नीति निर्धारण में जोखिम उत्पन्न करती है।

मुद्रा का आंतरिक तथा बाह्य मूल्य – जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंकिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है। मूल्य स्थिरता एवं वित्तीय स्थिरता के मानदंडों का आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें केंद्रीय बैंक को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के सीधे नियंत्रण में नहीं है, अपितु बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के संचालन के लिए बाजार आधारित उपकरणों का उपयोग करने का विकल्प होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी महंगाई दर को

लक्षित कर मौद्रिक ढांचा बनाना केंद्रीय बैंकों के लिए जोखिमपूर्ण है क्योंकि लघु तथा मध्यम अवधि में विकास के लक्ष्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। मुद्रा के आंतरिक मूल्य के रखरखाव की जटिलता इसके बाह्य मूल्य के प्रबंधन में शामिल मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। चीन सरीखे केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी पूंजी के प्रवाह के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से अर्थव्यवस्था और बाजार में हस्तक्षेप करने की वजह से घरेलू मुद्रा की आपूर्ति की उसकी अवशोषण क्षमता से अधिक विस्तार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।

तरलता प्रबंधन – व्यवस्थात्मक स्तर पर केंद्रीय बैंक द्वारा तरलता प्रबंधन, फंडिंग लिक्विडिटी तथा मार्केट लिक्विडिटी जोखिम को



फ्लोचार्ट 2 : तरलता प्रबंधन

ध्यान में रख कर की जानी चाहिए। फंडिंग लिक्विडिटी का जोखिम लघु अवधि के लिए निधि की उपलब्धता की ओर ध्यान आकर्षित करता है जबकि मार्केट लिक्विडिटी जोखिम बिना अतिरिक्त हानि के वित्तीय आस्तियों की विक्रयशीलता की स्थिति को दर्शाता है। जहां बाजार में तरलता की कमी आर्थिक गतिविधियों के लिए बाधक बन सकती है वहीं तरलता का आधिक्य मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है। अतः बाजार में तरलता की वास्तविक आवश्यकता का आकलन एवं उसका समयानुकूल प्रबंधन जोखिम प्रबंधक के रूप में केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है।

वित्तीय जटिलताएं, वित्तीय शिक्षण तथा समावेशन – वित्तीय शिक्षा, वित्तीय बाजारों तथा उसके उत्पादों, विशेषतया उनके

प्रतिफलों एवं जोखिमों के ज्ञान से लोगों को परिचित कराती है ताकि वे अपने विकल्पों का चयन अच्छी तरह से समझ-बूझ के साथ कर सकें। वित्तीय बाजार विभिन्न वित्तीय उत्पादों के संबंध में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए वित्तीय व्यवहारों का सफल संचलन, भुगतान एवं निपटान सुनिश्चित करते हैं, जिसके कारण पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान को दक्ष प्रवाह संभव हो पाता है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था में पूंजी का सुगम एवं दक्ष प्रवाह अत्यंत ही महत्त्व रखता है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जोखिम प्रबंधन के साधन उपलब्ध कराना भी वित्तीय बाजारों का एक प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाजारों की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा बाजारों और आम जनता के बीच सूचनाओं की विषमताओं के कारण आम लोगों के लिए अच्छी तरह समझ-बूझकर विकल्प का चयन करना लगातार कठिन होते जाने की वजह से हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों के संदर्भ में वित्तीय शिक्षण का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, जिसमें सफलता प्राप्त करना केंद्रीय बैंकिंग के लिए एक चुनौती है।

वित्तीय बाजारों की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा बाजारों और आम जनता के बीच सूचनाओं की विषमताओं के कारण आम लोगों के लिए अच्छी तरह समझ-बूझकर विकल्प का चयन करना लगातार कठिन होते जाने की वजह से हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों के संदर्भ में वित्तीय शिक्षण का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, जिसमें सफलता प्राप्त करना केंद्रीय बैंकिंग के लिए एक चुनौती है।

वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन तथा अंततः वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से देखे जाने पर वित्तीय साक्षरता, वित्तीय बाजारों में जोखिम प्रबंधन का एक प्रमुख अवयव है एवं वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता वित्तीय बाजारों के आधार स्तंभ है। वित्तीय साक्षरता से मांग का पक्ष सक्रिय होता है। लोगों को पता चलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वित्तीय समावेशन आपूर्ति के पक्ष में काम करता है और लोगों की मांग के अनुरूप वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है। वित्तीय ज्ञान के अभाव या अधूरी जानकारी के कारण लोगों की जल्दी और चमत्कारिक तरीके से अमीर होने की अपेक्षा ने भी वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी को बढ़ाया है। इससे लोगों का बाजार एवं वित्तीय व्यवस्था में विश्वास टूटता है जो वित्तीय बाजारों के विस्तार में

बाधक है। वास्तव में यह स्थिति देश के पूंजी बाजार और वित्तीय व्यवस्था के लिए सकारात्मक नहीं है और इस स्थिति का मुख्य कारण है कि देश के अधिसंख्य लोगों को वित्तीय बाजार एवं उसमें निवेश की प्रक्रिया के संबंध में सही ज्ञान का अभाव होता है। भारत जैसे देश में जहाँ कोई व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है, व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय बाजारों का विस्तार एवं जनसाधारण द्वारा उनका अधिकाधिक तथा सही उपयोग आवश्यक है।

विनियमन - विकसित एवं गतिशील वित्तीय बाजार आर्थिक विकास की धुरी के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय बाजारों की निरंतरता तथा दक्षता पूरी वित्तीय प्रणाली की सफलता एवं वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल वित्तीय प्रवाह में बैंकिंग प्रवाह का हिस्सा आधे से भी अधिक है और यद्यपि वैश्विक वित्तीय संकट के समय हमारे बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, परंतु निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों की अनवरत वैश्विक एवं घरेलू मंदी से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उसकी आस्ति गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में गिरावट आई है जो वित्तीय क्षेत्र में लागू किए जाने वाले विनियमनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त काले धन तथा मनी लांड्रिंग पर नियंत्रण और बैंक चैनल के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रभावी तथा भविष्यगामी विनियमनों को बनाना व लागू करना केंद्रीय बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।

आस्ति प्रबंधन - केंद्रीय बैंक के कार्यों में से एक महत्त्वपूर्ण कार्य राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण, सरकारी आस्ति प्रबंधन तथा सार्वभौमिक आस्ति प्रबंधन भी है जिसमें कोई भी चूक नहीं की जा सकती है क्योंकि यहां प्रश्न समय, लाभ और सार्वभौमिक साख का है। साथ ही, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करते समय निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। केंद्रीय बैंक के लिए यह एक बड़े जोखिम का क्षेत्र है।

बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता एवं जोखिम अंतर्निहित हैं। वित्तीय व्यवस्था के संचालक, नियामक तथा अभिभावक के रूप में केंद्रीय बैंकिंग का कार्य व्यापक तथा विस्तृत है और स्वाभाविक रूप से जोखिम प्रबंधक का कार्य भी उसका अभिन्न अंग है। वित्तीय प्रणाली को सबल व सुरक्षित बनाना तथा वित्तीय संस्थानों में जोखिम प्रबंधन तंत्र को समर्थ बनाना जोखिम प्रबंधन के रूप में केंद्रीय बैंक का लक्ष्य है।

○○○

ऋण जोखिम प्रबंधन

परिचय

प्रत्याशित या अप्रत्याशित जोखिम की संभावना से बैंक की पूंजी और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैंक अब एक वित्तीय मध्यस्थ होने से जोखिम मध्यस्थ होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और इसलिए जोखिम और प्रतिफल के बीच इष्टतम व्यापार को प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच एक संतुलन कायम करने की जरूरत है।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में हुए उदारीकरण ने बैंकों के लिए जबरदस्त व्यापार के अवसरों की पेशकश की है। इसी समय बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों को बैंकों के संपर्क में लाया है। बाजार में स्थित नए वित्तीय साधनों के विकास से अतिरिक्त आय कमाने के लिए न केवल नए अवसर पैदा हुए हैं बल्कि नए किस्म के जोखिम से सामना भी हुआ है। लेकिन कुछ लिखत बैंकों को भारी जोखिम से बचाव करने का अवसर देते हैं। ऐसे परिदृश्य में बैंकिंग व्यवसाय के सामने आ रहे विभिन्न जोखिमों की पहचान की जानी है और इन जोखिमों को कम करने के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।



श्रीमती के.वी. लक्ष्मीदेवी
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
विजया बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों को दिए गए ऋण की गुणवत्ता में कमी के साथ उससे जुड़े नुकसान की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण जोखिम में व्यापार निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक ग्राहक या प्रतिपक्षकार की असमर्थता या अनिच्छा से एक बैंक के पोर्टफोलियो में घाटा होता है। वैकल्पिक रूप से ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या कथित गिरावट से उत्पन्न होने वाले पोर्टफोलियो के मूल्य में कमी से भी घाटा होता है। ऋण जोखिम एक व्यक्ति, कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान या एक राष्ट्र के साथ एक बैंक के व्यवहार से उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम निम्नलिखित रूप ले सकता है-

- प्रत्यक्ष ऋण देने के मामले में मूलधन और/या ब्याज की राशि चुकायी नहीं जा सकती है।
- गारंटी या साख पत्र के मामले में दायित्व के निर्धारण पर घटकों से निधि आना बंद हो सकता है।
- राजकोष परिचालन के मामले में संबंधित ठेके के तहत पक्षकारों से भुगतान नहीं होगा।
- प्रतिभूतियों के ट्रेडिंग के मामले में निधि/प्रतिभूतियों का निपटान प्रभावित नहीं किया जा सकता है।
- या तो धन के मुक्त हस्तांतरण पर राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

उद्देश्य

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में मार्जिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना

पड़ रहा है। ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम, वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिम जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। ये जोखिम अन्योन्याश्रित हैं और जोखिम के एक प्रकार को प्रभावित करने की घटनाएं जोखिम की अन्य श्रेणियों को जन्म दे सकती हैं। प्रत्याशित हानि उधारकर्ता द्वारा वहन किया जा रहा है और पर्याप्त रूप से जोखिम प्रीमियम और प्रावधानीकरण व्यक्तिगत जोखिम और संपूर्णता में पूरे पोर्टफोलियो के कारण अप्रत्याशित नुकसान के माध्यम से उत्पादों के मूल्य निर्धारण द्वारा कैपिटल फंड के माध्यम से बैंक द्वारा ही वहन किया जाता है। गैर-निष्पादित आस्तियां वर्तमान में अतीत की विरासत हैं। फिलहाल जोखिम प्रबंधन द्वारा शुरू किए गए सक्रिय कदम भविष्य में सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। जोखिम प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं- पहचान, आंकना और निगरानी। बैंक के जोखिम प्रोफाइल का प्रबंधन लगातार किया जाएगा। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक के सामने आनेवाले खतरों को समझकर उनका सामना प्रभावी ढंग से करना एवं उन पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

इसलिए, इस ऋण जोखिम प्रबंधन नीति दस्तावेज का मूल उद्देश्य ऋण जोखिम प्रबंधन के मुद्दों पर समग्र दिशा-निर्देश प्रदान करना है और बैंक में ऋण जोखिम के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा सुलभ संदर्भ के रूप में सूचना देना है। इस प्रक्रिया में बैंक धीरे-धीरे जोखिम आधारित पूंजी आबंटन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, जोखिम समायोजित आधार पर व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और इस नीति के प्रयासों से बैंक को अवगत कराना आवश्यक होगा। ऋण जोखिम की पहचान के लिए व्यापक बाहरी मापदंडों को स्थापित करने के लिए लगातार इन जोखिमों को कम करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने हेतु यह जोखिम नीति बनाई जानी है।

ऋण जोखिम नीति का दायरा

इस नीति में निम्नलिखित बातें हैं:

- बैंक के भीतर व्यवस्थित और स्वस्थ ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना।
- समग्र संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखना।

- बैंक की ऋण नीति में निर्धारित स्वीकार्य मापदंडों/विवेकपूर्ण जोखिम के मानदंडों के भीतर ऋण जोखिम निवेश बनाए रखना।
- प्रक्रिया, पद्धति एवं नियंत्रण को ठीक करके, आधार देकर, सहयोग देकर अग्रिम/ऋण देने के साथ जुड़े जोखिम को कम करना एवं समाप्त करना।
- एक व्यवस्थित तरीके से संपत्ति पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी बैंक के पास है।
- इस नीति दस्तावेज से कानूनी मुद्दों और बैंक के ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन का एक सिंहावलोकन प्राप्त होगा। यह अच्छी तरह से पहचान, ग्रेडिंग, रिपोर्टिंग और जोखिम के नियंत्रण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, यह ऋण देने के संबंध में सभी निर्देशों और विस्तार में दिशा-निर्देशों को शामिल नहीं करता है।

निदेशक मंडल



बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)



ऋण जोखिम प्रबंधन समिति



जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी)

बोर्ड और आरएमसीबी की भूमिका

बैंक में नीति बनाने के लिए निदेशक मंडल परम अधिकार रखता है। बोर्ड हालांकि बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों की देखरेख के लिए समितियां बना सकता है। तदनुसार बोर्ड ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करने के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष

और प्रबंध निदेशक के साथ बोर्ड के एक पांच सदस्यीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन कर सकता है। कार्यकारी निदेशक के अलावा तीन स्वतंत्र निदेशक भी इसके सदस्य हैं।

आरएमसीबी बैंक में जोखिम प्रबंधन की देखरेख और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर निर्देश प्रदान करेगा। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी में संशोधनों का संचालन और बैंक में ऋण जोखिम की समीक्षा करेगा तथा सुझाव भी देगा।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति

मुख्यतया विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों की देखरेख ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का काम है। बोर्ड और आरएमसीबी के निर्देशों का अनुपालन एवं ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन यह समिति करेगी। इसके अलावा यह नीति को बनाने और ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक एमआईएस ढांचा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति बोर्ड/आरएमसीबी को रिपोर्ट करेगी।

ऋण जोखिम प्रबंधन में कई प्रकार के प्रबंधन तकनीक शामिल हैं जो ऋण जोखिम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में बैंक को मदद कर सकें। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी -

1.	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन	सदस्य
4.	महाप्रबंधक - ऋण परिचालन	सदस्य
5.	महाप्रबंधक - ऋण स. एवं व.	सदस्य
6.	महाप्रबंधक - एमआईएस	सदस्य
7.	महाप्रबंधक - ऋण प्राथमिकता/खुदरा	सदस्य
8.	महाप्रबंधक - ऋण (एमएस एंड सी)	सदस्य

9.	मुख्य सतर्कता अधिकारी	आमंत्रित
10.	उप महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन	संयोजक

सीआरएमसी न्यूनतम दो महीने में एक बार एवं एक साल में कम से कम 6 बैठकों का आयोजन करेगी। कोरम के प्रयोजन के लिए 2 महाप्रबंधकों का मौजूद रहना अनिवार्य होगा।

- क. प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में की जाएगी।
- ख. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सबसे वरिष्ठ महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।
- ग. उप महाप्रबंधक (आरएमडी) संयोजक और उनकी अनुपस्थिति में बैठक सहायक महाप्रबंधक (आरएमडी) द्वारा बुलाई जाएगी।

सीआरएमसी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- क. बोर्ड/आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति/रणनीति का कार्यान्वयन/निगरानी,
- ख. बैंक में व्यापक आधार पर ऋण जोखिम पर नजर रखना और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना,
- ग. विभिन्न ऋण संबंधी नीतियों की मंजूरी के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)/ बोर्ड को सलाह देना,
- घ. सीआरएमसी ऋण की मंजूरी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की मंजूरी के लिए बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सलाह देते हैं। बड़े ऋण की जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, ऋण संपार्श्वक मानदंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण की समीक्षा तंत्र, जोखिम सांद्रता, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋण के मूल्य निर्धारण, आदि विषयों पर सलाह देना,

- ड. घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति का बैंक के ऋण पर प्रभाव का विश्लेषण, एवं
- च. सेक्टरवार जोखिम, गतविधियों की सांद्रता, भौगोलिक अपराधों आदि के संदर्भ में बैंक के पोर्टफोलियो का विश्लेषण।

जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी)

कार्यात्मक स्तर पर शीर्ष प्रबंधन संवर्ग में कार्यरत एक कार्यपालक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) कार्यरत होगा। जोखिम विश्लेषक/जोखिम प्रबंधक, क्षेत्रीय जोखिम मॉनिटर, क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी, जो कवर ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम को नियंत्रित करते हैं, आरएमडी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।

ऋण जोखिम प्रबंधन के मुद्दों से निपटने के लिए अलग-अलग प्रभाग आरएमडी में होंगे जिसमें ऋण जोखिम प्रबंधन प्रभाग, ऋण रिस्क रेटिंग क्षेत्र/औद्योगिक समीक्षा कक्ष, जोखिम नीति और पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन कक्ष, एवं बासेल II/III शामिल हैं। वे मानकीकृत दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि उन्नत दृष्टिकोण अपनाएंगे।

विभाग ने पहले से ही बैंक के लिए अनुकूलित क्रिसिल के मॉडल पर आधारित संशोधित जोखिम दर्जा मॉडल और पीडी, एलजीडी एवं ईएडी की गणना के लिए आवश्यक डेटा का संग्रह शुरू करने के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण सहित सभी ऋण निर्णय के लिए संशोधित रेटिंग मॉडल को लागू किया है।

संरचित जोखिम प्रोफाइल भारतीय रिजर्व बैंक या अन्यथा निर्धारित टेम्पलेट के माध्यम से बैंकवार जोखिमों की पहचान करने और आकलन करने के लिए आरएमडी जिम्मेदार होगा। जोखिम गुणवत्ता आश्वासन टीम द्वारा पुनरीक्षित की जानी है (विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए गठित)।

समीक्षा करने और पहचान, उपाय, प्रबंधन और ऋण जोखिम को नियंत्रित करने और पोर्टफोलियो सांद्रता की समीक्षा करने के लिए जोखिम माप प्रणाली, तकनीक और तरीकों को विभाग को अपनाना होगा।

विभिन्न नीतियों के साथ संबद्धता

वर्तमान में, आरएमडी द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन की नीतियों से संबंधित पहलू विकसित, नियंत्रित किए जाते हैं और संबंधित विभागों द्वारा ऋण संबंधी पहलू नियंत्रित किए जाते हैं। नीचे उल्लिखित और बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशा-निर्देशों के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, जैसे नियंत्रक संस्थाओं द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार इस नीति दस्तावेज को अन्य नीतिगत दस्तावेजों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए-

- क. ऋण नीति,
- ख. वसूली नीति,
- ग. खजाना प्रबंधन नीति,
- घ. जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट नीति,
- ड. देशी जोखिम प्रबंधन नीति,
- च. ऋण निगरानी और पर्यवेक्षण पर नीति,
- छ. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति,
- ज. आउटसोर्सिंग में जोखिम के प्रबंधन पर नीति,
- झ. प्रकटीकरण नीति,
- ञ. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति,
- ट. तनाव परीक्षण नीति, एवं
- ठ. एएलएम और एमआरएम पॉलिसी।

बैंक की जोखिम लेने की क्षमता सबसे प्रभावी कारक है। बैंक की वित्तीय जोखिम लेने की क्षमता उचित संकेतक द्वारा मात्रा के रूप में जोखिम लेने की इच्छा के रूप में परिभाषित की गई है (यानि बैंक के जोखिम व्यवहार की मांग के एक उपाय के रूप में), बशर्ते एक उपयुक्त जोखिम लेने की क्षमता की परिभाषा के अनुरूप जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए बैंक के लिए एक बुनियादी परिचालन उपलब्ध हो। उक्त बताए गए मार्ग-दर्शन के अनुसार बैंकों में ऋण जोखिम प्रबंधन किया जाना है। समय-समय पर केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले अनुदेशों के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करना है।

○○○

बढ़ता एनपीए – कारण एवं निवारण

बैंकों का मुख्य कार्य जमा संग्रहण व उस जमा संग्रहण से विभिन्न ऋण उत्पादों द्वारा ऋण प्रदान करना है। बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं, वह राशि या पैसा वास्तव में जमाकर्माओं का होता है जो बैंकों के पास एक न्यासी (Trustee) के रूप में होता है। अतः न्यासी के रूप में बैंकों का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि उनके द्वारा ऋण में दी जाने वाली राशि उचित ऋणियों को ही दी जाए जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि वह ऋण अर्जक (Performing) भी बनी रहे। बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि वे अपनी आस्तियों (Assets) की सुरक्षा सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आंतरिक व बाहरी जोखिमों को ध्यान में रखें।


एन.पी.ए. में बढ़ोतरी के कारण

आज के दौर में कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार का जोखिम न जुड़ा हो। ऋण कारोबार से जुड़े होने के कारण बैंकों के जोखिम का एक बड़ा भाग ऋण-जोखिम का है। किसी भी बैंक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने एन.पी.ए. (Non-performing assets) को वसूलने में कितना सक्षम है एवं वह एन.पी.ए. का किस तरह से प्रबंधन करता है।



श्री ए.के. बंसल
मुख्य प्रबंधक (विधि)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

वर्तमान दौर में समूचा बैंकिंग उद्योग एन.पी.ए. की गंभीर समस्या से ग्रस्त है। दिन प्रति दिन बढ़ता एन.पी.ए. बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौती बन गया है। एन.पी.ए. के दुश्चक्र से न केवल बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि पूंजी पर्याप्तता (Capital adequacy), निधियों (Funds) के पुनर्निवेश (Re-investment) तथा आय सृजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दुश्चक्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है।



एन.पी.ए. के इस दुश्चक्र के पीछे अनेक आंतरिक व बाहरी कारण हो सकते हैं। बाहरी कारणों पर नियंत्रण व उनका प्रबंधन किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के लिए लगभग असंभव होता है। लेकिन आंतरिक कारणों पर बैंक व वित्तीय संस्थाएं अपनी दक्षता व रणनीति द्वारा अवश्य ही काबू पा सकती हैं।

बाहरी कारण

1. आर्थिक मंदी,
2. प्रतिस्पर्धा,
3. कच्चे माल की कमी, एवं
4. औद्योगिक हड़ताल।

आंतरिक कारण

1. ऋणी व उसके प्रयोजन की सही पहचान में कमी,
2. ऋणी व उसकी साख की अपर्याप्त जानकारी,
3. ऋण-प्रस्ताव का उचित आकलन न होना,
4. प्रस्ताव से पूर्व व पश्चात् के पर्यवेक्षण में कमी,
5. अनुचित व अपूर्ण ऋण-दस्तावेज,
6. अपर्याप्त प्रतिभूतियां,
7. अनुवर्ती कार्रवाई की कमी,
8. अप्रभावी विधिक उपाय,
9. इरादतन चूक,
10. अकुशल प्रबंधन,
11. हिस्सेदारों के आपसी झगड़े, और
12. उत्पाद की मांग में कमी।

निवारण

जैसा पहले उल्लेख किया गया है कि बैंकिंग कारोबार का एक मुख्य घटक ऋण प्रदान करना होता है जो कि बैंक के अन्य कार्यकलापों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होता है। बढ़ते एनपीए को वश में रखने व कम करने हेतु एनपीए का प्रबंधन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। “परहेज इलाज से बेहतर है”, यह कथन बढ़ते एनपीए पर भी लागू होती है। एनपीए प्रबंधन का अर्थ है कि एनपीए से जुड़े सभी पहलुओं की पहचान, ऋणी का सही मूल्यांकन एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई।

संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में बढ़ रहा एनपीए हमारे लिए घोर चिंता का विषय है। समय की मांग है कि एनपीए प्रबंधन हेतु

एक मज़बूत प्रणाली अपनाई जाए। किसी भी कंपनी, संस्था या व्यक्ति को ऋण देते समय बैंकों को अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में कारोबार हेतु ऋण आबंटन एक चुनौती बन गया है। बैंकों को पूंजी की उपलब्धता के आधार पर अपनी व्यावसायिक योजना बनानी होगी जो अंततः ऋणियों द्वारा ऋण की अदायगी पर निर्भर करती है।

व्यवसाय में जटिलताएं बढ़ने के कारण जोखिम की सही पहचान करने के लिए ऋणी को मूल्यांकन, मॉनीटरिंग एवं उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इस आर्थिक मंदी के दौर में अनर्जक आस्तियों में भी सतत बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए और अधिक विवेकपूर्ण जोखिम मूल्यांकन तरीकों का प्रयोग किया जाए। एनपीए की वसूली पूंजी सृजन का एक प्रमुख स्रोत है। अतः इस कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है। साथ ही साथ, नए स्लिपेज से बचने के लिए भी सभी उपाय करने होंगे।

बढ़ते एनपीए के निवारण हेतु आवश्यक है कि जिन कारणों से एनपीए में बढ़ोतरी होती है, उनकी रोकथाम व उपचार। सर्वप्रथम तो कोशिश यही होनी चाहिए कि रोग ही न हो लेकिन यह भी लगभग असंभव है। अतः बहुत बार उपचार करना ही पड़ता है। निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं:

- सर्वप्रथम प्रस्तावित ऋणी की उचित पहचान व उसकी साख की जांच आवश्यक है। यह जानकारी उसके आवास व कार्यस्थल पर व्यक्तिगत रूप में जाकर की जानी चाहिए। आस पड़ोस से भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- जिस प्रयोजन हेतु ऋण प्रस्तावित है, उसकी सफलता, ऋणी की क्षमता व अनुभव आदि का आकलन करना अत्यावश्यक है।
- ऋणी द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियों की मौलिकता की जानकारी प्राप्त करना एनपीए की रोकथाम के लिए अत्यंत सहायक है। प्रतिभूतियों की मौलिकता का सत्यापन बैंक के पैनल अधिवक्ता व शाखा-स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत रूप में करना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो दस्तावेज ऋणी द्वारा ऋण सुरक्षित करने हेतु प्रस्तुत किए जाएं वे विधिक रूप से सही हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि जहां-जहां वांछित हो, दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाए, कोई भी दस्तावेज खाली न छोड़ा जाए, उसमें ऋण प्रदान करने के सभी नियम व शर्तें लिखी जाएं। सभी दस्तावेज सुरक्षित जगह पर रखे जाएं। यह याद रखना आवश्यक है कि ऋण प्रदान करने का आधार भी दस्तावेज ही है और एनपीए की वसूली का आधार भी दस्तावेज है।
- एनपीए प्रबंधन हेतु यह आवश्यक है कि ऋण प्रदान करने से पूर्व व पश्चात समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से जाकर ऋणी के कार्यस्थल तथा प्रतिभूतियों (Securities) का निरीक्षण किया जाए ताकि ऋणी की गतिविधियों पर उचित निगरानी रखी जा सके। किसी भी ऋण को एनपीए में बदलने से रोकने हेतु यह एक कारगर उपाय होता है।
- समय-समय पर व्यक्तिगत रूप में ऋणी के स्टॉक का निरीक्षण करना अत्यावश्यक है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऋणी के खाते का परिचालन उचित ढंग से हो रहा है तथा सभी लेनदेन उसके खाते के माध्यम से ही हो रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस प्रयोजन हेतु ऋण दिया गया है उसका प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु हो रहा है। यह सब सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बैंक द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। ऐसा करने से बैंक ऋण के प्रयोजन, स्टाफ, प्रबंधन व वित्तीय अनुशासन पर कड़ी नजर रख सकता है।

उक्त सभी बिंदु एनपीए को कम करने में काफी सहायक होंगे। फिर भी यदि कोई खाता एनपीए हो गया हो तो ऋण वसूली के दो माध्यम हैं: विधिक उपाय व गैर-विधिक उपाय।

गैर-विधिक उपाय

यह बात सर्वविदित है कि एनपीए की वसूली हेतु कानूनी प्रक्रिया अत्यंत कठिन, जटिल व खर्चीली है। इस दौरान ऋणी द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों की कीमत में भी कमी आती है तथा उसके द्वारा दिए गए ऋण दस्तावेज भी निष्क्रिय होने का

अंदेशा रहता है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि एनपीए की वसूली हेतु गैर-विधिक उपायों का सहारा लिया जाए, जैसे:

- ऋणी से समझौता (Compromise),
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) को एनपीए का विक्रय,
- लोक अदालत,
- रिकवरी कैम्प, तथा
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI ACT, 2002) के तहत ऋणी को नोटिस जारी करना व उसके उपरांत गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की नीलामी करना।

उपर्युक्त उपाय आज के संदर्भ में काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं तथा बैंक इन उपायों द्वारा अपने एनपीए में काफी वसूली करने में कामयाब रहे हैं।

विधिक उपाय

ऐसा नहीं है कि एनपीए की वसूली मात्र गैर-विधिक उपायों द्वारा ही संभव है। बैंकों को अक्सर अदालतों में दावे दायर करने पड़ते हैं जिनका अपना महत्त्व है। कर्ज वसूली अधिकरण की स्थापना से पूर्व सभी वाद दीवानी अदालतों में दायर होते थे। लेकिन कर्ज वसूली अधिकरण की स्थापना के उपरांत वसूली प्रक्रिया काफी हद तक आसान व कम खर्चीली हो गई है तथा दावों का निपटारा भी शीघ्र होने लगा है। लेकिन इसी बीच बैंकों को अपनी अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक को दी गई प्रतिभूतियों में ऋणी कोई हेर-फेर न कर सके।

एनपीए को नियंत्रण में करने हेतु इसकी पहचान, निर्धारण व अनुवर्ती कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। नए स्लिपेज का पूर्वानुमान लगाने का हुनर, तकनीक और विवेकपूर्ण निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ताकि कम से कम अधित्याग (Sacrifice) करके अधिक से अधिक वसूली हो सके।

○○○

एनपीए नियंत्रण – एक चुनौती

एक समृद्ध अर्थव्यवस्था देश की उन्नति व समृद्धि का द्योतक है। प्रतिस्पर्धी वैश्विक कारोबारी माहौल में अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी स्थिरता हेतु स्वस्थ, गतिशील व्यवसाय के साथ जीवंत बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है जो वास्तव में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। अनिश्चितताओं और अवसरों का नाम ही व्यवसाय है। जोखिम वे अनिश्चितताएं हैं जिनके कारण व्यवसाय में आशा से भिन्न परिणाम मिलने की सम्भावनाएं होती हैं। वस्तुतः जोखिम, परिणाम में अनिश्चितता का पर्याय है जो कि लाभ अथवा हानि दोनों रूपों में परिणत हो सकता है। जोखिम शब्द को प्रायः वित्तीय नुकसान के रूप में समझा जाता है तथा व्यवसाय में नकारात्मक विचलन को ही जोखिम मान लिया जाता है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय में अंतर्निहित है तथा हर जोखिम तथा उसके संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाना दुष्कर है। परंतु कुशल जोखिम प्रबंधन के माध्यम से व्यवसाय में संभावित नुकसानों को न्यूनतम स्तर पर रखकर लाभप्रदता बढ़ाना संभव है।

बैंकिंग व जोखिम

बैंकिंग व्यवसाय भी जोखिम पर आधारित है क्योंकि इसमें प्रत्याशित व अप्रत्याशित संभावनाओं की बहुलता मिलती है।



श्री ध्रुव मुखर्जी
वरिष्ठ प्रबंधक

इलाहाबाद बैंक, कोलकाता


जोखिम व बैंकिंग का चोली और दामन का रिश्ता है जिसे पृथक करना सर्वथा कठिन है। आधुनिक बैंकिंग पहले से ज्यादा परिष्कृत एवं जटिल हो रही है। बैंकिंग व्यवसाय के अंदरूनी तथा बाहरी परिदृश्यों ने उसको और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बनाने एवं नित नई जोखिमों का सामना करने हेतु सज्जित हो रहा है।

प्रत्येक व्यवसाय में 'जोखिम नहीं तो लाभ नहीं' का नियम लागू होता है परंतु बैंकिंग व्यवसाय में यह नियम कुछ हटकर है। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सर्वाधिक जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि इसमें जनता का धन दाँव पर लगा होता है और जो अत्यधिक लीवरेज्ड है। बैंकिंग व्यवसाय में बढ़ती विविधता एवं प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर समावेश से बैंकों के सामने बाजार एवं ऋण जोखिमों के साथ अन्य जोखिमों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जोखिम-विविधता तथा विभिन्न जोखिम-प्रकृति के कारण बैंकिंग व्यवसाय अतिसंवेदनशील हो रहा है, इसलिए बैंकिंग में जोखिम का समुचित प्रबंधन अपरिहार्य हो गया है क्योंकि स्टैकहोल्डरों के हितों की सुरक्षा करना अनिवार्य है। अतः आवश्यकता है एक सुदृढ़ जोखिम-प्रबंधन प्रणाली की जो अप्रत्याशित संभावनाओं का सही मूल्यांकन कर बैंकों को उन हानियों से बचने में सक्षम बना सके।

बैंकिंग में जोखिम के विविध रूप

मुख्यतः जोखिम को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

1. वित्तीय
2. गैर-वित्तीय
3. तकनीक-आधारित



ऋण जोखिम व आस्ति गुणवत्ता

ऋण जोखिम काउंटरपार्टी की ऋण गुणवत्ता में हास हो जाने के कारण ऋण देने संबंधी निर्णीत संविदाओं में चूक अथवा उन्हें पूरा न करने के नकारात्मक परिणाम को संदर्भित करता है। ऋण जोखिम में मुख्यतः काउंटरपार्टी चूक, इक्विटी, प्रतिभूतीकरण तथा संकेंद्रण जोखिम निहित हैं।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता व उनकी लाभप्रदता पर अन्य जोखिमों की तुलना में ऋण जोखिम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बैंकों के स्वस्थ होने का सबसे अच्छा संकेत उसके गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के स्तर से ज्ञात होता है। आम तौर पर एनपीए का कम होना बैंकों की सुदृढ़ क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को तथा एनपीए का अधिक होना उसकी कमजोर लाभप्रदता को जाहिर करता है।

आस्ति वर्गीकरण	अकाउंट वर्गीकरण	उप-वर्गीकरण
निष्पादक/अर्जक आस्तियां	मानक (स्टैंडर्ड) खाते	—
दबावग्रस्त/स्ट्रेस्ड आस्तियां	विशेष उल्लेख/ (स्पेशल मेंशन) खाते	एसएमए-0 एसएमए-1 एसएमए-2
गैर निष्पादक/अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	अनर्जक (नॉन पर्फार्मिंग) खाते	अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) संदिग्ध (डाउटफुल) हानिप्रद (लॉस)

बैंकिंग उद्योग संक्रमण चरण से गुजर रहा है। भारतीय बैंकिंग की कुल आस्तियों में 78 प्रतिशत भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। वे अत्यधिक गैर-निष्पादित आस्तियों व मानव शक्ति के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी के बोझ तले दबे हुए हैं। परंतु सबसे गंभीर समस्या एनपीए की है जिसकी भयावहता एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली को खतरे का आभास करा रही है। एनपीए पर नियंत्रण बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। अतः बैंकों की दक्षता और लाभप्रदता में सुधार हेतु एनपीए को युद्ध-स्तर पर कम व नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

आस्ति-वर्गीकरण, आय-निर्धारण एवं प्रावधानीकरण की संकल्पना

नरसिंहम समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्तुतियों में आस्ति-वर्गीकरण, आय-निर्धारण एवं प्रावधानीकरण की सिफारिशें शामिल हैं जो उद्देश्यपरक एवं वास्तविक ऋण-वसूली नीतियों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों के तहत, आस्ति-वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार ऋण आस्तियों को तीन मुख्य श्रेणियों अर्थात् निष्पादक (अर्जक), दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) एवं गैर-निष्पादक (अनर्जक/एनपीए) में वर्गीकृत किया गया है।

जिन ऋण खातों में वसूली नियमित रूप से हो, सामान्य जोखिम के अतिरिक्त कोई अन्य जोखिम न हो उन्हें स्टैंडर्ड/मानक आस्ति माना गया है और उन पर ब्याज से अर्जित आय को ही आय के रूप में स्वीकार किया गया है। दबावग्रस्त आस्तियां वे ऋण हैं जिनको उधारकर्ता समय से नहीं चुकाते हैं। जब बैंक उधारकर्ताओं को ऋण चुकता करने में और अधिक समय नहीं देते हैं तो उन आस्तियों को गैर निष्पादक (अनर्जक/एनपीए) कहा जाता है। यदि उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने हेतु और अधिक समय दिया जाता है तो इन्हें पुनर्चित आस्तियों की संज्ञा दी जाती है।

मानक और अवमानक खातों के बीच 'विशेष उल्लेख खाते' हैं। जिन आस्तियों के अवमानक खातों में परिवर्तित होने की आशंका होने लगती है वे इस श्रेणी में आती हैं। चेतावनी-संकेत मिलते ही ऐसी मानक आस्तियों को समय रहते अवमानक आस्तियों में परिवर्तित होने से रोकना ही इनका उद्देश्य है।

भारतीय बैंकिंग-एनपीए परिदृश्य

भारतीय बैंकिंग एनपीए के बढ़ने से विशेष चुनौतियों का

सामना कर रही है। सकल एनपीए 26 प्रतिशत की दर से मार्च 2014 के ₹2.4 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 में ₹3.02 लाख करोड़ हो गयी है जो 4.15 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। 'दबावग्रस्त-आस्ति अनुपात' मार्च 2015 में 11.1 प्रतिशत पहुंच गया जो मार्च 2014 में 10.7 प्रतिशत था। अशोध्य ऋणों के मार्च 2015 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर 2015 में 4.8 प्रतिशत तक होने की संभावनाएं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताया है कि यदि माइक्रो अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो मार्च 2016 तक अशोध्य आस्तियां 5.9 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। मार्च 2016 तक पीएसबी में एनपीए बढ़कर 7 प्रतिशत तथा निजी बैंकों में 4.1 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावनाएं हैं। पीएसबी ने अपने तुलन-पत्रों पर से दबावग्रस्त ऋणों का प्रेशर कम करने के लिए ₹14000 करोड़ एनपीए बेच दिए हैं। रेटिंग एजेंसी 'आईसीआरए' के अनुसार अगले एक वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में एनपीए के ₹ 60,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ने की संभावनाएं हैं तथा कमजोर आस्तियों के 6 प्रतिशत के उच्च-स्तर पर बने रहने से ₹5.3 लाख करोड़ तक हो जाने की उम्मीद है। 'क्रिसिल' के मुताबिक 2015-16 में 'एआरसी' द्वारा ₹12,000-14,000 करोड़ मूल्य के एनपीए खरीदे जाने की संभावना है जो बैंकों की कम अवशोषण-क्षमता की ओर इशारा करती है। बैंकों के जोखिम-युक्त क्षेत्रों की चपेट में रहने की प्रबल संभावना के चलते संभवतः वे इस बोझ को वहन करने में असमर्थ हो जाएं। विगत वर्षों में घरेलू अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण भारतीय बैंकिंग विशेषकर पीएसबी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट देखी गई व खराब ऋणों का अनुपात दुगना हो गया। बहुत सारी परियोजनाओं में एनपीए और पुनर्चित खातों की संख्या में वृद्धि हुई है व आधे से अधिक पुनर्चित ऋण फिर से स्ट्रेड आस्तियों में परिवर्तित हो गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भी बैंकिंग की बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता में छिपे संभावित खतरों को इंगित कर रहा है जिसे प्रमुख चिंता व चुनौती के रूप में देखा जा रहा है:

गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र : एनपीए की बढ़ती हिस्सेदारी

विगत वर्षों में आस्ति गुणवत्ता की गिरावट में गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का अधिक योगदान रहा है। 2014 के 36 प्रतिशत सकल एनपीए अनुपात की तुलना में 2015 में यह कम

होकर 34 प्रतिशत तक रह गया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में, एनपीए अनुपात कृषि व मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्रों में बढ़ गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में सकल एनपीए (कुल ऋण %)

विवरण	2013		2014		2015
	मार्च	सितं.	मार्च	सितं.	मार्च
सकल एनपीए	3.4	4.2	4.1	4.5	4.6
निवल एनपीए	-	2.3	2.2	2.5	2.5
स्ट्रेड आस्तियां	9.2	10.2	10.0	10.7	11.1
पुनर्चित आस्तियां	5.8	5.8	5.9	6.0	6.1

क्षेत्र	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15
कृषि	4.3	4.7	4.4	5.4
मध्यम/छोटे उद्यम	4.0	5.1	5.2	6.5
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	4.4	3.0	3.0	3.7
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	4.2	4.4	4.4	5.2
गैर प्राथमिकता क्षेत्र	2.3	3.0	4.0	4.7
कुल	2.9	3.4	4.1	5.1

प्रमुख उद्योगों में एनपीए

मार्च 2015 तक बैंकों के कुल ऋण का लगभग 47 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में बकाया था जिसमें 58 प्रतिशत से अधिक एनपीए था। कुल ऋण का 30 प्रतिशत सात मुख्य उद्योगों में निवेशित है तथा 36 प्रतिशत सकल एनपीए है।

खुदरा ऋण व एनपीए

मार्च 2015 में सकल खुदरा ऋणों में मामूली वृद्धि हुई लेकिन सकल एनपीए में 2 प्रतिशत की कमी हुई। यह समग्र ऋण सकल एनपीए अनुपात की तुलना में कम था।

एनपीए का बैंकिंग पर प्रभाव

2014-15 में परिचालन व्यय तथा एनपीए वृद्धि को कवर करने की आवश्यकताओं ने बैंकों को उनके प्रावधानों में वृद्धि हेतु बाध्य किया जिसने उनकी लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जो चयनित वित्तीय संकेतकों से स्पष्ट है।

विवरण	मार्च	स्थिति	निष्कर्ष
सीआरएआर	2013	13.9	गिरावट ↓
	2014	13.0	
कोर सीआरएआर	2013	10.3	गिरावट ↓
	2014	10.1	
सकल एनपीए व सकल ऋण अनुपात	2013	3.4	↑ वृद्धि
	2014	4.1	
निवल एनपीए व निवल ऋण अनुपात	2013	1.7	↑ वृद्धि
	2014	2.2	
रिटर्न ऑन ऐसेट्स	2013	1.1	गिरावट ↓
	2014	0.8	
रिटर्न ऑन इक्विटी	2013	12.9	गिरावट ↓
	2014	9.5	
दक्षता (लागत/आय अनुपात)	2013	46.2	↑ वृद्धि
	2014	48.0	
इंटरैस्ट स्प्रेड (%)	2013	1.9	बदलाव नहीं
	2014	1.9	↔
लिक्विड ऐसेट्स व कुल ऐसेट्स अनुपात	2013	28.4	बदलाव नहीं
	2014	28.4	↔
पुनर्चित ऐसेट्स व कुल ऋण अनुपात	2013	5.8	↑ वृद्धि
	2014	5.9	

बढ़ते एनपीए के दुष्परिणाम

- बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डालने वाला एक बड़ा कारक वसूल न हो पाने वाले ऋणों (एनपीए) की विद्यमानता और उनमें वृद्धि होना है क्योंकि बैंकों को इनसे कोई आय नहीं होती है अपितु उनके रखरखाव के लिए अलग से व्यय के साथ भविष्य के नुकसान हेतु प्रावधान भी करना पड़ता है।
- 2015 की तुलना में पीएसबी के नेट प्रॉफिट में 26.9

प्रतिशत के साथ ₹38,017 करोड़ की तेज गिरावट दर्ज की गयी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार बैंकिंग उद्योग के पास ₹2 लाख करोड़ का एनपीए स्टॉक है जिसकी वजह से बैंकों को प्रतिवर्ष ₹20,200 करोड़ का न्यूनतम नुकसान उठाने के साथ अलग से ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान भी करना पड़ सकता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव बैंकों की पूंजी निर्माण पर पड़ेगा।

- अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान हेतु बैंकों को अपने सीमित संसाधनों- श्रम, धन और समय का प्रयोग करना पड़ता है अन्यथा इनका उपयोग अन्य लाभप्रद/उत्पादक क्षेत्रों में हो सकता था।
- बढ़ते हुए एनपीए के चलते बैंक विशेषकर कॉर्पोरेट क्षेत्र को ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें ऋणों के खराब हो जाने का भय सताता है। पिछले कुछ महीनों में क्रेडिट-वृद्धि की रफ्तार बहुत धीमी रही है और 18 सालों में सबसे निचले स्तर तक पहुँच गयी है। स्ट्रेस्ड आस्तियों को संभालने में बैंक अधिक व्यस्त हैं तथा नवोन्मेषी तरीके से क्रेडिट बढ़ाने के बारे में कम ध्यान दे रहे हैं। एनपीए की वसूली न होने से जरूरतमंद व्यक्तियों/क्षेत्रों विशेषकर छोटे उद्योगों, लघु कारोबारियों, कम आय वर्ग के लोगों तथा नई परियोजनाओं हेतु ऋण प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इससे बैंक का कारोबार सीमित हो जाता है जिसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है।
- एनपीए से ब्याज पर होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु बैंक कुछ हद तक अपने अच्छे ग्राहकों से ऊँची ब्याज दर चार्ज करते हैं। इस तरह ऋण-लागत अर्थात् ब्याज दर में वृद्धि होती है और फलस्वरूप कई चल इकाइयों की व्यवहार्यता प्रभावित होती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक, 'भारतीय बैंकिंग प्रणाली' में खराब ऋणों की सीमा अभी तक अपने चरम तक नहीं पहुँची है। उधारदाताओं से मिलकर भारतीय रिज़र्व बैंक व बैंक एनपीए का पता लगाने और उन्हें कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

एनपीए के कारक

बैंकों में एनपीए वृद्धि के मुख्य कारक '3बी' से संबंधित

हैं। इन कारकों के अनियंत्रित होने से गैर-निष्पादक आस्तियों में बढ़ोतरी होती है।

प्रथम बिज़नेस एंवायरमेंट

द्वितीय बॉरोअर(उधारकर्ता)

तृतीय बैंकर

बैंकिंग क्षेत्र में कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं तथा बैंकों से संबंधित मुख्य कारक निम्नवत् हैं-


प्रथम-बी : बिज़नेस एंवायरमेंट (कारोबारी माहौल)	
■ वैश्विक और देशी अर्थव्यवस्था में मंदी	■ सामाजिक-राजनीतिक दबावों में लिए गए वाणिज्यिक ऋण फैसले
■ वैश्विक और घरेलू बाज़ार में अचानक परिवर्तन	■ दीर्घकालीन नीतिगत अड़चनें व अनुमोदन प्रक्रिया में देरी
■ ऋण वसूली हेतु अनुकूल कानूनी प्रणाली का अभाव	■ सरकारी नीतियों में आमूल-चूल बदलाव यथा कोयला खदान व दूरसंचार लाइसेंसों का निरस्तीकरण
■ विनियामक ढांचे में सामंजस्य का अभाव	■ प्राकृतिक आपदाएँ घोटाले/ स्कैम
■ राजनीति से प्रेरित घोषणाएं जैसे ऋण-राहत योजनाएं	
■ ऋण-चुकोती संस्कृति में हास	

द्वितीय-बी : बॉरोअर	तृतीय-बी : बैंकर
■ परियोजनाओं/गतिविधियों का गलत चुनाव	■ क्रेडिट कौशल में कमी
■ अप्रचलित प्रौद्योगिकी को अपनाना	■ आवेदनों के सुदृढ़ सत्यापन व छानबीन की प्रक्रिया की कमी

■ प्रमोटर/प्रबंधन विवाद	■ ऋण मूल्यांकन, क्रेडिट निर्णय एवं संवितरण में विलंब
■ अकुशल प्रबंधन	■ बाहरी प्रभावों के तहत लिए गए क्रेडिट निर्णय
■ संसाधनों की कमी	■ कंपनियों/उद्योगों का क्रेडिट हेतु गलत चयन
■ तनावपूर्ण श्रम-संबंध	■ उचित ऋण निगरानी का अभाव
■ धन का दुरुपयोग	■ संवितरण व वसूली व्यवस्था में कमजोरी
■ सज़ान ऋण भुगतान में चूक	■ प्रभावी एनपीए प्रबंधन का अभाव
■ इरादतन धोखाधड़ी	

एनपीए नियंत्रण - एक चुनौती

बैंकों के समक्ष इस समय सबसे बड़ी चुनौती विकराल रूप धारण कर चुके एनपीए पर अंकुश लगाना है। बैंकों का ऋण-कारोबार भी व्यापार-जोखिम/डिफॉल्ट-जोखिम के अधीन होता



है। एनपीए जोखिम पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता पर इसे कम्फर्ट लेवल तक नियंत्रित करना सम्भव है। बिज़नेस एंवायरमेंट के अधिकतर एनपीए कारक बैंकों के नियंत्रण से परे होते हैं जिनको नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है। बॉरोअर को प्रभावित करने वाले एनपीए कारकों पर बैंकों का आंशिक रूप से ही प्रभाव पड़ता है अतः उनको नियंत्रित करना बैंकों के लिए दुष्कर होता है। बैंकों की वजह से एनपीए में परिवर्तित ऋणों पर अपनायी गयी रणनीतियों से उनको काफी हद तक नियंत्रित करना संभव होता है।

उपलब्ध विकल्प

समय पर कार्रवाई और उपयुक्त रणनीतियां दबावग्रस्त आस्तिओं को एनपीए होने से रोकती हैं। साधारणतः बैंकों के समक्ष स्ट्रेस्ड आस्तियों को सब-स्टैंडर्ड आस्तियों में तबदीली से बचाने हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होते हैं:

- उधारकर्ता से निश्चित अवधि में खाते को दुरुस्त करने का वचन-पत्र लेना,
- ऋण-अवधि का पुनर्निर्धारण/पुनर्चना,
- ऋण की पुनर्चना/पुनर्वास,
- उधारकर्ताओं से समझौता,
- कानूनी कार्रवाई,
- खातों से अलग होना,
- राइट ऑफ एवं
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए का विक्रय।

उपचारात्मक उपाय

निम्न उपचारात्मक उपायों के अंतर्गत विभिन्न रणनीतियों को एक साथ कार्यान्वित कर एनपीए को कम्फर्ट लेवल तक नियंत्रित करना संभव है:



निवारक रणनीतियां

प्रारंभिक चेतावनी संकेत मानक आस्तियों को एनपीए होने से रोकने के लिए निवारक उपाय हैं। इनको पांच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वित्तीय,
- परिचालनगत,
- बैंकिंग,
- प्रबंधन, और
- बाहरी कारक।

वित्तीय व परिचालनगत	
▶	खाते में लगातार अनियमितता
▶	चुकौती में डिफॉल्ट
▶	एलसी में बढ़ोतरी/गारंटियों का इनवोकेशन
▶	कार्यशील पूंजी व तरलता में गिरावट
▶	इक्विटी के सापेक्ष दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि
▶	बिक्री में गिरावट
▶	परिचालन/निवल घाटे
▶	बढ़ती बिक्री, गिरता मुनाफा
▶	बिक्री के सापेक्ष ओवरहेड्स में वृद्धि
▶	बैड डेट में वृद्धि
▶	निम्न गतिविधि-स्तर
▶	योजना में लगातार परिवर्तन/अव्यवस्थित विविधीकरण
▶	महत्वपूर्ण ग्राहक-क्षति
▶	लगातार श्रम समस्याएं
▶	बड़े स्तर पर इवेंट्री
बैंकिंग	
▶	खातों में गिरता बैंक-बैलेंस/घटता संचालन
▶	अन्य बैंकों में खाते खोलना
▶	जावक बिल-वापसी/डिस्ऑनर्ड चेक
▶	बिक्री-लेनदेन बिना खातों के माध्यम से
▶	ऋण हेतु लगातार अनुरोध

▶ स्टॉक-विवरण, वित्तीय डेटा आदि प्रस्तुत करने में लगातार देरी
प्रबंधन
▶ प्रमुख कर्मियों से सहयोग में कमी
▶ प्रबंधन/स्वामित्व/प्रमुख स्टाफ में परिवर्तन
▶ अनुचित जोखिम
▶ पारिवारिक विवाद
▶ कमजोर वित्तीय नियंत्रण
▶ धन-डाइवर्जन
बाहरी कारक
▶ आर्थिक मंदी
▶ नई प्रतिस्पर्धा
▶ नई प्रौद्योगिकी का उद्भव
▶ सरकारी/विनियामक नीतियों में परिवर्तन
▶ प्राकृतिक आपदाएं

अन्य निवारक रणनीतियां

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित एवं अनुकूल नियामक व्यवस्था का निर्धारण - विशेषकर उन क्षेत्रों में जो मंदी/राजनीतिक घोटाले की वजह से प्रभावित हुए हों जैसे कपड़ा, एविएशन व कोयला आधारित उद्योग।
- समाज की ऋण-चुकौती प्रवृत्ति/मानसिकता में सुधार, राजनीतिक कर्ज-माफी योजनाओं पर प्रतिबंध और समय पर ऋण चुकौती पर उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन।
- फौजदारी/दिवालियापन से जुड़े कानूनी प्रावधानों में मजबूती।
- बैंकों के क्रेडिट कौशल/तकनीक तथा ऋण निगरानी उपकरणों में सुधार।
- अनैतिक कार्यों में लिप्त तृतीय पक्ष यथा चार्टर्ड एकाउंटेंट, मूल्य-निर्धारक, कानूनी सलाहकार आदि के विरुद्ध विशेष कानूनी तंत्र/प्रक्रिया का प्रावधान।
- कंसोर्टियम (संघ) बैंकों द्वारा लिखित अनुमति के बिना उधारकर्ताओं द्वारा किसी अन्य बैंकों में चालू खाता खोलने पर प्रतिबंध।

सुधारात्मक रणनीतियां

क्रेडिट-प्रबंधन में लगातार '3आर' सुधारात्मक रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना -

1 आर	रेक्टिफिकेशन (परिहार)	2 आर	रिस्ट्रक्चरिंग (पुनर्रचना)	3 आर	रिकवरी (वसूली)
------	--------------------------	------	-------------------------------	------	-------------------

- गैर निष्पादित आस्तियों की जल्दी पहचान, अलाभकारी इकाइयों की वसूली/बिक्री, व्यवहार्य इकाइयों के रिवाइवल के लिए 'संयुक्त ऋणदाता फोरम' योजना के तहत 'स्पेशल मेंशन अकाउंट-2' के लिए लागू दिशा-निर्देशों को मौजूदा एनपीए खातों पर भी लागू करना।
- 'डेटर-क्रेडिटर करार' में 'स्टैंड इन क्लास' को शामिल करना जो उनको 'स्टैंड-स्टिल' अवधि के दौरान किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई न करने की प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करे। इन उपायों द्वारा उधारदाताओं को देनदारों द्वारा बड़े मुकदमों से बचने में सहायता मिलेगी।
- स्ट्रेस्ड आस्तियों की शीघ्रता से पहचान हेतु 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेषकर बड़े ऋणों हेतु 'चेतावनी प्रणाली' को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से स्थापित 'सूचना केंद्रीय भंडार (क्रिलिक)' का उपयोग करना।
- ऋण-वसूली प्रोसेस में तेजी लाने हेतु 'दिवालियापन कानून' में संशोधन करना। इस दिशा में वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2014 में कानूनी ढांचे के अध्ययन हेतु समिति का गठन किया है।
- बकायादारों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ 'वाणिज्यिक न्यायालय प्रणाली' का गठन किया जाना।
- एसडीआर के तहत पुनर्गठन समझौतों में चूककर्ता कंपनियों के ऋण-जोखिम को इक्विटी में रूपांतरण से संबंधित धाराएं शामिल करना।
- बैंकों में वास्तविक समय आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करना जो बाजार संचालित निर्णयन में सहायक होने के साथ एनपीए पर पैनी नज़र रख सके।
- क्रेडिट रेटिंग ऋण जोखिम का मापक है तथा एनपीए ऋण जोखिम का प्रतिबिंब। अतः बैंकों को जोखिम प्रबंधन तंत्र

के साथ आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों तथा आंतरिक रेटिंग का संतुलित उपयोग करना।

- एनपीए नियंत्रित करने हेतु एसएलबीसी/बीएलबीसी मंचों व जिला परामर्शदात्री समितियों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
- संभावित गैर निष्पादित आस्तियों की पहचान हेतु क्रेडिट ऑडिट और समवर्ती लेखा परीक्षा का उपयोग करना।

दंडात्मक रणनीतियां

- असहयोगी उधारकर्ता व इरादतन चूककर्ता गैर-निष्पादित आस्तियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उनके लिए कठोर दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान लागू करना।
- क्रेडिट/पुनर्रचना/सीडीआर के समय कुछ उधारकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त पूँजी/कोलेटरल उपलब्ध कराने का वचन देने के बावजूद उसका पालन नहीं करना जिसकी वजह से परियोजनाओं का अलाभकारी होना। उधारकर्ताओं के इस तरह के कृत्यों को इरादतन चूक मानना तथा उनको इरादतन चूककर्ता घोषित किया जाना।
- इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराना और समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना। उनके किसी भी चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाना।
- एनपीए वसूली हेतु दो दंडात्मक उपायों-डीआरटी अधिनियम और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन कर उन्हें प्रभावी बनाना व उनको कड़ाई से लागू करना। कानूनी पेचिदगियों में उलझे एनपीए हुए ऋणों की वसूली हेतु कानूनी प्रणाली में व्याप्त खामियों को जल्द से जल्द दूर करना।

उदाहरणार्थ डीआरटी कानूनों में मामलों के निपटान की 6 महीनों की समय सीमा को बढ़ाना जिससे बैंकर गैर-निष्पादित आस्तियों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

- स्ट्रेस्ट आस्तियों हेतु ई-नीलामी बाजार को विकसित करना जिससे सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के तहत वसूली तेजी से हो सके।
- ऋण-मुक्ति शिविरों का आयोजन कर एनपीए की वसूली

हेतु उधारकर्ताओं से आमने-सामने बैठकर बातचीत तथा 'वन टाइम सेटलमेंट' करना।

- रिकवरी व डिटेक्टिव/जांच एजेंसी की नियुक्तियाँ करना।
- लोक अदालतों में समझौतों के माध्यम से एनपीए मामलों को निपटाना।
- पीएनपीए खाते, जो 'क्रिटिकल अमाउंट इन डिफाल्ट' (कैड) की श्रेणी में आते हैं, को यथाशीघ्र नियमित करना। उन उधारकर्ताओं/गारंटरो पर अनुवर्ती कार्रवाई से इतना दबाव बनाना कि वे यह महसूस करें कि बैंक सतर्क हैं तथा उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु तत्पर हैं।
- संभावित एनपीए खातों की पहचान दैनिक आधार पर करना तथा चिह्नित होने के पश्चात तुरंत निगरानी शुरू करना।

निष्कर्ष

एनपीए रूपी दानव बैंक क्रेडिट को महंगा और दुर्लभ बना रहा है जो लगातार और धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। यदि इस समस्या को तत्परता और प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह देश में वित्तीय समावेशन के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास को भी डिरेल कर देगा। हाल के वर्षों में विश्व में हुए आर्थिक उथल-पुथल से उत्पन्न बैंकिंग-स्ट्रेस से भारत को भी मौलिक सबक लेनी चाहिए। सभी संबंधित पक्षों के लिए यह उचित समय आ गया है कि वे इस विशाल समस्या को समझते हुए विनियामक उपायों को रिफ्रेम करें, कानूनी प्रणाली को मजबूत बनाएं तथा क्रेडिट अनुशासन व ऋण चुकौती संस्कृति को तैयार करें जिससे आर्थिक विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जीवंत बनाया जा सके।

हमारी विघ्न प्रबंधन यानि जोखिम प्रबंधन की प्रणाली जितनी सशक्त होगी, हम अपने कार्य का दायरा उतने अधिक विश्वास के साथ बढ़ा सकेंगे और देश की उन्नति एवं अर्थव्यवस्था के विकास में उतना ही योगदान दे सकेंगे।

○○○

बाजार जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्व

सामान्यतः हम सबमें इसका एक सहज अहसास मौजूद होता है कि जोखिम क्या है। तथापि, इसे एक परिभाषा में बाँधना मुश्किल है। हम इसे अप्रत्याशित या अवांछित परिणाम के रूप में देखते हैं। वास्तविक दुनिया में 'जोखिम' या 'रिस्क' कोई ऐसी चीज है जो अनिश्चितता और क्षति के खतरे से जुड़ी हुई है।

जोखिम के कई कारण हैं। कारोबारी चक्र, मुद्रास्फीति, सरकारी नीति में बदलाव, युद्ध आदि मानवीय कृत्य, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं, सामान्य आर्थिक व तकनीकी विकास के क्रम में घटने वाली घटनाएं, इत्यादि। आर्थिक जगत में कारोबारी, रणनीतिपरक और वित्तीय जोखिम होते हैं। परिणाम में किसी प्रकार के अंतर या व्यतिक्रम को जोखिम (रिस्क) का नाम दिया जाता है। परिणाम प्रत्याशित या अप्रत्याशित हो सकते हैं तथा अंतर अनिश्चितता या संभाव्यता के कारण हो सकता है। जिस तरह रिस्क को परिभाषित करना मुश्किल है,



श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

उसी तरह इसका वर्गीकरण भी। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो पूरी तरह पैसे में गिने जाते हैं और कुछ को किसी सूचकांक या ग्राफ में दर्ज अंकों व रेखाओं के सापेक्ष देखा जाता है।

बाजार भाव में बदलाव से किसी वित्तीय उपकरण/लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) के मूल्य (वैल्यू) में उतार-चढ़ाव के जोखिम को बाजार जोखिम कहते हैं- बदलाव चाहे किसी इन्स्ट्रूमेंट विशेष की खासियत से हो या बाजार में ट्रेड किए जाने वाले सभी लिखतों से जुड़े कारणों से हो। बाजार जोखिम से जुड़े सबसे प्रमुख कारक हैं - ब्याज दर, एक्सचेंज रेट, ट्रेड पोर्टफोलियो में निवेश की लागत (लिखत जिस जाति का भी हो - ऋणगत या पूँजीगत), बैंक की गतिविधि संबंधी बाजार चर (मार्केट वैरिएबल्स) व जिंसों की कीमतें। उपर्युक्त एक या एकाधिक या इनका जटिल मिश्रण किसी इन्स्ट्रूमेंट विशेष अथवा पूरे पोर्टफोलियो में रिस्क की वजह बन सकता है।

बाजार जोखिम मोटे तौर पर कीमतों, ब्याज दरों और एक्सचेंज रेट से बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का नाम है। बाजार जोखिम के नियंत्रण व प्रबंधन में अन्य कई लक्ष्यों से ताल-मेल रखकर चलना पड़ता है, यथा बैंक की आय; किसी अप्रत्याशित क्षति से बचाव की तैयारी; बैंक के संगठनात्मक ढाँचों व प्रबंधन प्रक्रियाओं को बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों के अनुरूप ढालने एवं तदनुसार जोखिम प्रबंधन का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखने की जरूरत; पारदर्शी व सुसंगत सूचना प्रणाली को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना; जोखिम प्रबंधन को कारोबारी रणनीति व पद्धति का हिस्सा बनाना; इत्यादि।

बाजार जोखिम को झेलने की क्षमता बैंक की पूँजी, रिज़र्व, बाजार से इतर कारकों से संभावित जोखिमों तथा विनियामक पूँजी की स्थिति पर निर्भर करती है। अतः बैंकों की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली ऐसी हो जिसमें प्रबंधन को मार्केट रिस्क के प्रति एक्सपोज़र की जानकारी बराबर मिलती रहे।

बाज़ार जोखिम के प्रकार एवं सहायक तत्व

ब्याज दर

ब्याज दर में परिवर्तन से वित्तीय उपकरण/लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) या पोर्टफोलियो की गुणवत्ता या उसके मूल्य (वैल्यू) या संस्था की हालत पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना को ब्याज दर जोखिम कहते हैं। बैंक इसे अपने कारोबार का सामान्य हिस्सा मानकर चलते हैं परंतु ब्याज दर जोखिम की अधिकता से बैंक की आय और पूँजी आधार बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इससे बैंक की कमाई के अलावा निवल ब्याज आय तथा उन पक्षों की आय व परिचालन लागत पर भी असर पड़ता है जो ब्याज से जुड़ी हैं। ब्याज दर में परिवर्तन से बैंक की आस्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस-शीट आइटम्स पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे भावी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य और कुछ मामलों में चालू नकदी प्रवाह ही बदल जाता है। ब्याज दर में उलट-फेर से ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) और पास आए संसाधनों को बनाए रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन, जो जोखिम को यथोचित दायरे में रखे, बैंक की स्थिरता के लिहाज से बड़ा अहम है। इसके कारण व सहायक तत्व इस प्रकार हैं :

जोखिम का पुनः मूल्य-निर्धारण

वित्तीय मध्यस्थ होने के कारण ब्याज दर जोखिम बैंकों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसका सबसे आम और चर्चित रूप बैंकों की आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता एवं ब्याज दरों में अंतर में देखने को मिलता है। 'रूटिन मैटर' होने पर भी इससे बैंक की आय और आर्थिक आधार में बड़ा

उतार-चढ़ाव आ सकता है। जैसे, स्थिर ब्याज वाले दीर्घावधि ऋण को यदि अल्पावधि जमाराशि से फाइनेंस किया जा रहा है तो ब्याज दर के बढ़ने पर बैंक की भावी आय प्रभावित हो सकती है।

प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व)

पुनः मूल्य-निर्धारण से यील्ड कर्व प्रभावित होती है। यील्ड कर्व में अप्रत्याशित परिवर्तन से जब बैंक की आय और आधारभूत आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे यील्ड कर्व जोखिम कहते हैं। विभिन्न परिपक्वता अवधि (मैच्युरिटी) के एक जैसे उपकरणों (इन्स्ट्रूमेंट्स) के प्रतिशत अनुपात में परिवर्तन से यील्ड कर्व घटित होता है। जैसे 30 वर्षीय सरकारी बॉण्ड की लाभ अर्जकता जब 200 पॉइंट बदलती है, उतनी ही अवधि में 3 वर्षीय सरकारी वचन पत्र (प्रो-नोट) केवल 50 पॉइंट बदल सकती है; अथवा 10 वर्षीय सरकारी बॉण्ड में अधिक्रय की स्थिति (लॉन्ग पोजीशन) का आर्थिक मूल्य, जहाँ हेजिंग 5 वर्षीय सरकारी वचन पत्र (प्रो नोट) से की गई हो, यील्ड कर्व के ऊपर जाने पर अचानक गिर सकता है, तब भी जब यील्ड कर्व में समानांतर परिवर्तनों के लिए पोजीशन हेज हो।

बेसिस

पुनः मूल्य-निर्धारण की समान विशेषता वाले विभिन्न लिखतों पर प्राप्त एवं प्रदत्त ब्याज दरों में सुदृढ़ संबंध न होने का परिणाम है बेसिस रिस्क। सह-संबंध ठीक न होने पर नकदी प्रवाह तथा समान मैच्युरिटीज़ वाले एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑफ-बैलेंस आइटम्स के बीच स्प्रेड में अप्रत्याशित बदलाव हो सकता है। उदाहरणार्थ, त्रैमासिक अंतर-बैंक जमाराशियों, त्रैमासिक यूरो-डॉलर जमाराशियों और त्रैमासिक ट्रेज़री बिलों पर त्रैमासिक ब्याज दर के भुगतान का आपस में आदर्श अनुपातिक संबंध नहीं है और उनकी लाभ अर्जकता का मार्जिन समय के साथ बदल सकता है। त्रैमासिक ट्रेज़री बिल का त्रैमासिक यूरो डॉलर जमाराशियों से फाइनेंस करने में समुचित संतुलन या हेज

पोजीशन नहीं है और ब्याज दर बदले तो बैंक को भारी लागत उठानी पड़ सकती है।

आपशन रिस्क

अधिकांश मामलों में ग्राहक या जमाकर्ता द्वारा कभी भी अपना पैसा निकालने का और उधार लेने वाले के पास समय पूर्व भुगतान का विकल्प होने से जोखिम बना रहता है। बाज़ार में घटते ब्याज दर को देखकर ग्राहक अपने ऋण को यदि पहले ही चुकता कर दे तो अनुमानित नकदी प्रवाह और उस पर आधारित अन्य सभी योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

ट्रेडिंग बुक

बैंकों के कई काम ऐसे होते हैं जिसमें उन्हें बाज़ार जोखिम का सामना करना पड़ता है जो सामान्यतः उनके ट्रेडिंग बुक में देखने को मिलते हैं जहाँ विभिन्न वित्तीय उपकरणों - इक्विटी, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव्स आदि पर और हेजिंग को लेकर बैंक की पोजीशन होती है। ये जोखिम ब्याज दरों, पण्यों की कीमतों, मुद्रा दरों और लिक्विडिटी के कारण होते हैं और बैंक की कमाई एवं पूँजी पर इनका बड़ा असर पड़ता है। कई बार इनमें एक चक्रीय संबंध भी होता है यानि इनको प्रभावित करते हैं और इनसे प्रभावित भी होते हैं - जैसे अगर ये जोखिम घटित हुए तो पूँजी डाँवाडोल हो सकती है और फिर उससे भी जोखिम पैदा होगा... इत्यादि।

लेनदेन को पूरा करने अथवा परिसमापन की अवधि में बाज़ार में होने वाले उतार-चढ़ाव के चलते ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की प्रतिभूतियों के दैनिक बाज़ार भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो यह ट्रेडिंग बुक का मार्केट रिस्क हुआ। इस परिसमापन (लिक्विडेशन) में जितना लंबा समय लगेगा, चालू बाज़ार मूल्य से अंतर भी उसी अनुपात में होगा। मूल्य या मार्केट वैल्यू में कमी घाटा है। तथापि ट्रेडिंग किए जाने वाले लिखतों/ उपकरणों (इन्स्ट्रूमेंट्स) के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को हेज किया जा सकता है। यह अवधि लिखत पर निर्भर होती है - फॉरेक्स

में एक दिन और कोई जटिल डेरिवेटिव हुआ तो अधिक। उल्लेखनीय है कि बाज़ार के उतार-चढ़ावों के अलावा अन्य कारणों से होने वाली क्षति को तकनीकी दृष्टि से बाज़ार जोखिम नहीं कहा जा सकता, यद्यपि मोटे तौर पर हर चीज कहीं न कहीं बाज़ार से जुड़ती है। मसलन, अपने मार्केट पोर्टफोलियो पर आपकी निगरानी नहीं है तो अंतिम लिक्विडेशन होने तक, मूल्य में जो भी गिरावट आएगी, सिद्धांततः उसे ऑपरेशनल रिस्क कहा जाएगा।

परिमाणन जोखिम

वह क्षमता जिससे पेशेवर बाज़ारों में यथोचित कीमतों पर सुगमता से इस प्रकार लेनदेन हो कि बाज़ार की कीमतें प्रभावित न हों और न ही बाज़ार के दूसरे सहभागियों का ध्यानाकर्षण हो, ट्रेडिंग लिक्विडिटी कहलाती है। जब लिक्विडिटी अधिक हो तो कीमतों में बदलाव उतना प्रतिकूल नहीं होता जितना कम चलनिधि तरलता/लिक्विडिटी वाले परिवेश में। बाज़ार के मानकों (ब्याज दर, इक्विटी सूचकांक, एक्सचेंज रेट) में परिवर्तन से पैदा होने वाला 'विशुद्ध' बाज़ार जोखिम और बाज़ार चलनिधि जोखिम अलग हैं। यहाँ स्वाभाविकतः यह प्रश्न उठता है कि एक अच्छी चलनिधि वाली स्थिति में बाज़ार मानकों की सामान्य स्थिति क्या होती है और चलनिधि की स्थिति कीमतों को कितना प्रभावित करती है? अध्येता मानते हैं कि उभरते बाज़ारों में लिक्विडिटी की भूमिका ज्यादा अहम होती है जहाँ इसके कारण कीमतें अपने 'मानक' स्तर से अधिक परिवर्तित होती देखी गई हैं। इस ट्रेडिंग लिक्विडिटी की कमी से परिसमापन जोखिम (लिक्विडेशन रिस्क) पैदा होता है जो इन रूपों में दिखता है:

- बाज़ार की कीमतों में प्रतिकूल बदलाव;
- सही बाज़ार भाव पर परिसमापन (लिक्विडेशन) न कर पाना;
- किसी भी कीमत पर लिक्विडेट न कर पाना; एवं
- लिक्विडेशन के चलते कीमतों में उलट-फेर होना।

जब ट्रेडिंग लिक्विडिटी की समस्या किसी आस्ति (एसेट) विशेष के सामने आए तो उसे एसेट लिक्विडेशन रिस्क कहते हैं और बाजार में जब सामान्यतः लिक्विडिटी की कमी होने के कारण ट्रेडिंग लिक्विडिटी पर असर पड़े तो इसे मार्केट लिक्विडेशन रिस्क कहते हैं।

मुद्रा (करेंसी)

एक्सचेंज रेट में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव हो सकता है। एक्सचेंज रेट में भारी उथल-पुथल होते हैं तथा इसे समझना व इसका प्रबंधन करना बड़ी जटिल चीजें हैं। एक्सचेंज रेट अपने आप में तो बाजार जोखिम है, पर इसमें संबंधित मुद्रा के साथ-साथ हाजिर (स्पॉट), वायदा (फॉरवर्ड) और ब्याज दर के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। यहाँ जोखिम मुख्यतः मुद्राओं व अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे ब्याज दरों में असंगत संबंध, खुली स्थिति (ओपन पोजीशन)। असंतुलित स्थिति और गलत हेजिंग के कारण पैदा होते हैं।

कीमत

बाजार की कीमतों में बदलाव से वित्तीय लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव आते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज की कीमतों का जोखिम उन पण्यों (कमोडिटीज़) और उनके मूल्यों में अनुकूल बदलाव न होने की संभाव्यता से जुड़ा हुआ है जिनकी ट्रेडिंग बैंक करता है। ब्याज दरों और मुद्रा संबंधी जोखिम से पृथक, इसमें जिंसों की आपूर्ति (सप्लाई) और उनके डिमांड पर नज़र रखनी होती है। यहाँ कीमतों में हलचल वस्तुओं की सप्लाई व डिमांड से जुड़ी है, अतः इसमें अस्थिरता व जोखिम की प्रकृति दूसरे वित्तीय लिखतों से अलग है।

ऋण और प्रतिपक्षी

उधार लेने वाले और लिखतों को जारी करने वाले दोनों के जोखिम बाजार तय करता है और बाजार की कीमत सबको प्रतिबिंबित करती है। रेटिंग एजेंसियों की क्रेडिट रेटिंग के बाण्डों,

डिबेंचरों व वाणिज्य पत्रों की गुणवत्ता व जोखिम का पता चलता है। जारीकर्ता/उधारकर्ता की चूक या रेटिंग में परिवर्तन से क्रेडिट रिस्क पैदा हो सकता है। अधिक जोखिम वाले लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) में बाजार अधिक प्रतिफल की माँग करता है और उस लिखत की कीमत कम होती है क्योंकि जो जितना अधिक पैसा लगाएगा, पैसे को डूबने नहीं देने या जोखिम से दूर रहने की शर्त भी उसके लिए उतनी ही जरूरी होगी। जब भुगतान (पूर्ण या किस्त/ब्याज) में चूक होती है तो लिखत की कीमत और रेटिंग (क्रेडिट क्वालिटी) प्रभावित होती है। ब्याज दर या करेंसी स्वैप और ऑप्शन जैसे डेरिवेटिवों को अपेक्षाकृत कम तरल (लिक्विड) माना जाता है। सिद्धांततः बैंक इन एसेट्स को तय समय या परिपक्वता तक रखता है क्योंकि फंड का फ्लो या आदान-प्रदान चल रहा होता है। इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव पर परिसमापन मूल्य या मार्क-टू-मार्केट वैल्यू निर्भर करता है। इस प्रकार बाजार और ऋण जोखिम में एक पारस्परिक संबंध बना रहता है। इसमें 'परिपक्वता तक धारित' के दृष्टिकोण के अनुसार संभावित प्रवाह के भावी मूल्य पर ग्रहण लगता है क्योंकि प्रतिपक्षी (काउंटरपार्टी) इसका भुगतान नहीं करने वाला। यह काउंटरपार्टी रिस्क है। उल्लेखनीय है कि चालू परिसमापन मूल्य वर्तमान ऋण जोखिम एक्सपोज़र है और इसमें मूल्य के ऊपर जाने का जोखिम भी बना रहता है। किसी वित्तीय लिखत का मूल्य बाजार पर निर्भर है और मूल्य में परिवर्तन के साथ ऋण जोखिम बदलता रहता है।

बाजार में एक पक्ष पैसे का भुगतान करके एक वित्तीय पत्र प्राप्त करता है और दूसरा (या प्रतिपक्षी) इसका उल्टा यानि पैसा लेकर वित्तीय पत्र देता है। यह सेटलमेंट रिस्क पूरी प्रणाली को जोखिम में डाल सकता है। 2008 का वित्तीय संकट इसके भीषण उदाहरण के रूप में दर्ज है कि कैसे एक कड़ी के कमज़ोर होने या विफल होने से पूरा बाजार या समूची व्यवस्था चरमरा सकती है। जोखिम के किसी भी विश्लेषण में इस अंतरसंबद्धता को अनदेखा करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है।

○○○

ब्याज दर जोखिम – विश्लेषणात्मक परिचय

1. प्रस्तावना

जोखिम किसी भी व्यक्ति या संस्था के जीवन का अपरिहार्य अंग है और वाणिज्यिक संगठन में तो लाभ व जोखिम का चोली-दामन का साथ है। एक प्रभावशाली एवं कार्यदक्ष प्रबंधन द्वारा व्यवसाय में निहित जोखिमों को भलीभांति समझकर उसके बचाव (Mitigation) संबंधी उपाय किये जाते हैं, ताकि लाभ अर्जन क्षमता को बढ़ाया जा सके। बैंकिंग कारोबार, जिसमें वित्त का लेनदेन शामिल है, में मुख्यतः साख, बाज़ार एवं परिचालनात्मक जोखिम होते हैं। इनमें बाज़ार जोखिम के अंतर्गत ब्याज दर से उत्पन्न जोखिम को मुख्य माना गया है क्योंकि कोर बैंकिंग, जमा और अग्रिमों पर देय एवं प्राप्य राशि ब्याज दर पर आधारित होती है। ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न केवल बैंक की लाभप्रदता को ही प्रभावित करता है, अपितु संपूर्ण बैंक की बैलेंस शीट की रूपरेखा बदल देता है। अतः इस आलेख में ब्याज दर जोखिम का एक संक्षिप्त परिचय पाठकों के लिए उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. ब्याज दर जोखिम – अर्थ व परिभाषा

साधारण भाषा में कारोबार के लाभ में ब्याज दर की वजह



डॉ. राम जस यादव

उप प्रधानाचार्य एवं सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद

से कमी आने की संभावना को ब्याज दर जोखिम कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के शब्दकोष की परिभाषा के अनुसार “ब्याज दर ऋण के रूप में उपयोग की गयी राशि पर देय शुल्क की राशि है जो कि ऋणदाता को ऋणी से लाभ अर्जन का साधन है।” इसी तरह जमाकर्ता अपनी जमाराशि पर बैंक से लाभ कमाने की दृष्टि से ब्याज पर धन राशि जमा कराता है। अतः ब्याज दर जोखिम अन्य घटकों (factors) जैसे मुद्रास्फीति दर, डिफाल्ट जोखिम दर आदि के कारण लाभ अर्जन क्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कहा जाता है। सामान्य शब्दों में दी गई इस परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति ने वर्ष 2004 में इसके प्रभाव के संदर्भ में बैंकों की आय-व्यय तथा आस्तियों व देयताओं में संभावित परिवर्तन पर जोर देते हुए परिभाषित किया है जो कि निम्नानुसार है-


“ब्याज दर में हुए प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बैंक की निवेश की स्थिति पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहते हैं जो बैंक की शुद्ध ब्याज आय को प्रभावित करता है तथा यह बैंक की संबंधित आस्तियों, देयताओं व बैलेंस शीट के अन्य भावी नकदी प्रवाह की राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन का कारण होता है।”

ब्याज दर जोखिम से बैंकिंग व्यवसाय में अनेक प्रभाव पड़ते हैं जिनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं :

- शुद्ध ब्याज आय,
- बैंक आस्तियों व देयाताओं का वर्तमान मूल्य,
- लाभप्रदता पर दबाव,
- लाभांश दर में कमी।

3. ब्याज दर जोखिम के विभिन्न प्रकार एवं स्रोत

बासेल समिति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है-



इनकी व्याख्या इस आलेख में की गयी है।

3.1 बेसिस जोखिम

ब्याज दर जोखिम के इस स्वरूप को स्प्रेड जोखिम भी कहा गया है। इसके अंतर्गत बैंक के लिए दो विकल्पों वाली ब्याज दरों के कारण जोखिम उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ - ऋण के रूप में प्राप्त जमाराशि बैंकों के मुख्य संसाधन हैं। बैंक के द्वारा एक ग्राहक को 100 लाख रु. का बंधक ऋण 12 प्रतिशत वार्षिक की स्थायी ब्याज दर से दिया गया। कालांतर में ब्याज दरों (ऋण व जमा) में 1 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप बैंक की जमा लागत 1 प्रतिशत की दर से 100 लाख रु. पर प्रति वर्ष एक लाख रुपये बढ़ जाएगी। परंतु बंधक ऋण स्थायी ब्याज दर पर रहने के कारण इससे प्राप्त ब्याज आय स्थायी रहेगी। अतः इस वजह से बैंक को हुई हानि को बेसिस जोखिम कहते हैं, जिसकी हेजिंग बैंक को इंटररेस्ट रेट स्वैप के जरिए करनी चाहिए।

3.2 आय कर्व जोखिम (Yield Curve Risk)

परिवर्तनशील ब्याज दर के वातावरण में बैंक अपनी आस्तियों व देयताओं का विभिन्न लिंक दरों जैसे स्थायी जमा दर, आधार दर आदि के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। यदि बैंक अपनी आस्तियों व देयताओं को दो विभिन्न समय आधारित दरों के हिसाब से मूल्यांकित करते हैं तो असमानांतर (Non parallel) आय कर्व के परिवर्तन की वजह से बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ बैंक 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल से लिंक जमाराशि को

यदि 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल से लिंक आस्ति में निवेश करता है तो दोनों मूल प्रलेखों (instrument) पर ब्याज दर में वृद्धि के कारण आय में बढ़ोतरी तो होगी परंतु असमानांतर (non parallel) परिवर्तन की वजह से आय कर्व में एक समान अंतर (variation) नहीं होने के कारण शुद्ध ब्याज आय प्रभावित होगी, जिसे आय कर्व के रूप में प्रकट किया जाता है।

3.3 पुनर्मूल्यन जोखिम (Re-pricing Risk)

ब्याज दर को आस्ति/देयता की परिपक्वता या परिवर्तनशील ब्याज दर की वजह से रिसेट करने के कारण उत्पन्न जोखिम को रिप्राइसिंग कहते हैं। अतः यह जोखिम समय के अन्तराल की वजह से बैंक के नकदी प्रवाह में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ एक बैंक अपनी अल्पावधि जमाराशि से स्थायी दर पर 100 लाख रु. का आवधिक ऋण देता है और एक अन्तराल के बाद जमा दरों में वृद्धि होती है। इसके कारण बैंक को परिपक्वता की तारीख को अल्पावधि जमाराशि का भुगतान करके नयी जमाराशि बढ़ी हुई दर पर लेनी होगी जिससे बैंक की ब्याज भुगतान राशि जमा पर परिवर्तनशील दर होने के कारण बढ़ जाएगी, जबकि ब्याज आय स्थायी होने के कारण यथावत रहेगी, अतः बैंक को इससे जो घाटा होगा उसे पुनर्मूल्यन या पुनर्निवेश जोखिम कहते हैं।

3.4 विकल्पात्मक जोखिम (Optionality Risk)

यह जोखिम बैंक की विभिन्न आस्तियों व देयताओं के मामले में धारक को कतिपय अधिकार बिना किसी जिम्मेदारी के प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। भारतीय बैंकिंग जगत में एक जमाकर्ता को विकल्प उपलब्ध है कि वह परिपक्वता पूर्व कभी भी अपनी जमाराशि को ले सकता है, जबकि बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह सकारात्मक नकदी प्रवाह होने पर अधिक ब्याज दर वाली जमाओं का भुगतान कर सके। इसी प्रकार ऋणकर्ता अपने ऋण का समय-पूर्व भुगतान कर सकता है। ग्राहक को इन उपलब्ध विकल्पों के कारण बैंक को जिस जोखिम का सामना करना पड़े उसको विकल्पात्मक जोखिम कहते हैं।

4. ब्याज-दर जोखिम का प्रभाव - एक विश्लेषण

ब्याज दर पर जोखिम का बैंक की लाभप्रदता व आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, यह विश्लेषण आगे एक बैलेंस-शीट के माध्यम से प्रस्तुत है:

देयताएं	राशि (₹)	आरएसएल*	आस्तियां	राशि (₹)	आरएसए*
पूंजी	1000	0	नकदी और आरबीआई शेष	22000	0
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	40000	0	बैंक जमाएं	113000	80000
जमाराशियां	620000	430000	निवेश	120000	120000
उधार राशियां	35000	35000	अग्रिम	450000	450000
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	22000	0	अचल आस्तियां	3000	0
			अन्य आस्तियां	10000	0
योग	718000	465000		718000	650000

* आरएसएल/ आरएसए : रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ / रेट सेंसिटिव एसेट्स (दर संवेदनशील देयताएं और दर संवेदनशील आस्तियां)

उपर्युक्त बैलेंस शीट में हमें उन आस्तियों और देयताओं की पहचान करनी होगी जो ब्याज-दर परक व संवेदनशील हैं अर्थात् जिनका आर्थिक/वित्तीय मूल्य ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होता है। देयताओं में पूंजी, प्रारक्षित निधियां तथा प्रावधान आदि पर ब्याज दर का असर शून्य या नगण्य होता है। अतः उपर्युक्त बैलेंस शीट में इनका मूल्य शून्य लिया गया है। जमाराशियों में चालू खातों पर ब्याज देय नहीं होता है, इसलिए इन जमाओं को ब्याज-दर संवेदनशील देयता (आरएसएल) नहीं माना गया है। इसी प्रकार आस्तियों में ब्याज-दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) की गणना की गई है। बैलेंस शीट के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस बैंक के पास आरएसए की राशि आरएसएल से अधिक है। अतः ब्याज दर की वृद्धि से बैंक की शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि होगी तथा ब्याज दर कम होने पर बैंक की आय में कमी आएगी। इस केस में जमा एवं अग्रिम ब्याज दर में क्रमशः 0.50 प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत का परिवर्तन मानते हुए निम्नलिखित विश्लेषण प्रस्तुत है:

- ब्याज दर में बढ़ोतरी की स्थिति में जमाओं पर 2325 ₹. तथा अग्रिमों पर 4875 ₹. की ब्याज वृद्धि के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) में 2550 करोड़ ₹. की वृद्धि होगी जबकि विपरीत दशा में बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी होगी।
- इसके साथ ही बैंक की आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर भी ब्याज दर जोखिम का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। चूंकि ब्याज दर जोखिम से बैंक का बैलेंस शीट प्रभावित होता है, इसके आकलन व प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा विभिन्न उपाय लागू किये जाते हैं, जैसे ऋण परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दरों पर देना, ब्याज दर स्वैप, जमाराशियों को परिपक्वतापूर्व भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं कराना, इत्यादि।

5. उपसंहार

बैंक एक वाणिज्यिक संस्था होने के कारण जनता द्वारा जमा राशि का अभिरक्षक (कस्टोडियन) है। जमाराशि पर देय ब्याज देने के लिए बैंक इस राशि को मुख्यतः ऋण के रूप में निवेश करते हैं। अतः ब्याज ही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस परिस्थिति में जब ब्याज व्यवसाय की धुरी हो तो ब्याज दर जोखिम को भलीभांति समझना, उसका आकलन करना तथा इस जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु समुचित उपाय करना बैंक के लिए अपरिहार्य है। इस आलेख में ब्याज दर जोखिम के अर्थ व परिभाषा, प्रकार व प्रभाव को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हुए इस जोखिम का बैंक के बैलेंस शीट पर होने वाले असर का विश्लेषण किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आधार ब्याज दर (बेस रेट) की गणना पद्धति में अप्रैल 2016 से परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है जिससे बैंकों को अपने ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस नयी पद्धति के अनुसार अब बैंक अपनी उधार दर को मार्जिनल लागत पर तय करेंगे। अतः इसका नया नाम भी मार्जिनल लागत उधार दर (MCLR) रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी बैंक मासिक आधार पर अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली एमसीएलआर की घोषणा किया करेंगे- जैसे ओवरनाइट, मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक व वार्षिक वाली ब्याज दर। बैंक अपनी ब्याज दर जोखिम को अवधि प्रीमियम (Tenor Premium) वाले घटक के जरिए प्रबंधित करने में सफल होंगे। एमसीएलआर में मुख्यतः चार घटक (factors) रखे गये हैं- वित्त की मार्जिनल लागत, नकदी कोष अनुपात पर नकारात्मक लागत, परिचालन व्यय तथा आवधिक प्रीमियम। अतः ब्याज दर जोखिम को हम सभी के लिए समझना उतना ही जरूरी है जितना कि कोर बैंकिंग के अन्य पहलुओं को।

○○○

बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन जोखिम : परिणाम एवं समाधान

जोखिम प्रबंधन सभी वित्तीय संस्थाओं की नीतियों का एक अनिवार्य अंग है। वित्तीय सेवाओं पर विनियमन कम होने, वैश्वीकरण के प्रभाव तथा तकनीक आधारित बैंकिंग के फलस्वरूप बैंकिंग गतिविधियां और भी जटिल होती जा रही हैं। विकसित होती हुई बैंकिंग प्रथाएँ इस बात की ओर संकेत करती हैं कि बाज़ार जोखिम तथा ऋण जोखिम के साथ-साथ परिचालन जोखिम से भी बड़ी क्षति हो सकती है। व्यवसाय जितना जटिल होता जाता है, परिचालन जोखिम की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जाती है।

परिचालन जोखिम की परिभाषा

परिचालन जोखिम कार्यपद्धतियों, कार्यप्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य और स्थापित प्रणाली से विचलन एवं मानवीय चूक एवं असफलताओं से होता है। इस जोखिम के परिणाम सामान्य कामकाज से विचलन, उपलब्ध अवसरों के खोने एवं कामकाज रुकने से होने वाली राजस्व हानि के रूप में परिलक्षित होते हैं। परिचालन जोखिम संस्था की कार्यप्रणाली, कार्यप्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकी में सन्निहित दोषों के कारण भी होते हैं। परिचालन जोखिम की गंभीरता को बासेल-II तथा बासेल-III में मान्यता दी गई है।



श्री अभिनव श्रीवास्तव
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

बासेल समिति द्वारा परिचालन जोखिम को अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा कानूनी जोखिम को तो शामिल करती है किन्तु रणनीतिक एवं प्रतिष्ठा जोखिम को छोड़ देती है। यह परिभाषा परिचालन जोखिम के आधारभूत कारणों पर आधारित है और चार कारणों को शामिल करती है: लोग, प्रक्रिया, प्रणाली एवं बाह्य कारक।

परिचालन जोखिम का वर्गीकरण

(अ) कारण के आधार पर : कारण के आधार पर परिचालन जोखिम का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

लोगों के द्वारा उत्पन्न कारण	<ul style="list-style-type: none"> लापरवाही/अक्षमता/अपर्याप्त प्रशिक्षण कार्यनिष्ठा में कमी
प्रक्रिया उन्मुख कारण (लेनदेन आधारित)	<ul style="list-style-type: none"> व्यवसाय के परिमाण में घट-बढ़ संगठनात्मक जटिलता/उत्पाद जटिलता
प्रणाली उन्मुख कारण (परिचालन नियंत्रण आधारित)	<ul style="list-style-type: none"> कार्यभार का अपर्याप्त रूप से पृथक्करण/अपर्याप्त कार्य प्रक्रियाएं प्रबंधकीय पर्यवेक्षण में कमी
प्रौद्योगिकी उन्मुख कारण	<ul style="list-style-type: none"> निर्बल प्रौद्योगिकी और संचार/खराब डिजाइन/नियमित जांच न होना स्वचल प्रणाली की कमी/तकनीकी खराबी

(ब) घटना के आधार पर

घटना के आधार पर परिचालन जोखिम निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

- **आंतरिक धोखाधड़ी** : संपत्ति अथवा विनियमों, नीतियों एवं कानून के दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी का कोई भी कृत्य एवं उसके कारण होने वाली हानियाँ, जिनमें भीतरी कोई पक्ष शामिल हो।
- **बाह्य धोखाधड़ी** : किसी तीसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी, संपत्ति अथवा कानून के दुर्विनियोजन के कारण होने वाली हानियाँ।
- **कार्यालयीन प्रथाएँ तथा कार्यस्थल सुरक्षा** : कार्यालयीन प्रथाओं में विसंगति अथवा पक्षपात से होने वाली हानियाँ तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों अथवा व्यक्तिगत चोट के दावों के भुगतान के करारों से होने वाली हानियाँ।
- **ग्राहक, उत्पाद तथा व्यवसाय कार्य प्रणाली** : किसी विशिष्ट ग्राहक वर्ग की व्यावसायिक अनिवार्यता, उत्पाद के डिज़ाइन अथवा कार्य में लापरवाही की वजह से भी परिचालन जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- **भौतिक आस्तियों की क्षति** : प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य कारणों की वजह से भौतिक आस्तियों की क्षति एक बड़ा परिचालन जोखिम है क्योंकि इसकी वजह से सामान्य कामकाज रुक सकता है।
- **व्यवसाय व्यवधान एवं प्रणाली की विफलता** : व्यवसाय में व्यवधान आने से होने वाला जोखिम अथवा प्रणालियों की विफलता जैसे किसी सूचना प्रौद्योगिकी के सिस्टम का विफल हो जाना।
- **निष्पादन, वितरण तथा प्रक्रिया प्रबंधन** : व्यापारिक प्रतिपक्षकारों और विक्रेता वर्ग के साथ संबंधों से लेनदेन प्रक्रियाओं अथवा प्रक्रिया प्रबंधन में विफलता से होने वाली हानियाँ।

परिचालन जोखिम का प्रबंधन

किसी भी जोखिम प्रबंधन के सामान्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं:



बैंकिंग जगत को परिचालन जोखिम के प्रबंधन के बारे में निर्देशित करने के लिए बासेल समिति द्वारा जून 2011 में 'परिचालन जोखिम के अच्छे प्रबंधन हेतु सिद्धांत' प्रकाशित किए गए थे जिनमें (i) जोखिम प्रबंधन के मूल सिद्धांत, (ii) प्रशासन तथा (iii) जोखिम प्रबंधन वातावरण शामिल हैं। इन 11 सिद्धांतों में वित्तीय संकट से मिली शिक्षाएं भी समाहित थीं। वर्ष 2014 में बासेल समिति द्वारा इन सिद्धांतों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में यह पाया गया कि बासेल समिति द्वारा वर्ष 2003 में प्रस्तावित तथा वर्ष 2011 में संशोधित सिद्धांतों को लागू करने में बैंकों ने अपर्याप्त प्रगति की है। इन सिद्धांतों की 6 अक्तूबर 2014 को प्रकाशित समीक्षा में बासेल समिति ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रकाशित किए हैं¹:

सिद्धांत 1 : परिचालन जोखिम की संस्कृति

बैंक के निदेशक मंडल को एक मजबूत जोखिम प्रबंधन वातावरण स्थापित करने हेतु पहल करनी चाहिए। निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन को एक कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करनी चाहिए जो मजबूत जोखिम प्रबंधन से निर्देशित हो और जो प्रोफेशनल तथा उत्तरदायी व्यवहार के लिए समुचित मानक स्थापित करे और उसे समर्थन तथा प्रोत्साहन भी दे। इस संबंध में निदेशक मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि समूचे संगठन में एक मजबूत परिचालन जोखिम प्रबंधन की संस्कृति व्याप्त हो।

सिद्धांत 2 : परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना

बैंकों को ऐसी संरचना विकसित तथा लागू करनी चाहिए जिससे बैंक के संपूर्ण जोखिम को प्रबंधन प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सके। बैंक द्वारा चुना गया परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना अनेक कारकों जैसे कि जोखिम की प्रकृति, आकार तथा जटिलता आदि पर निर्भर करेगी।

सिद्धांत 3 : निदेशक मंडल

निदेशक मंडल को परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना को स्थापित तथा अनुमोदित करना चाहिए तथा इसकी आवधिक समीक्षा भी करनी चाहिए। उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन का पर्यवेक्षण भी करना

¹ बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, 'रिव्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर द साउंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिस्क', 6 अक्तूबर, 2014

चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियाँ, प्रक्रियाएँ तथा प्रणाली का कार्यान्वयन निर्णय के प्रत्येक स्तर पर किया जाए।

सिद्धांत 4 : परिचालन जोखिम सहनशीलता

निदेशक मंडल को परिचालन जोखिम हेतु एक जोखिम सहनशीलता वक्तव्य अनुमोदित करना चाहिए एवं इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। यह वक्तव्य परिचालन जोखिम की उस प्रकृति, प्रकार तथा स्तर को स्पष्ट करता है जिसे बैंक ग्रहण करने के लिए तैयार हैं।

सिद्धांत 5 : वरिष्ठ प्रबंधन

वरिष्ठ प्रबंधन को पारदर्शी उत्तरदायित्वों के साथ एक स्पष्ट, प्रभावी तथा मजबूत शासन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल से लिया जा सके। बैंक की जोखिम सहनशीलता के अनुरूप परिचालन जोखिम के प्रबंधन की प्रक्रियाएँ एवं प्रणाली स्थापित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 6 : जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन

वरिष्ठ प्रबंधन को सभी उत्पादों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं तथा प्रणाली में परिचालन जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना चाहिए ताकि अंतर्निहित जोखिमों को भलीभाँति समझा जा सके। इसके लिए उन्हें बाह्य सूचनाओं एवं आंकड़ों का भी अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए और विभिन्न परिचालन जोखिमों एवं घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन एक स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 7 : परिवर्तन प्रबंधन

वरिष्ठ प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ऐसी अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित है जो सभी नए उत्पादों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रणाली के परिचालन जोखिमों का मूल्यांकन करती है। अनुमोदन के पश्चात भी इन नए उत्पादों, क्रियाओं आदि का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए।

सिद्धांत 8 : निगरानी तथा रिपोर्टिंग

वरिष्ठ प्रबंधन को एक ऐसी प्रक्रिया कार्यान्वित करनी चाहिए जो परिचालन जोखिम एवं संभावित खतरे की नियमित रूप से निगरानी करे। विभिन्न स्तरों पर समुचित रिपोर्टिंग संरचना होनी चाहिए जो परिचालन जोखिम के सक्रिय प्रबंधन में सहायक हो।

सिद्धांत 9 : नियंत्रण तथा शमन

बैंकों में नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों, समुचित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम शमन रणनीति पर आधारित मजबूत नियंत्रण का वातावरण होना चाहिए। इस नियंत्रण में आउटसोर्सिंग का पर्यवेक्षण भी शामिल होना चाहिए।

सिद्धांत 10 : व्यापार निरंतरता

बैंकों में व्यापार निरंतरता योजना स्थापित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंभीर व्यवसाय व्यवधानों में हानि को सीमित किया जा सके। यह योजना पूर्णतः समावेशी होनी चाहिए।

सिद्धांत 11 : प्रकटीकरण की भूमिका

बैंकों के सार्वजनिक प्रकटीकरण (पब्लिक डिस्कलोज़र) से उनके हितधारकों को बैंक के परिचालन जोखिम के प्रति रणनीति का पता चलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बैंक द्वारा पहचाने गए विभिन्न परिचालन जोखिमों तथा उनके प्रबंधन के बारे में बैंकों को प्रकटीकरण करना चाहिए।

व्यापार निरंतरता योजना (बिज़नेस कंटीन्यूटी प्लान – बीसीपी)

बदलती हुई व्यापार प्रक्रियाओं, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता तथा नए प्रकार के जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापार निरंतरता योजना (बिज़नेस कंटीन्यूटी प्लान) का होना परिचालन जोखिम के प्रबंधन की एक पूर्व शर्त है जिसे संक्षेप में बीसीपी कहा जाता है। बीसीपी परिचालन व्यवसाय व्यवधान एवं प्रणाली की विफलता के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने की एक अप्रतिम आवश्यकता है। वर्तमान में बैंकों में विभिन्न प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सर्वर तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं। अनेक प्रकार की मशीनें भी प्रयोग में आती हैं जैसे कि नकदी सत्यापन हेतु एवं चेक समाशोधन हेतु। कोर बैंकिंग सर्विस (सीबीएस) के अंतर्गत पूरी बैंक प्रणाली सॉफ्टवेयर आधारित हो गई है। ऐसे में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एवं एक समुचित व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दैनिक कार्यकलाप में प्रयोग होने वाले सामान्य बीसीपी उपकरणों में जेनेरेटर, यूपीएस, इनवर्टर आदि आते हैं। विभिन्न मशीनों हेतु भी एक बैकअप/वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न सॉफ्टवेयर हेतु भी बीसीपी कार्यप्रणाली बनाई जाती है।

किसी भी बीसीपी कार्यप्रणाली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए²:

- महत्वपूर्ण व्यवसायों, प्रक्रियाओं तथा संसाधनों की पहचान करना जिनको ध्यान में रखते हुए व्यापार निरंतरता योजना बनाई जा सके।
- व्यवसाय प्रभाव अध्ययन (बिज़नस इम्पैक्ट एनालिसिस) के द्वारा विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- रिकवरी टाइम लक्ष्यों तथा रिकवरी पॉइंट्स लक्ष्यों को तैयार करना।
- आपदा के संदर्भ में गंभीर एवं कठिन मान्यताएँ लेना ताकि बीसीपी ढांचे में सर्वाधिक तनावपूर्ण एवं जोखिम वाली स्थितियों को भी शामिल किया जा सके।
- वैकल्पिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना एवं उन्हें मुख्य व्यवस्था से सुमेलित करना।
- आवश्यक जांच के पश्चात सभी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का स्पष्ट प्रलेखन करके एक बीसीपी दस्तावेज़ तैयार करना ताकि किसी भी समय मुख्य प्रणाली को वैकल्पिक अथवा बैकअप प्रणाली पर स्थानांतरित किया जा सके।
- त्वरित खतरे एवं क्षति को न्यूनतम करना तथा प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनःस्थापित करना।
- प्रबंधन उत्तराधिकार एवं असाधारण अधिकारों को स्थापित करना जिनका उपयोग आपदा की स्थिति में किया जा सके।
- व्यापार निरंतरता योजना के संदर्भ में मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण के मुद्दों पर ध्यान देना।
- आपदा के समय लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक सेवा प्रदाता के पास बीसीपी योजना है और उसकी समय-समय पर जांच भी की जाती है तथा प्रत्येक आउटसोर्सिंग व्यवस्था हेतु विशिष्ट आकस्मिक योजना का निर्माण करना।
- बैंक की आकस्मिक योजना तथा बीसीपी दस्तावेज़ एवं बैंक के सेवा प्रदाताओं की आकस्मिक योजना में सामंजस्य एवं संगति स्थापित करना।

- समय-समय पर आकस्मिक योजना की जांच (बीसीपी ड्रिल) की व्यवस्था स्थापित करना तथा बीसीपी योजना एवं उसकी जांच के परिणामों की स्वतंत्र परीक्षा एवं समीक्षा करवाना।
- बैंक तथा इसके सेवा प्रदाताओं की प्रक्रियाओं एवं तकनीक में होने वाले परिवर्तनों को समाहित करने के लिए समय-समय पर बीसीपी दस्तावेज़ को अद्यतन करते रहना।
- बीसीपी योजना में परियोजना प्रबंधन की प्रक्रियाओं, डेटा सेंटर की प्रक्रियाओं, महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रचालन एवं बैकअप एवं रिकवरी की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- बीसीपी योजना के प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण अंगों के बारे में सभी संबद्ध कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा आगंतुकों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि यह जानकारी उन्हें आपदा के समय बीसीपी योजना के अनुसार कार्य करने में सहायक सिद्ध हो।
- बीसीपी योजना का वह अंग, जो सार्वजनिक मंच पर रखा जाता है, बिना कोई विस्तृत विवरण दिए केवल इस संबंध में बैंक की तत्परता तथा तैयारी से संबंधित होना चाहिए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005 में परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश दिए थे और व्यापार निरंतरता योजना पर एक परिपत्र भी जारी किया था। वर्ष 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीक जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ी पर कार्यदल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें व्यापार निरंतरता योजना की विस्तृत संरचना दी गई थी तथा दिशा-निर्देश भी दिए गए थे। पुनः जून 2013 में सूचना सुरक्षा के संबंध में व्यापार निरंतरता योजना पर एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें वर्ष 2011 में गठित कार्यदल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग जगत को परिचालन जोखिम एवं इसके प्रबंधन के संबंध में समुचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। इन पर अमल करते हुए मजबूत जोखिम प्रबंधन स्थापित किए जाने और स्थापित रणनीतियों को और भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

○○○

² भारतीय रिज़र्व बैंक, 'परिचालन जोखिम प्रबंधन - व्यापार निरंतरता योजना' पर परिपत्र, 15 अप्रैल 2005

परिचालन जोखिम की पहचान

भविष्य में घटित घटनाओं तथा उनके संभावित परिणामों के प्रति अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में बैंकों के सम्मुख जमाराशियाँ स्वीकार करने, ब्याज दर, ऋण प्रदान करने, धन के स्थानान्तरण करने, कुशल मानव संसाधन प्रबंधन तथा कम्प्यूटरीकृत लेनदेन आदि क्रियाओं में सर्वाधिक जोखिम व्याप्त है। इस प्रकार जोखिम बैंकिंग का अपरिहार्य तत्व है, जो ग्राहकों तथा स्वयं बैंक के क्रियाकलापों में अन्तर्निहित होता है। आज बैंकिंग उद्योग नये और तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। संपूर्ण बैंकिंग व्यवसाय यंत्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण के सहारे चल रहा है। कम्प्यूटरीकरण निःसंदेह एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन यह खतरों से भी खाली नहीं है।

बैंकों की प्रभावी आंतरिक प्रक्रिया में कमी, मानवीय त्रुटियाँ, तकनीकी भूलों, वैधानिक अवरोध, धोखाधड़ी एवं बाह्य घटनाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से होने वाले जोखिमों को परिचालन जोखिम में शामिल किया जाता है, और विधि, व्यावसायिक एवं विनियमन जोखिम परिचालन जोखिमों के प्रकार है। बैंकों की अनुषंगी



श्री वैभव सिंह

प्रोबेशनरी ऑफिसर

भारतीय स्टेट बैंक, अरुणाचल प्रदेश



डॉ. लोकेन्द्र सिंह

सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र

बड़ौत

कंपनियों के व्यवसाय से उत्पन्न जोखिमों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस श्रेणी के अंतर्गत मानवीय, प्रबंधन, प्रणाली, व्यवसाय तथा बाहरी जोखिमों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों के अथवा बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि के कारण उत्पन्न जोखिम को परिचालन जोखिम कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे अक्षमता या असहाय जोखिम भी कहते हैं, जो किसी बैंककर्मी, मशीन या नियमों में शिथिलता के कारण उत्पन्न होता है, जिसे नियमित तो किया जा सकता है किन्तु पूरी तरह से नियंत्रित नहीं।

परिचालन जोखिम के संबंध में बैंकों एवं ग्राहकों में नियमित रूप से जागरूकता बढ़ती दिखायी दे रही है। परिचालन जोखिम कम्प्यूटर प्रणाली में रोजमर्रा के काम से उत्पन्न होने वाला जोखिम है, जो कार्यपद्धतियों, कार्यप्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी के सामान्य और नियोजित प्रणाली में विचलन एवं मानवीय भूल-चूक और असफलताओं के कारण उत्पन्न होता है। आंतरिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, कर्मचारियों के अपर्याप्त होने अथवा असफल होने या बाहरी घटनाओं के कारण भी परिचालन जोखिम उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक नियंत्रणों एवं तकनीकी व्यवस्थाओं में कमी के कारण अनियमितताओं अथवा धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ती हैं, जिससे बैंक को वित्तीय हानि हो जाती है।

परिचालन जोखिम

बैंक द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यों में होने वाले जोखिम को परिचालन जोखिम के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इसमें मानवीय गलती अथवा भूल होने का जोखिम बना रहता है क्योंकि यदि प्रोग्रामिंग में ही गलती हो जाए तो परिणाम निश्चित रूप से जोखिम भरे होंगे। बैंककर्मियों द्वारा कार्य की अधिकता

या सतर्कता के अभाव में आंकड़े गलत रूप में प्रविष्ट कर दिये जाएं तो भी जोखिम हो सकता है। कम्प्यूटर, एटीएम या अन्य संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक मशीनों एवं सुविधाओं का गलत प्रयोग कर दिया जाए तो भी बैंक एवं ग्राहकों के सम्मुख जोखिम उत्पन्न हो जाता है। बैंक में कम्प्यूटर लगाने से धोखाधड़ी के नये-नये अवसर पैदा हो रहे हैं। अतः बैंक को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रणाली के संवेदनशील पहलू पर ध्यान रखे और पुराने अनुभव से यह जान ले कि धोखाधड़ी कहाँ-कहाँ हो सकती है, जिनपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

बैंक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दो कर्मचारियों की आईडी एक समान न हो, केवल अधिकृत व्यक्ति की आईडी ही कम्प्यूटर पर होनी चाहिए, साथ ही कर्मचारियों द्वारा अपने पासवर्ड की गोपनीयता के प्रति जागृति एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए। पासवर्ड केवल सक्षम अधिकारी एवं सीमित लोगों को ही दिया जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी लंबे अवकाश पर है, तो उनकी आईडी को लॉक कर देना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी का बैंक शाखा से स्थानान्तरण हो गया हो तो उनकी आईडी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रतिमाह अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही कम्प्यूटर में डाली गई समस्त आईडी एवं पासवर्ड का उपयुक्त एवं विधिवत रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

टेलीफोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट द्वारा ग्राहकों से संबंधित गोपनीय सूचनाएं नेटवर्क से गुजरती हैं। अतः इन सूचनाओं का प्रकटीकरण बैंक द्वारा बहुत ही सोच समझकर करना होगा क्योंकि इसमें बैंक की प्रतिष्ठा एवं ख्याति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बैंकों में कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत ही देख-रेख की आवश्यकता होती है तथा इनके लिए भवन में एसी वायु निकासी, पंखे तथा स्वचालित दरवाजे आदि लगे होने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उनके विफल होने का जोखिम बना रहता है। परिणामस्वरूप बैंकों के दैनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं। परिचालन जोखिम के अंतर्गत बैंकों द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली हेतु बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जबकि आज बिजली की समस्या छोटी जगहों

के साथ-साथ बड़े शहरों में भी देखने को मिलती है। बार-बार बिजली के चले जाने से बैटरी आदि भी पूर्णतः चार्ज नहीं होती है तथा छोटी एवं ग्रामीण शाखाओं में जेनरेटर की व्यवस्था भी नहीं होती, अतः ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर प्रणाली के खराब होने का जोखिम बना रहता है।

कम्प्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने हेतु अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच एवं छेड़-छाड़ पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए और उसका अनधिकृत प्रयोग, जैसे- कम्प्यूटर सीखने, बाहरी सीडी, फ्लोपी या पेन ड्राइव लगाकर कार्य करने या गेम खेलने, पिकचर देखने अथवा गाने सुनने आदि से बैंक के महत्वपूर्ण डेटा कम्प्यूटर से गायब हो सकते हैं और बैंक को हानि हो सकती है। प्रत्येक कर्मचारी को कम्प्यूटर पर काम करते समय अपना एक अलग से पासवर्ड भी प्रयोग करना चाहिए ताकि उसके कार्य से संबंधित डेटा गुप्त एवं सुरक्षित रह सके। बैंक से संबंधित कोई भी आंकड़ा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाहर न जाने दिया जाए, यदि कम्प्यूटर सिस्टम में कोई खराबी हो जाए तो अधिकृत इंजीनियर बुलाकर ही बैंककर्मि अपनी निगरानी में उसको ठीक कराएं और उसको कोई नया पासवर्ड अथवा आईडी न डालने दिया जाए क्योंकि इससे भी बैंक को जोखिम हो सकता है। इंटरनेट का प्रयोग करते समय भी अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि इसके प्रयोग से कम्प्यूटर में वायरस आने का खतरा बना रहता है। अतः बैंक को अपने कम्प्यूटरों में वायरसरोधी प्रोग्राम डालना चाहिए तथा उनको समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए।

परिचालन जोखिम की पहचान

बैंकों के लिए अपने प्रभावशाली एवं कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे भविष्य में संभावनी जोखिमों का पता लगाएं और समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, तभी वे किसी विशिष्ट जोखिमपूर्ण घटना के कारण होने वाली हानि पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कोई भी बैंक किसी जोखिम को एक बार टालकर निश्चित नहीं हो सकता जबकि उसे जोखिमों के प्रति सचेत रहना होगा और बार-बार होने वाले परिचालन जोखिमों के प्रति पूर्वानुमान लगाने होंगे। समय-समय पर परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के प्रति नयी-नयी जोखिम पद्धतियां अपनानी होंगी। बैंकिंग गतिविधियों में परिचालन जोखिम, परंपरागत

बैंकिंग व्यवसाय तथा नवीन कम्प्यूटर एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग, दोनों ही स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, जबकि कम्प्यूटरीकृत वातावरण में जोखिम का स्तर एवं प्रभाव अधिक होता है। परंपरागत, कम्प्यूटरीकृत एवं दूरसंचार बैंकिंग के अंतर्गत जोखिम के निम्न रूप हो सकते हैं-

- परिचालन जोखिम के अंतर्गत बैंक की कार्यप्रणालियों एवं पद्धतियों के अनुपालन में चूक होने के कारण हानि हो सकती है।
- बैंक के कार्यनिष्पादन में त्रुटि के कारण हानि होने की संभावना हो सकती है।
- बैंकों में परिचालन जोखिम के अंतर्गत धोखाधड़ी, अनधिकृत व्यवहारों के कारण भी हानि हो सकती है।
- परिचालन जोखिम में चोरी, डकैती, गबन इत्यादि के कारण बैंक की संपत्तियों को नुकसान हो सकता है।
- बैंक में कार्यों एवं दायित्वों के सुचारु निर्धारण न होने के कारण हानि की सम्भावना बनी रहती है।
- परिचालन जोखिम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से बैंक की मूल्यवान मशीनों, संयंत्रों एवं उपकरणों की हानि की संभावना बनी रहती है।
- बैंक के कम्प्यूटर में दर्ज एवं उसके संचार नेटवर्क से गुजरने वाली जानकारी में ग्राहकों से संबंधित बहुत ही संवेदनशील वित्तीय तथा अन्य आंकड़े होते हैं, जिनके अनावश्यक प्रकटन पर बैंक की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- बैंक की कम्प्यूटर व संचार प्रणाली के विफल होने से बैंक के कार्यकलापों एवं कारोबार में व्यवधान आ सकते हैं, जिससे ग्राहकों में असंतोष एवं कारोबार की हानि हो सकती है।
- बैंकों में आउटसोर्सिंग सेवाओं के कारण जोखिम की संभावना बनी रहती है।
- बैंकों द्वारा अनिश्चित एवं अकुशल योजना के कारण व्यवसाय में कमी हो सकती है।

परिचालन जोखिम को कम करने के उपाय

बासेल समिति की परिचालन जोखिम के प्रति चिंता के

क्रम में, पूंजी प्रभार का निर्धारण करने के बाद, बैंकों के लिए परिचालन जोखिम का प्रबंधन अब आवश्यक हो गया है, इस कारण बैंकों ने केंद्रीय बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी किया है, जो परिचालन जोखिमों तथा उनके अपेक्षित नियंत्रण उपायों की निगरानी करती है। परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए-

- बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम के महत्वपूर्ण पहलुओं की निदेशक मंडल को जानकारी होनी चाहिए और उससे निपटने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नीति निर्धारित की जानी चाहिए।
- निदेशक मंडल द्वारा परिचालन जोखिम के नियंत्रण हेतु जो नीति निर्धारित की जाए उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व वरिष्ठ प्रबंध तंत्र पर होना चाहिए।
- परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा परिचालन जोखिम प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आवश्यक सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि परिचालन जोखिमों के नियंत्रण हेतु एक संस्कृति शाखा स्तर पर भी विकसित हो जाए।
- बैंक में व्याप्त परिचालन जोखिम की पहचान और उसका आकलन किया जाना चाहिए। नये उत्पादों, गतिविधियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों और प्रणालियों को लागू करने से पहले यह तय किया जाना आवश्यक है कि इनमें परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है।
- बैंकों में परिचालन जोखिमों को मापने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए ताकि परिचालन जोखिम को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।
- बैंकों में परिचालन जोखिम एवं हानि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रणाली समय-समय पर स्थापित की जानी चाहिए।
- परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए निर्धारित नीतियों एवं प्रणालियों का समय-समय पर मूल्यांकन एवं समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें आई लागतों एवं उसके लाभों पर प्रभाव का आकलन भी किया जाना चाहिए।

- परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने हेतु पर्यवेक्षकों की भूमिका का भी समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक के बाजार के सहभागियों को बैंक के परिचालन जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन व्यवस्था की गुणवत्ता की जानकारी कराने हेतु उपयुक्त सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
- परिचालन जोखिम में कमी करने हेतु अंतर-बैंक एवं अंतर-शाखा लेनदेन की बकाया प्रविष्टियों पर प्रभावी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।
- बैंक द्वारा सतत संगामी लेखापरीक्षा करायी जानी चाहिए।
- बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रणाली एवं राजस्व की लेखापरीक्षा, प्रोप्राइटी लेखापरीक्षा, कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विस्तृत सिस्टम लेखापरीक्षा करायी जानी चाहिए।

आने वाले समय में सभी बैंकिंग गतिविधियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा ही संपन्न होंगी। परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम बैंकों को अपने जोखिमों की पहचान करनी

होती है, यदि बैंकों का आकार बहुत छोटा है तो परिचालन जोखिमों का आकलन करना उतना ही मुश्किल होगा जबकि बड़े बैंकों द्वारा परिचालन जोखिम प्रबंधन पहचान समिति गठित करके भी भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिचालन जोखिमों को तलाशा जा सकता है। सभी बैंकों द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरीकरण और भुगतान प्रणाली में उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से इसमें जालसाजी और फ्रॉड के जोखिमों की संभावना भी बढ़ी है। परिचालन जोखिम के अंतर्गत, बैंक की जोखिम रूपरेखा तैयार करने, जोखिम के मापन, प्रबंधन इत्यादि के अतिरिक्त परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के अध्ययन, उपायों, विपदा-प्रबंधन एवं पूंजी-निर्धारण से संबंधित कार्य भी शामिल होते हैं, जिससे भविष्य में बैंकों के सम्मुख परिचालन जोखिम और अधिक बढ़ जाएंगे। अतः बैंकों को चाहिए कि वे समय रहते परिचालन जोखिम की पहचान कर उसमें कमी लाने का प्रयास करें, तभी वे अपने लाभ को बनाये रखने में सफल हो सकेंगे और आने वाली भीषण बाजार प्रतियोगिता में खुद को बचा पाएंगे।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें*

बैंक दर	:	7.75%
रेपो दर	:	6.75%
रिवर्स रेपो दर	:	5.75%
आरक्षित अनुपात*		
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	:	4.0%
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	:	21.5%
*23 मार्च 2016 की स्थिति		

प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्य एवं उनकी सीमाएं

प्रतिभूतीकरण वित्तीय इंजीनियरिंग की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों से जुड़े नकदी प्रवाह को संगृहीत, संगठित एवं व्यवस्थित कर निवेशकों को परिवर्तित लिखत के रूप में बेचा जाता है। उन सभी आस्तियों का प्रतिभूतीकरण संभव है जिनके आय स्रोत एवं नकदी प्रवाह उनसे जुड़े हों। अंतर्निहित आस्तियों के उपस्थित होने के फलस्वरूप इन प्रतिभूतियों को **आस्ति समर्थित प्रतिभूति** कहा जाता है।

प्रतिभूतीकरण के कई स्वरूप हैं। प्राप्य राशियों का प्रतिभूतीकरण एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिभूतीकरण है जहाँ प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं या प्रवर्तकों का प्रतिभूतियों पर दावा तृतीय पक्ष की ओर रहता है। ये दावे पुनः विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। चूँकि इन परिवर्तित प्रतिभूतियों के जारीकर्ता प्रवर्तकों के उधारकर्ताओं पर दावों का विपणन करते हैं अतः जारीकर्ता या प्रवर्तकों की साख रेटिंग का महत्त्व गौण हो जाता है।

साथ ही, प्रतिभूतीकरण एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के संविदागत कर्ज जैसे आवासीय बंधक, व्यावसायिक बंधक, ऋण या क्रेडिट कार्ड देयताएं या अन्य गैर-ऋण आस्तियां, जो प्राप्य राशियों का निर्माण करती हैं, संगृहीत कर



डॉ. चेतना पाण्डेय

मुख्य प्रबंधक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गाँव

उनसे जुड़े नकदी प्रवाह को तृतीय पक्षीय निवेशकों को प्रतिभूतियों के रूप में बेचा जाता है। इन प्रतिभूतियों को बॉण्ड, प्रभाव अंतरण प्रतिभूतियां (pass through securities) या संपार्श्विकीकृत कर्ज दायित्व (collateralized debt obligations) कहते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतीकरण ऋण बाज़ार के विविधीकरण करने की प्रक्रिया है जहाँ विभिन्न प्रतिभागी संव्यवहार एवं निधि संयोजन की प्रक्रियाओं को विखंडित कर एवं विशेषीकृत रूप देकर विपणन करते हैं एवं निवेशकों को निवेश के अवसर प्रदान करते हैं।

प्रतिभूतीकरण के दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में वैयक्तिक या समूहकृत एवं संगृहीत आस्तियों के प्रवर्तक या उत्सर्जक नकद भुगतान प्राप्त करके उन आस्तियों को विशेष प्रयोजन माध्यम (special purpose vehicle) या बैंकप्टसी रिमोट (bankruptcy remote) को बेच देते हैं। अगले चरण में इन प्रतिभूतियों या इनसे जुड़े लाभ जैसे आगामी नकदी प्रवाहों पर दावों को पुनः पैकेज के रूप में तैयार कर व्यापार योग्य कर्ज प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर तृतीय पक्षीय निवेशकों को बेच दिया जाता है।

अतः प्रतिभूतीकरण में अतरल आस्तियों या आस्तियों के समूह को वित्तीय इंजीनियरिंग के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है। अतः प्रतिभूतीकरण में मुख्य रूप से विशेष प्रयोजन माध्यम का निर्माण दिवालिया होने से प्रवर्तकों का बचाव भी करते हैं जहाँ प्रवर्तक या आस्तियों के निर्माणकर्ता उन आस्तियों को बेच कर अपने तुलन-पत्र से हटा सकते हैं।

प्रतिभूतीकरण के कई लाभ हैं जो इस प्रकार हैं:

- प्रवर्तकों हेतु लाभ इस प्रकार हैं:
 - प्रतिभूतीकरण के माध्यम से आस्तियों को उनके तुलन-पत्र से हटाने के फलस्वरूप उनसे जुड़ी प्रवर्तकों की पूंजी मुक्त हो जाती है। साथ ही, इन आस्तियों पर निवेशित पूंजी अन्य आस्तियों के निर्माण में प्रयोग की जाती है

एवं इस प्रकार लाभप्रदता में वृद्धि की जा सकती है।

- प्रतिभूतीकरण हेतु प्रवर्तकों की साख रेटिंग महत्वपूर्ण नहीं है, अतः न्यून साख रेटिंग वाले प्रवर्तक जिनके नकदी प्रवाह उच्च स्तरीय या उच्च रेटेड हों, इस माध्यम से निधि संग्रहण कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं जिस पर व्यय भी कम होता है।
- प्रवर्तकों की तरलता स्थिति में सुधार होता है जहाँ भावी प्राप्य राशिवाँ नकद रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आम तौर पर तुलन-पत्र से असाध्य आस्तियों को हटाने हेतु प्रतिभूतीकरण का प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में प्रतिभूतीकरण मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जोखिमों के पुनः संतुलन एवं पुनः वितरण या विविधीकरण हेतु प्रमुख साधन के रूप में उपयोगी है।
- निवेशकों हेतु प्रतिभूतीकरण के कई लाभ हैं :
 - निवेशक इनके माध्यम से स्वयं के कर्ज पोर्टफोलियो या संविभाग का विविधीकरण या विस्तारीकरण कर सकते हैं। वे स्वयं के जोखिम धारण करने की क्षमतानुसार सामान्यतया न्यून या अधिक जोखिम धारित नकदी प्रवाह में निवेश कर पूंजी संरक्षण एवं बचत भी कर सकते हैं।
 - कई विशिष्ट प्रकार के प्रतिभूतियों के निर्माण के फलस्वरूप निवेशकों के समक्ष अतिरिक्त सुरक्षा एवं आश्वासन सहित निवेश उपलब्ध हैं।
 - प्रतिभूतीकरण नकदी प्रवाह की संरचना में एवं समय अवधि में निवेशकों की आवश्यकतानुसार लचीलापन लाते हैं। वित्तीय कर्ज लिखतों की उपस्थिति वित्तीय बाज़ार में तरलता प्रदान करती है। बाज़ारों का विस्तार एवं नए खिलाड़ियों के आगमन से निवेशकों को उचित पूंजी निवेश करने के अवसर उपलब्ध रहते हैं। प्रतिभूतीकरण वित्तीय बाज़ारों के जोखिम प्रबंधन एवं विस्तारीकरण में भी सहयोगी है।
 - प्रतिभूतीकरण के माध्यम से ऐसे सेवा प्रदाताओं, न्यासधारकों, साख रेटिंग एजेंसियों को व्यावसायिक एवं व्यापारिक अवसर उपलब्ध होते हैं जो उनके आय अर्जन में सहयोगी हैं।

प्रतिभूतीकरण की अवधारणा के आधार पर प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनियों का जन्म हुआ जब बैंक एवं वित्तीय

संस्थानों ने अपने तुलन-पत्र से अनर्जक आस्तियों को कम करने या हटाने के प्रयासों में इन आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया।

प्रतिभूतीकरण का विकास एवं आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का निर्माण वैश्विक स्तर पर 1970 के दशक में हुआ। उस समय इनके निर्माण की संकल्पना एवं संचालन संबंधी नियामक कम थे। परंतु वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के फलस्वरूप इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। वैश्विक स्तर की संस्थाओं का निर्माण किया गया। कई विनियमन लाए गए ताकि निवेशकों का विश्वास इन बाज़ारों में बढ़े। भारत में इन कंपनियों का निर्माण संगठित रूप से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) जिसे प्रतिभूतीकरण अधिनियम से भी संबोधित किया गया, के पारित होने के पश्चात हुआ। इस अधिनियम के तहत बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं उनके पास बंधक आवासीय एवं व्यावसायिक आस्तियों की नीलामी कर ऋण वसूली कर सकते हैं। प्रतिभूतीकरण एवं आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां बैंकों से अनर्जक आस्तियों को क्रय कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा संपार्श्विक आस्तियों का अधिग्रहण बिना किसी कोर्ट की अनुमति के संभव है। वे इन संपत्तियों को अधिगृहीत कर अपने बकाया ऋण देयताओं की वसूली कर सकते हैं। साथ ही, पुनर्निर्माण कंपनियां इन वित्तीय आस्तियों का क्रय बैंकों से करती हैं। ये कंपनियां इन वित्तीय आस्तियों के आधार पर अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को प्रतिभूति रसीद जारी कर पुनः अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं से निधि प्राप्त करती हैं। इन कंपनियों के निर्माण हेतु तथा प्रतिभूतीकरण अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकरण हेतु रिज़र्व बैंक ने कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:

- प्रतिभूतीकरण एवं आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की न्यूनतम स्वाधिकृत निधियाँ 2 रु. करोड़ हों (“बशर्ते प्रत्येक प्रतिभूतीकरण कंपनी धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का पंजीकरण मांगनेवाली पुनर्निर्माण कंपनी या प्रतिभूतीकरण (रिज़र्व बैंक), (संशोधन) मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेश, 2004 के प्रारंभ होने के समय कारोबार कर रही कंपनी एससीआरसी द्वारा अधिगृहीत या अधिगृहीत की जानेवाली कुल वित्तीय आस्तियों के कम से कम पंद्रह प्रतिशत की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि समग्र आधार पर या 100 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, रखेगी।)

इनके अतिरिक्त अन्य शर्तें इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं:

1. प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2004 के प्रारंभ होने पर कारोबार करने वाली कोई भी एससी/आरसी इस प्रकार प्रारंभ किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर प्रथम परंतुक (प्राविज्ञो) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वाधिकृत निधि का स्तर प्राप्त कर लेगी।
2. जब तक आस्तियों की वसूली नहीं होती तथा ऐसी आस्तियों हेतु जारी की गयी प्रतिभूति की चुकौती नहीं होती, तब तक यह राशि एससी/आरसी के पास बनी रहेगी। एससी/आरसी इस राशि को प्रत्येक योजना के तहत प्रतिभूति रसीद जारी कर उपयोग कर सकती है। यह एससी/आरसी में आस्ति अधिग्रहण के स्टैक को सुनिश्चित करेगा।
3. एससी/आरसी, धन के हस्तांतरण से, प्रतिभूतीकरण के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट द्वारा जारी प्रत्येक वर्ग के एसआर में प्रत्येक योजना के तहत जारी किए गए एसआर का निरंतर आधार पर न्यूनतम 15 प्रतिशत निवेश योजना के तहत उनके लिए गए सभी एसआर का मोचन होने तक करेंगे।

प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनियों के कुछ स्वीकार्य कारोबार भी रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किए गए, जो इस प्रकार हैं:

- प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी केवल प्रतिभूतीकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कार्यकलाप तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित कार्य करेगी।
- यदि यह कंपनी कोई अन्य कार्य कर रही है तो उसे प्रतिभूतीकरण या पुनर्निर्माण कंपनी में पंजीकृत होने हेतु वह कार्य बंद करना होगा।
- कोई प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी जमा के रूप में धन की उगाही नहीं कर सकती है।

अतः रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. गै.बैं.प.वि.2/ सीजीएम (सीएमएम) 2003 के तहत प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(क) वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण (प्रतिभूतीकरण अधिनियम 2002 की धारा 2(1) में परिभाषित)

प्रत्येक प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के 90 दिन के अंदर अपने निदेशक मंडल से

अनुमोदन प्राप्त कर “वित्तीय आस्ति अधिग्रहण नीति” बनाएगी जिसमें सभी अधिग्रहण संबंधी बातों का ध्यान रखा जाएगा एवं साथ ही निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाएंगे:

- अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों के सीधे अर्जन के मानदंड और प्रक्रिया संबंधी नीतियां,
 - आस्तियों के प्रकार और प्रोफाइल,
 - यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जित की गयी आस्तियों का वसूली योग्य मूल्य है जिसका उचित रूप से आकलन और तटस्थ रूप से मूल्यन किया जा सकता है, मूल्यन की क्रियाविधि,
 - आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों के मामले में उनकी वसूली के लिए योजना बनाने हेतु व्यापक मापदंड तैयार करना। निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है। नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।
- (ख) प्रबंधन में परिवर्तन या प्रबंधन का अधिग्रहण समय पर यथा संशोधित अनुदेशों के अनुसरण करते हुए किया जाएगा।
- (ग) उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार को बिक्री या पट्टे पर देना भी उनके कार्य का हिस्सा है।
- (घ) ऋणों की पुनर्व्यवस्था (रिसेड्यूलिंग) करना।
- प्रत्येक प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उधार लेने वालों से प्राप्त ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए व्यापक मापदंड निर्धारित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विधिवत नीति बनाएगी।
 - सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उनके द्वारा समर्थित होने चाहिए।
 - निदेशक मंडल ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और/या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को

अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

- प्रस्तावों से प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन एवं निवेशकों को दिये गए वादे अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होने चाहिए।
- नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

(ड) प्रतिभूति हित प्रवर्तन - सरफेसी या प्रतिभूतीकरण अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री पर कार्रवाई करते समय यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो तो कोई प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त जमानती आस्तियों को या तो अपने उपयोग के लिए या पुनः बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है।

(च) जब उक्त निपटारे में करारसम्मत संपूर्ण राशि के एकमुश्त भुगतान का विचार नहीं किया गया हो तो प्रस्ताव, कारोबार की स्वीकार्य योजना उधारकर्ता की अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उससे समर्थित होना चाहिए।

(छ) इन प्रस्तावों से प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का आस्ति देयता प्रबंधन या निवेशकों को दिये गए आश्वासन अधिक प्रभावित नहीं होने चाहिए।

(ज) निदेशक मंडल देय राशियों के निपटारे हेतु प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है।

प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रचालित कार्य प्रणाली इस प्रकार निर्धारित की गयी है:

यह एक म्यूच्युअल फंड या न्यास के रूप में कार्य करेगी जहाँ वह अर्जित आस्तियों को एक या अनेक न्यास, जिनका निर्माण प्रतिभूतीकरण अधिनियम की धारा 7(1) एवं (2) के तहत किया गया हो, स्थानांतरित करेगी एवं न्यास प्रतिभूति रसीद जारी करेगी जो अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता को जारी होंगे। प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी आस्तियों को उपर्युक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी जिस पर उन्होंने उसे प्रवर्तक (oroginator) से अर्जित की थी।

- (i) उक्त न्यास विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को प्रतिभूति रसीदें जारी करेंगे और उक्त वित्तीय आस्तियों

को इन विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं के लाभ के लिए सुरक्षित रखने का प्रबंध करेंगे।

- (ii) इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के पास रहेगी।
- (iii) प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाली प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त रसीदें जारी करने से पहले उक्त ट्रस्ट द्वारा बनायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदें जारी करने संबंधित प्रावधान करते हुए निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से एक नीति बनाएगी।
- (iv) अर्जित मूल्य एवं निपटारा मूल्य में यदि गुणात्मक अन्तर हो एवं लाभ प्राप्त हो तो न्यासधारकों में आबंटित होगा एवं हानि हो तो भी इसे न्यासधारकों द्वारा वहन किया जाएगा।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का विकास

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (ARCIL) इस देश की प्रथम आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसका निर्माण अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए किया गया जिसने सरफेसी या प्रतिभूतीकरण अधिनियम 2002 के तहत कार्य करना प्रारंभ किया।

आज देश में लगभग 15 प्रतिभूतीकरण कंपनियां या पुनर्निर्माण कंपनियां रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत हैं। विगत दो वित्तीय वर्षों से बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी है जिससे इन कंपनियों की आवश्यकता बढ़ गयी है। इन 15 कंपनियों में से आस्ति अभिग्रहण मुख्य रूप से तीन प्रमुख कंपनियों द्वारा किए गए हैं। ये तीन कंपनियां आर्सिल (ARCIL), जे. एम. फाइनेंसियल (J. M. Financial) एवं एडेलविस (Edelweiss) है। परंतु वसूली दर में कोई विशेष गुणात्मक परिवर्तन नहीं रहा है। रिज़र्व बैंक ने इन कंपनियों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम 15 प्रतिशत उनके द्वारा निवेश एवं धारण रखने की बाध्यता की गयी। साथ ही संव्यवहार मूल्यों का न्यून स्तर निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गए। इनके कारोबार को बढ़ावा देने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया एवं निवेश स्तर 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इन कंपनियों की इक्विटी में भाग लेने की अनुमति दी गयी है परंतु यह तय किया

गया है कि उनकी अधिकतम शेयरधारिता कंपनियों की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इन कंपनियों को कर्ज के निपटान हेतु अन्य प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी से कर्ज अभिग्रहण या कर्ज को उधारकर्ता कंपनियों के शेयर में परिवर्तित करने की अनुमति भी दी गई। प्रतिभूति हित प्रवर्तन संबंधी कदम उठाने हेतु सम्मत सीमा रेखा बकाया राशि के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी। जिन प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी जिनकी अर्जित आस्तियां ₹500 करोड़ से अधिक हों, कोई फंड जारी कर सकती हैं एवं उस फंड का 25 प्रतिशत वित्तीय आस्तियों की पुनःसंरचना में प्रयोग कर सकती हैं। चूककर्ता कंपनियों एवं जमानतदारों द्वारा प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी से अपनी आस्तियां पुनः खरीदने के अधिकार दिये गए हैं ताकि कर्ज का निपटान हो सके एवं व्यय में भी कटौती हो। प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के प्रबंधन शुल्क आकलन की प्रक्रिया को भी तर्कसंगत बनाया गया है। अतः प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को स्वयं की लाभप्रदता हेतु प्रबंधन शुल्क पर निर्भर रहने के बजाए प्रतिभूति रसीदों का भुगतान करके मुक्त कराने पर जोर देना होगा।

प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एवं सीमाएँ इस प्रकार हैं:

- (क) **पूंजी पर्याप्तता** – जहाँ पूंजी के स्रोत एवं साधन सीमित हैं, प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की कार्यक्षमता वृद्धि हेतु निरंतर आधार पर पूंजी की उपलब्धता अनिवार्य है। अतः ये कंपनियां पूंजी अर्जन हेतु प्रयासरत हैं। निवेशकों द्वारा वैयक्तिक शेयरधारिता की सीमा 50 प्रतिशत होना एवं प्रदाता द्वारा प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण की बाध्यता न होना इन कंपनियों की वृद्धि में बाधक है। इन कंपनियों को अपने कारोबार में संलग्न रहते हुए कार्यक्षमता बढ़ाकर ही पूंजी अर्जन करना होगा।
- (ख) **एनपीए या अनर्जक आस्तियों का मूल्यांकन** – कई बोलियां विगत समय में इसलिए निरस्त हो गईं क्योंकि क्रेता प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निविदा मूल्य एवं विक्रेता बैंकों की अनर्जक आस्तियों के विक्रय मूल्य की अपेक्षाओं में बहुत अंतर था। निवेशक इन कंपनियों में अधिक लाभप्रदता के दृष्टिकोण से निवेश करना चाहते हैं जो इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि इनका मूल्यांकन वास्तविक आधार पर नहीं हो पाता है। अतः

अनर्जक आस्तियों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण होने पर नीलामी की संख्या बढ़ेगी, साथ ही निवेशकों का इन कंपनियों की कार्यक्षमता में निवेश हेतु विश्वास बढ़ेगा।

- (ग) **प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के लिए द्वितीयक बाजारों की अनुपलब्धता** – तृतीय पक्षीय निवेशकों का अभाव मुख्य रूप से प्रतिभूति रसीदों की तरलता को बाधित करता है एवं कई बार वही बैंक, जो अनर्जक आस्तियों की बिक्री करते हैं, इन कंपनियों के निवेशक भी होते हैं। अतः विनिर्दिष्ट संस्थागत निवेशकों के साथ यदि अन्य संस्थागत निवेशकों को निवेश हेतु अनुमति हो तो इन कंपनियों की कार्यक्षमता में एवं कर्ज विनियोजन में वृद्धि होगी।
- (घ) **बैंकों द्वारा कर्ज एकत्रीकरण** – कई बार बैंक यदि आस्तियों की लाभप्रदता अधिक अंकित करें तो किसी एक उधारकर्ता के कर्ज को कई प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को बेच देते हैं जो अंततः निपटारे में बाधक होती है। कई बार आस्तियों के कुछ हिस्सों को ही बेचा जाता है जिससे निपटान में अधिक समय लगता है। अतः प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी जहां आस्तियों पर कर्ज का निपटान सुगमता से संभव हो।
- (ङ) **वैधानिक अड़चन एवं न्यायिक विलंब** – प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की वसूली व्यवस्था या संबंधित उपलब्धि में सबसे महत्वपूर्ण अड़चन न्यायिक व्यवस्था है जहां कई निर्णयों में अधिक समय लगता है। इनमें सुधार हेतु भारत सरकार ने दिवालियापन विधि सुधार समिति का गठन किया है जो दिवालियापन निर्धारण एवं उससे संबंधित विधिक ढांचे का अध्ययन कर रही है, जिसके माध्यम से प्रतिभूतीकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी को दबावग्रस्त आस्तियों के निपटारे में सहायता मिलेगी।
- अतः आगामी वर्षों में दबावग्रस्त आस्तियों अथवा अनर्जक आस्तियों के निपटारे हेतु इन कंपनियों का अत्यधिक महत्त्व है। भारत सरकार एवं रिज़र्व बैंक ने भी बैंकों की अनर्जक आस्तियों को कम करने हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें इन कंपनियों के विकास हेतु सुझाव भी हैं।

संदर्भ स्रोत : आरबीआई वेबसाइट (अधिसूचनाएँ)

○○○

बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना उचित रहेगा कि बैंकों की आस्तियों और देयताओं में कौन-कौन सी मदें शामिल होती हैं। आइये, इन पर एक नजर डाल लेते हैं।

देयताएं

बैंकों की देयताओं में शामिल हैं - पूंजी, प्रारक्षित निधियां और अधिशेष, जमाराशियां और लिए गये उधार। इनके अलावा, देय बिल, अंतर-कार्यालयीन समायोजन, उपचित ब्याज, बेजमानती मोचनीय बांड तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए प्रावधान भी देयताओं का हिस्सा होते हैं।

आस्तियां

इनमें हाथ में नकदी तथा करेंसी चेस्टों में रखी नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य खातों में जमा शेष, अन्य बैंकों/संस्थाओं के पास भारत में और भारत से बाहर रखी नकदी तथा मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि, दिए गए उधार और अग्रिम, भूमि-भवन आदि जैसी अचल संपत्तियां तथा उपचित ब्याज, अग्रिम रूप से जमा कराए गए करों जैसी अन्य आस्तियां शामिल होती हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण आस्तियां



डॉ. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)
भारतीय रिज़र्व बैंक

उनके द्वारा दिए गए उधार तथा अग्रिम होते हैं, क्योंकि यही उनकी कमाई के मुख्य जरिया हैं।

आस्ति-देयता प्रबंधन से तात्पर्य

आस्ति और देयता प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, इसे पहले हम एक सामान्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति या परिवार को पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई की फीस, घर के रोजमर्रा के सामान आदि जैसे आवधिक बिलों का भुगतान करना होता है। हो सकता है उसे आवास ऋण तथा अन्य ऋणों की मासिक किस्तें भी चुकानी हों। ये सभी उसकी देनदारियां या देयताएं कहलाती हैं। इन देयताओं का निर्वाह करने के लिए उसे योजना बनाकर नकदी/संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे उक्त मदों के लिए भुगतान करने में कठिनाई होगी और वह परेशानी में पड़ जाएगा। इससे उसकी विश्वसनीयता तथा साख को भी क्षति पहुंचेगी।

ठीक इसी प्रकार की चुनौतियां बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के सामने भी उपस्थित रहती हैं। हां, यह बात और है कि उनका स्वरूप थोड़ा जटिल होता है क्योंकि उन्हें व्यक्तियों/परिवारों की अपेक्षा कई तरह के और बड़ी संख्या में लेनदेन करने होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले भुगतानों के लिए उन्हें इस प्रकार व्यवस्था करनी होती है कि उनके पास कभी नकदी/संसाधनों की कमी न हो। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है और बैंक/संस्था के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इससे बचने के लिए उनके सामने चुनौती यह होती है कि वे अपनी सभी प्रकार की देयताओं तथा आस्तियों के स्वरूप को समझें तथा उनके बीच इस प्रकार का संतुलन स्थापित करें कि हर प्रकार की तथा हर आवधिकता वाली देयताओं की पूर्ति के लिए उनके पास आस्तियां/निधियां उपलब्ध हों। यह कहने की

कोई आवश्यकता नहीं है कि जब तक समुचित आस्तियां/निधियां उपलब्ध नहीं होंगी, देयताओं की चुकौती नहीं की जा सकेगी।

अब हम किसी एक बैंक का उदाहरण ले सकते हैं। बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार करता है। इन जमाराशियों पर ब्याज अदा करता है और मांग किए जाने पर या अवधि समाप्त होने पर उन्हें जमाकर्ता को लौटाता है। इस प्रकार, प्रत्येक जमा बैंक के लिए देयता होती है। सामान्यतः इन्हीं जमाराशियों को उधार देकर वह ब्याज के रूप में आय अर्जित करता है। यदि वह मांग पर या परिपक्वता पर जमाराशियों को लौटाने में असफल रहता है, तो निश्चित तौर पर उसकी विश्वसनीयता और साख पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उसे यह देखना होगा कि उसने जो उधार दिए हैं, उनकी समय पर चुकौती हो या फिर ऐसी व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर उसे अपनी देयताओं की पूर्ति के लिए निधियों की कमी न हो। उसे यह भी देखना होगा कि निधियां प्राप्त करने (जमा राशि तथा लिए गये उधार) की लागत उधार दी गई निधियों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक न हो।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि किसी बैंक की आस्तियों और देयताओं के बीच का असंतुलन उसे कई प्रकार के जोखिमों में डाल सकता है। आस्ति-देयता प्रबंधन जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन की परिभाषा

आस्ति-देयता प्रबंधन की अवधारणा को उपर्युक्तानुसार आत्मसात करने के बाद अब हम इसे निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं-

“आस्ति-देयता प्रबंधन उन जोखिमों से बचाव का तरीका है जो आस्तियों और देयताओं के बीच के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन आस्तियों और देयताओं की मात्रा, मिश्रण, परिपक्वता अवधि, लागत और प्रतिफल के बेमेल से उत्पन्न होते हैं। इस असंतुलन से बचने के लिए और चलनिधि तथा निवल ब्याज-आय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आस्तियों और देयताओं की आयोजना, व्यवस्था तथा नियंत्रण हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे आस्ति-देयता प्रबंधन कहा जाता है”।

वास्तव में, आस्ति-देयता प्रबंधन की अवधारणा बैंकों के बाजार जोखिमों के मापन, निगरानी और प्रबंधन का एक व्यापक

और गतिशील तरीका है। यह तुलन पत्र अर्थात् आस्तियों और देयताओं का इस प्रकार प्रबंधन करता है, जिससे ब्याज से प्राप्त निवल आय को बैंक के समग्र (वर्तमान और भावी) जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम किया जा सके। इसे देखते हुए आस्ति-देयता प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है -

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन,
- बाजार जोखिम प्रबंधन,
- व्यापारिक जोखिम प्रबंधन,
- निधीयन और पूंजी आयोजना,
- लाभ आयोजना, और
- संवृद्धि पूर्वानुमान।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि आस्ति-देयता प्रबंधन एक ऐसा तरीका है जो बैंकों को वर्तमान और संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी आय को अधिकतम करने में सहायक होता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन का महत्व

हम इस बात पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि आस्ति-देयता का सुनियोजित प्रबंधन नहीं किया गया तो बैंक अपनी देयताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं या फिर असफल रह सकते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन निम्नलिखित कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है-

- बाजार में निरंतर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ ब्याज दरों तथा विनिमय-दरों में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, जिनकी वजह से बैंक की आस्तियों और देयताओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि और कमी की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए बाजार के उतार-चढ़ावों पर पैनी नजर रखना तथा उसके अनुकूल आस्तियों और देयताओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो जाता है।
- बाजार में नवोन्मेष होता रहता है, जिसके कारण तमाम तरह की जटिलताएं बढ़ती रहती हैं। नए उत्पादों, नई तकनीकों, नए बाजारों तथा नए प्रतिस्पर्धियों के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न

विभिन्न जोखिमों का सामना करने के लिए निधियों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती है। इसकी व्यवस्था करने हेतु आस्तियों और देयताओं का योजनाबद्ध प्रबंधन करना नितांत आवश्यक हो जाता है।

- हर दिन नए तरह के कानून तथा विनियामक दिशा-निर्देश सामने आते रहते हैं, जिनसे बैंकों का परिचालन प्रभावित होता है तथा उन्हें अधिक निधियों की आवश्यकता होती है। इस विनियामक वातावरण में काम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बैंक अपनी देयताओं के स्वरूप को समझें तथा उनकी पूर्ति के लिए आस्तियों की यथोचित व्यवस्था करें।
- बैंक के प्रबंध-तंत्र को व्यवसाय संबंधी नीतियां बनाने के लिए आस्तियों और देयताओं का स्वरूप और उनकी स्थिति समझना बहुत जरूरी है। इसे विचार में लेते हुए ही वह अपनी नीतियां बना सकता है और उन्हें अमल में ला सकता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन का प्रयोजन और लक्ष्य

आस्ति-देयता प्रबंधन का प्रयोजन समग्र रूप में आस्तियों और देयताओं की मात्रा, मिश्रण परिपक्वता, ब्याज-दर संवेदनशीलता तथा गुणवत्ता का इस प्रकार प्रबंधन करना होता है कि एक पूर्वनिर्धारित स्वीकार्य जोखिम-लाभ अनुपात को प्राप्त किया जा सके। इसका लक्ष्य होता है-

- अल्पकालीन लाभों को बनाए रखना,
- दीर्घकालीन आय को सुनिश्चित करना, और
- बैंक की दीर्घकालीन सुदृढ़ता सुनिश्चित करना।

आस्ति-देयता प्रबंधन को परिभाषित करते समय हम पहले ही यह देख चुके हैं कि आस्ति-देयता प्रबंधन उन जोखिमों से बचाव का तरीका है, जो आस्तियों और देयताओं के बीच के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। अतः आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है-

चलनिधि जोखिम - बैंक को चलनिधि या नकदी की कमी के जोखिम को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन चलनिधि प्रबंधन करना होता है। चलनिधि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक अपनी संविदागत तथा अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उचित लागत पर निधियां जुटाते हैं। विशेषकर, निम्नलिखित

के लिए उसके पास हर समय उचित लागत पर निधियां उपलब्ध होनी चाहिए-

- नए ऋणों की मांग को पूरा करने के लिए,
- विद्यमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, और
- ग्राहकों द्वारा जमाराशियों के आहरण के लिए।

ब्याज-दर जोखिम - ब्याज-दरों में उतार-चढ़ाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। अतः बैंक को निम्नलिखित पर ध्यान देना होगा-

- ब्याज-दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निधियों की लागत और भावी नकदी प्रवाह पर पड़ने वाले प्रभावों पर।
- निर्धारित तथा परिवर्ती दर वाले लिखतों पर। इनमें बैंक में जमाराशियों के रूप में जुटाई गई निधियों पर दिए गए ब्याज और बैंक द्वारा दिए गए उधारों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय के बीच असंतुलन पर नजर रखनी होती है।

यह एक सामान्य विवेक की बात है कि निवल ब्याज आय, अर्थात् निधियां जुटाने पर बैंक को जो ब्याज अदा करना पड़ता है, उन निधियों को उधार देने/विनियोजन से प्राप्त निवल आय अधिक होनी चाहिए।

विनिमय-दर जोखिम - हम सभी जानते हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव होते हैं। अतः विनिमय-दरों के इन उतार-चढ़ावों से बैंक को हो सकने वाली हानियों से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करना और उस पर निकट से निगरानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है।

ऋण-जोखिम - यदि बैंक द्वारा दिए गए उधारों की ब्याज सहित वसूली नहीं होती तो उसकी आय और लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की अनर्जक आस्तियों के और भी कई विपरीत परिणाम होते हैं। आजकल तो यह समस्या गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। अतः बैंक को इस जोखिम से बचने के लिए ऋणकर्ताओं की उधारपात्रता तथा ऋण की राशि से संचालित किए जाने वाले क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी तथा वे सभी उपाय अपनाने होंगे जिनसे ये आस्तियां अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित न हो पाएं।

पूंजी के लिए निधियां जुटाना और उनका प्रबंधन - बैंक को

यह देखना होगा कि उसकी अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी आवश्यकताओं के मद्देनजर उसके पास निरंतर आधार पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो। इस हेतु कम से कम दो वर्षों के लिए योजना बना कर चलना जरूरी होता है।

लाभ आयोजना और संवृद्धि - बैंक को यह देखना होगा कि उसकी आय और लाभ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और उनमें निरंतर वृद्धि हो। इसके लिए सुस्पष्ट नीति बनाने और योजना तथा कार्ययोजना बनाने की जरूरत होती है।

आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए जरूरी व्यवस्था

बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था जरूरी है-

1. **सूचना प्रणाली** - बैंकों की शाखाओं की संख्या काफी होती है और वे देश-विदेश के दूरस्थ इलाकों तक फैली होती हैं। आस्ति-देयता प्रबंधन की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि सूचना प्रणाली बहुत अच्छी और सुदृढ़ हो ताकि शाखाओं में आस्तियों तथा देयताओं के स्वरूप तथा स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सके। इस संबंध में आवश्यक सूचना की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी सटीकता, पर्याप्तता तथा उस तक तत्परता से पहुंच होना बहुत महत्त्व रखता है।
2. **आस्ति-देयता प्रबंधन हेतु सुविचारित व्यवस्था** - आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए सुविचारित व्यवस्था की अनिवार्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में विभ्रम की गुंजाइश बनी रहेगी और तालमेल की कमी के चलते हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा गंभीर परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। इस हेतु सामान्यतः निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

निदेशक-मंडल - आस्ति-देयता प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी बैंक के निदेशक-मंडल की होती है। इस हेतु वह आवधिक और विशेष समीक्षाएं करता है तथा यथावश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति - यह समिति बैंक के बजट तथा जोखिम प्रबंधन के लिए निर्धारित उद्देश्यों को विचार में लेते हुए कारोबार संबंधी नीति/रणनीति बनाती है।

आस्ति-देयता प्रबंधन डेस्क - इसमें परिचालन से संबद्ध

स्टाफ शामिल होता है। इसकी जिम्मेदारी बैंक की आस्तियों और देयताओं का विश्लेषण करना, तत्संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना तथा निहित और संभावित जोखिम की सूचना तुरंत ही आस्ति-देयता समिति को उपलब्ध कराना है ताकि उस पर तुरंत ही चर्चा की जा सके और समय रहते ही सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

ट्रेजरी और आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंकों में ट्रेजरी कार्य और आस्ति-देयता प्रबंधन परस्पर संबंधित हैं और ये दोनों विभाग चलनिधि, ब्याज-दर तथा विनिमय जोखिम के प्रबंधन में सहयोग करते हैं। जहां ट्रेजरी प्रबंधक अल्पकालीन (1 वर्ष) निधि-प्रबंधन करते हैं, जिसमें अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा चलनिधि के संकट पर निगरानी रखने का काम शामिल होता है, वहीं आस्ति-देयता प्रबंधक जोखिम विश्लेषण (प्रबंधन) तथा मध्यावधि और दीर्घावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

आस्ति-देयता प्रबंधन की प्रक्रिया

आस्ति-देयता प्रबंधन की प्रक्रिया में जोखिमों की पहचान, माप, प्रबंधन तथा नीतियों को शामिल किया जाता है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का आगे उल्लेख किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी निधियों के बहिर्गमन और आगमन को विभिन्न आठ परिपक्वता समयावधियों (टाइम बकेट) में वर्गीकृत करना होता है। ये हैं-

- 1 से 14 दिन,
- 15 से 28 दिन,
- 29 दिन से तीन माह,
- 3 माह से अधिक और 6 माह तक,
- 6 माह से अधिक से एक वर्ष तक,
- एक वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक,

- 3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक, और
- 5 वर्ष से अधिक।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों को भारतीय बैंकों पर लागू करने के उद्देश्य से सितंबर 2007 में इसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए गए -

(1) 1-14 दिन की प्रथम समयावधि (टाइम बकेट) को तीन भागों अर्थात्, अगले दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिन की समयावधि (बकेटों) में विभाजित किया गया। इस प्रकार, बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले चलनिधि विवरण में वस्तुतः आठ के बजाय दस समयावधियों में बैंकों की निधियों के आगमन और बहिर्गमन को वर्गीकृत किया जाना होता है।

उपर्युक्तानुसार वर्गीकरण किए जाने के बाद प्रत्येक समयावधि के अंतर्गत शामिल आस्तियों का मिलान उस समयावधि के अंतर्गत शामिल देयताओं से किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिपक्वता पर देय राशि (देयता) बैंक से नकदी बाहर जाने तथा परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशियां (आस्ति) बैंक में नकदी आने का द्योतक होती हैं। इनमें विदेशी विनिमय परिचालनों के कारण रुपया बैंक में आने और बैंक से बाहर जाने को भी विचार में लिया जाना होगा क्योंकि सामान्यतः बैंक विदेशी मुद्राओं के लेनदेन में संलग्न होते हैं।

यदि उनके बीच असंतुलन पाया जाता है अर्थात् चलनिधि का आधिक्य या कमी पाई जाती है तो यह स्थिति बैंकों के लिए चलनिधि का जोखिम उत्पन्न कर सकती है। हां, ब्याज-दरों में घट-बढ़ पर भी यह जोखिम निर्भर करता है।

ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि बैंक आस्ति-देयता के बीच के इस असंतुलन को गंभीरता से लें और उसमें सुधार के लिए उचित कदम उठाएं।

(2) अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन तथा 15-28 दिन वाली समयावधियों में निवल संचित नकारात्मक असंतुलन उनकी संबंधित समयावधियों के संचित नकदी बहिर्गमन के क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि चलनिधि पर उनके संचित प्रभाव का पता लगाया जा सके।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियों के बहिर्गमन और आगमन

हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि (टाइम बकेट)

अंतर (गैप) रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियों के बहिर्गमन और आगमन के लिए निम्नानुसार विभिन्न समयावधि (टाइम बकेट) निर्धारित की हैं-

परिपक्वता अवधि - चलनिधि		
निधियों का बहिर्गमन		समयावधि (टाइम बकेट)
1.	पूंजी/प्रारक्षित निधि/ अधिशेष	5 वर्ष से अधिक की समयावधि
2.	मांग जमाराशियां	मांग पर सामान्यतः आहरित की जाने वाली जमाराशियों के 25 प्रतिशत को अस्थिर जमाराशियां माना जाना चाहिए
3.	मीयादी जमाराशियां	परिपक्वता के अनुसार
4.	जमा-प्रमाणपत्र/ उधार/बांड	परिपक्वता के अनुसार
5.	अन्य	
(i)	देय बिल	1-14 दिन की समयावधि
(ii)	अंतर- कार्यालयीन समायोजन	ट्रेंड के अनुसार
(iii)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	
	i. अवमानक	2-5 वर्ष की समयावधि
	ii. संदिग्ध/हानि	5 वर्ष से अधिक समयावधि
(iv)	निवेशों में हास के लिए प्रावधान	- वही -
(v)	अन्य प्रयोजनों के लिए प्रावधान	प्रयोजन पर निर्भर
(vi)	अन्य देयताएं	संबंधित परिपक्वता समयावधि

निधियों का आगमन		
1.	नकदी	1-14 दिन की समयावधि
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	
	- सीआरआर/ एसएलआर के लिए	1-14 दिन की समयावधि 14 दिन के समयांतर सहित
	- अन्य	परिपक्वता अवधि के अनुसार
3.	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	
	(i) चालू खाता	
	i. अनाहरणीय	1-2 वर्ष की समयावधि
	ii. अन्य	1-14 दिन की समयावधि
	(ii) मांग/अल्प सूचना पर देय	परिपक्वता के अनुसार
4.	निवेश	
	i. अनुमोदित प्रतिभूतियों में	परिपक्वता के अनुसार
	ii. बांड/सीडी/ सीपी/शेयर/ म्यू. फंड	परिपक्वता के अनुसार
	iii. शेयर/म्यू. फंड के यूनिट	5 वर्ष से अधिक की समयावधि
	iv. सहायक कंपनियों में निवेश	- वही -
5.	अग्रिम (अर्जक आस्तियां)	
	i. खरीदे/भुनाए गए बिल	- वही -
	ii. सीसी/ ओवरड्राफ्ट	- वही -
	iii. मीयादी उधार	- वही -

अग्रिम (अनर्जक आस्तियां)		
i.	अवमानक	2-5 वर्ष की समयावधि
ii.	संदिग्ध/हानि	5 वर्ष से अधिक की समयावधि
6.	आकस्मिक देयताएं	
i.	ऋण व्यवस्था संबंधी प्रतिबद्धताएं	1-14 दिन की समयावधि
ii.	सीसी/ओडी का अप्रयुक्त भाग	12 माह तक की समयावधि
iii.	साख-पत्र	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (हिस्ट्री) के अनुसार
iv.	देय ब्याज	परिपक्वता के अनुसार

प्रत्येक बैंक को अपने निदेशक-मंडल या प्रबंधन समिति के अनुमोदन से ऐसे प्रत्येक अंतर (गेप) के लिए विवेकशील सीमाएं निर्धारित करनी होती हैं। अन्य परिपक्वता समयावधियों के लिए बैंक समुचित रूप से उच्चतर स्तर निर्धारित कर सकते हैं। बैंक के निदेशक-मंडल तथा आस्ति-देयता समिति की यह जिम्मेदारी होती है कि वे इस पर पूरी निगरानी रखें और समय रहते सुधारात्मक कदम उठाएं।

ब्याज-दर संवेदनशील आस्तियां और देयताएं

जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ब्याज-दरों के परिवर्तन से बैंक की आस्तियों और देयताओं में तीव्र कमी या वृद्धि हो सकती है। इससे बैंक की चालू आय तथा उसकी निवल मालियत दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं। ब्याज-दर संवेदनशील आस्तियां अथवा देयताएं ऐसी स्थिति में प्रभावित होती हैं, जब -

- विचाराधीन अवधि में संविदागत रूप से ब्याज-दरों को पुनर्निर्धारित किया जाए,
- विनियामक के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज-दरों में परिवर्तन कर दे, और
- निर्धारित परिपक्वता अवधि से पूर्व ही संविदागत रूप से राशियों का भुगतान या आहरण किया जाए।

बैंचमार्क दर में परिवर्तन के अनुरूप ब्याज प्राप्त करने वाली आस्तियों और ब्याज अदा करने वाली देयताओं का ब्याज पुनर्निर्धारण पूर्व-निर्धारित समयावधियों में किया जाता है और ऐसे पुनर्निर्धारण के समय वे ब्याज-दर संवेदनशील बन जाती हैं।

जोखिम प्रबंधन तकनीकें

जोखिमों की माप के लिए सामान्यतः अंतर (गैप) विश्लेषण मॉडल का सहारा लिया जाता है। आइये, सबसे पहले हम इस मॉडल पर नजर डालते हैं।

अंतर (गैप) विश्लेषण मॉडल - यह मॉडल निधीयन अथवा परिपक्वता अंतरों के माध्यम से आस्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन की दिशा और सीमा की माप करता है। यह माप एक निर्धारित समयावधि में विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली आस्तियों और देयताओं के बीच अंतर का पता लगाने के लिए की जाती है। यह अंतर सकारात्मक (नकदी बाहर जाने की तुलना में अधिक नकदी आना) तथा नकारात्मक (नकदी आने की तुलना में अधिक नकदी बाहर जाना) दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। सकारात्मक अंतर इस बात का द्योतक होता है कि आस्तियों के ब्याज का पुनर्निर्धारण देयताओं पर ब्याज के पुनर्निर्धारण से पहले किया गया है तथा नकारात्मक अंतर यह दर्शाता है कि देयताओं के लिए ब्याज का पुनर्निर्धारण आस्तियों के ब्याज के पुनर्निर्धारण से पहले किया गया है। तुलनपत्र में शामिल प्रत्येक आस्ति और देयता की ब्याज-दर संवेदनशीलता का बैंक पता लगाते हैं और इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -

$$\Delta NII = \Delta Ri (GAP),$$

ΔNII - निवल ब्याज आय (Net Interest Income) में परिवर्तन,
 ΔRi - संबंधित परिपक्वता समयावधि में आस्तियों एवं देयताओं को प्रभावित करने वाली ब्याज-दरें।

ब्याज-दर संवेदनशील आस्तियों तथा ब्याज-दर संवेदनशील देयताओं के बही मूल्यों के बीच अंतर (GAP)

यह ब्याज-दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील आस्तियों तथा ब्याज-दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देयताओं के

बीच के अंतर को व्यक्त करता है। इस प्रकार, जब ब्याज-दरों में परिवर्तन होता है तो बैंक की निवल ब्याज आय पर इस परिवर्तन के प्रभाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

यदि यह अंतर सकारात्मक है तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक के पास ब्याज-दरों के प्रति संवेदनशील देयताओं के मुकाबले ब्याज-दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील आस्तियां अधिक हैं। यदि किसी परिपक्वता समयावधि में सकारात्मक अंतर होता है तो बाजार ब्याज दरों में **कमी होने से** निवल ब्याज आय में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में चलनिधि आधिक्य को मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों में नियोजित किया जाना होगा ताकि नई आस्तियां तथा निवेश स्वैप सृजित किए जा सकें।

यदि यह अंतर नकारात्मक है तो यह इंगित करता है कि बैंक की ब्याज-दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों के मुकाबले ब्याज-दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देयताएं अधिक हैं। किसी परिपक्वता वाली समयावधि (टाइम बकेट) में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बाजार ब्याज दरों में **वृद्धि होने से** निवल ब्याज आय में कमी आ सकती है। ऐसे नकारात्मक अंतर को समाप्त करने के लिए बाजार से मांग और मीयादी ऋण लिया जा सकता है या फिर बिलों को बट्टे पर भुनाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा में किए गए निवेशों को रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रकार, यदि देखा जाए तो गैप विश्लेषण से यह पता चलता है कि क्या बैंक सकारात्मक अंतर के मामले में बढ़ती ब्याज-दरों से और नकारात्मक अंतर के मामले में घटती ब्याज-दरों का लाभ उठा सकने की स्थिति में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज दर जोखिम की माप के लिए परंपरागत अंतर-विधि (गैप मॉडल) अपनाने के बजाय अवधि अंतर विधि (ड्यूरेशन गैप मैथड), जोखिम मूल्य विधि (वैल्यू एट रिस्क मॉडल) तथा अभिरूपण विधि (सिमुलेशन मॉडल) जैसी आधुनिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों पर यहां नीचे संक्षेप में चर्चा की जा रही है।

अवधि अंतर (ड्यूरेशन गैप) विधि

“अवधि” किसी आस्ति या देयता के औसत जीवन (एवरेज लाइफ) को संदर्भित करती है। यह मॉडल आस्तियों और देयताओं की ब्याज-दर संवेदनशीलता मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका

है क्योंकि यह बैंक में नकदी आगमन के समय तथा आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता अवधि को विचार में लेता है। यह नकदी प्रवाह के सभी वर्तमान मूल्यों की परिपक्वता का भारित औसत समय व्यक्त करता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -

$$\% \Delta P \approx -DUR \times \frac{\Delta i}{1+i}$$

where

$\% \Delta P = (P_{t+1} - P_t)/P_t =$ percent change in market value of the security

$DUR =$ duration

$i =$ interest rate

जोखिम मूल्य (वैल्यू एट रिस्क) विधि

जोखिम मूल्य इस बात को व्यक्त करता है कि किसी लक्ष्य-अवधि में बैंक को अधिकतम कितनी हानि हो सकती है। निवेश बैंकर जे.पी. मोर्गन ने सबसे पहले इस अवधारणा को विकसित किया था। अपने निदेशक-मंडल को संभावित संविभाग हानि का सरल आकलन प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। यह विधि किसी वित्तीय संस्था के निवेशों में निहित जोखिमों की माप के लिए मुख्य निर्देशक बनकर उभरी है। जोखिम की माप की परंपरागत विधियों से ब्याज-दरों और विनिमय-दरों जैसे बाजार मूल्यों में परिवर्तनों से बैंक को होने वाली संभावित हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। अब जोखिम मूल्य विधि के प्रयोग से -

- किसी ऐसे निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) में निहित बाजार जोखिम का पता लगाया जा सकता है जिसके संबंध में पिछले/परंपरागत आंकड़े उपलब्ध न हों।
- किसी समय विशेष पर बैंक की निवल मालियत का पता लगाया जा सकता है जिससे पहले लिए जा चुके या आगे लिए जाने वाले निर्णयों के दीर्घकालिक जोखिम प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- आस्तियों और देयताओं के किसी संविभाग विशेष में निहित बाजार जोखिमों का पता लगाया जा सकता है।

अभिरूपण (सिमुलेशन) विधि

अभिरूपण विधि मूल रूप से कंप्यूटर की शक्ति का प्रयोग 'यदि ऐसा होगा तो क्या होगा' जानने के लिए करती है। दूसरे शब्दों में, ब्याज-दरों में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की स्थिति में आस्ति और देयता पर उसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सिमुलेशन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार, अभिरूपण विधि ब्याज-दर जोखिम के विश्लेषण का एक गतिशील तरीका है, जबकि आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए अंतर (गैप) विधि और अवधि अंतर (ड्यूरेशन) विधि वर्तमान ब्याज-दर स्थिति के स्थिर विश्लेषण से आगे नहीं जा पातीं।

असंतुलनों को दूर करने के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन की रणनीतियां

ऊपर पहले भी इस बात पर चर्चा की जा चुकी है कि बैंक आस्तियों और देयताओं में असंतुलन की स्थिति और स्वरूप का पता करने के बाद यह निर्णय करते हैं कि आस्तियों की तुलना में यदि देयताएं अधिक हैं अथवा देयताओं की तुलना में आस्तियां अधिक हैं तो उन्हें क्या सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। चूंकि ये दोनों ही स्थितियां भिन्न होती हैं, अतः इन दोनों ही स्थितियों में निश्चित रूप से भिन्न रणनीति अपनानी होती है। इस परिप्रेक्ष्य में आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी रणनीतियों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

आस्ति अभिमुख रणनीति

यदि देयताओं की तुलना में आस्तियां अधिक होती हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त चलनिधि का लाभकारी और कारगर उपयोग किया जाए। इसमें नई आस्तियां सृजित करना, मुद्रा बाजार में पैसा लगाना अर्थात् मुद्रा बाजार लिखत खरीदना या फिर सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों जैसी जोखिम-रहित आस्तियों में पैसा लगाना जैसे अनेक उपाय शामिल हैं। निधियों का इस प्रकार नियोजन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उनसे अधिक से अधिक लाभ मिले तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत ही अपने उपयोग के लिए पुनः प्रयोग में लाया जा सके।

देयता अभिमुख रणनीति

यदि आस्तियों की तुलना में देयताएं अधिक हैं तो बैंक को इस प्रकार के कदम उठाने होंगे जिससे समय पर उसकी देयताएं चुकाने के लिए उसे न्यूनतम लागत पर अपेक्षित निधियां उपलब्ध हो जाएं। इस स्थिति में अर्थात् नकारात्मक असंतुलन की स्थिति बैंक के लिए निधियों का प्रबंधन करने की आवश्यकता उत्पन्न करती है। इस कारण बैंक को देयता अभिमुख रणनीति अपनाने के लिए कदम उठाने अनिवार्य हो जाते हैं। आस्तियों की अपेक्षा देयताओं के अधिक होने की स्थिति में सामान्यतः निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

- दीर्घकालीन उधार लेना - जिसमें दीर्घावधि के ऋण लेना, मीयादी जमाराशियां जुटाना तथा अधिमानी शेयरों के माध्यम से निधियां जुटाना शामिल हैं। लेकिन, इस प्रकार जुटाई गई निधियों की लागत ऊंची होती है।
- अल्पकालीन उधार लेना - इसमें संपार्श्विक उधार (रेपो) लेना, मुद्रा बाजार से अल्पकालिक उधार लेना तथा बचत खातों की संख्या बढ़ाने और उनके माध्यम से निधियां जुटाने के लिए विशेष मुहिम चलाना आदि शामिल हैं। इस प्रकार जुटाई गई निधियों की लागत अपेक्षाकृत कम होती है।

बैंकों के आस्ति-देयता प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी

देश के केंद्रीय बैंक के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक का यह दायित्व है कि वह बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता सुनिश्चित करे। इसे देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए बैंकों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों पर इस लेख में यथास्थान चर्चा भी की गई है। बैंक इन दिशा-निर्देशों का ठीक से अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की निगरानी प्रणालियों का प्रयोग करता है।

प्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली - बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण टीम बैंक की आस्ति-

देयता संबंधी व्यवस्था तथा विनियामक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेती है और बैंक की सुदृढ़ता को ध्यान में रखकर उसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए यथोचित सुझाव देती है।

परोक्ष निगरानी प्रणाली - बैंकों के आस्ति-देयता प्रबंधन पर परोक्ष निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित आवधिक रिपोर्टें/विवरण बैंकों से मंगाता है -

- एसएलपी (स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी प्रोफाइल) रिपोर्ट - इस रिपोर्ट में संबंधित बैंक की समस्त आस्तियों और देयताओं को उनकी परिपक्वता के आधार पर 8(10) टाइम बकेटों में वर्गीकृत किया जाता है।
- एमएपी (मेच्योरिटी एंड पोजीशन) विवरण - इस विवरण में एक दिनांक विशेष को बैंक की देयताओं तथा आस्तियों की परिपक्वता की स्थिति सूचित की जाती है। यह विवरण संबंधित बैंक की एक दिनांक विशेष को नकदी आगमन तथा नकदी बहिर्गमन की स्थिति दर्शाता है। इस विवरण में भी सभी आस्तियों और देयताओं को 8(10) समयावधियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्रथम दो समयावधियों (टाइम बकेटों) में असंतुलन निधि-बहिर्गमन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ब्याज-दर संवेदनशीलता विवरण - इस विवरण में ब्याज-दर संवेदनशील आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्र-बाह्य मदों को 8 समयावधियों में वर्गीकृत कर सूचित किया जाता है। ब्याजदर संवेदनशील आस्तियों में मांग पर प्रतिदेय राशियां, अग्रिम तथा निवेशों को शामिल किया जाता है। ब्याज-दर संवेदनशील देयताओं में जमा-प्रमाणपत्रों को छोड़कर जमाराशियों तथा लिए गए उधारों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार, हमने देखा कि किसी बैंक की सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए एक कारगर जोखिम प्रबंधन प्रणाली का होना नितांत जरूरी है। आस्ति-देयता प्रबंधन इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है।

○○○

सरफेसी अधिनियम, 2002 – एक परिचय

सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002

यह कानून बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के लिए एक स्पष्ट/विस्तृत तथा संसद द्वारा पारित एक विलक्षण कानून है। यह सरकार की ओर से पुनः विश्वास सूचक है कि सरकार अपने सुधार संबंधी वायदों के प्रति सजग है। यह कानून बैंक को यह अधिकार देता है कि वह संस्था के प्रबंधन को परिवर्तित कर सकता है या प्रबंधन अधिकार या संस्थान की जमानती आस्तियों को अपने अधिकार में ले सकता है और उन्हें बेच या लीज पर दे सकता है। यह पहला ऐसा कानून है जिसमें बैंक अचल संपत्तियों को दोषी ऋणी संस्थान से बिना अदालती मध्यस्थता के अपने अधिकार में ले सकता है। इसके साथ ही बैंक भविष्य की धन प्राप्तियों पर दावा कर सकता है और दोषी कंपनी के निदेशक-मंडल को हटा सकता है। ऋण वसूली ट्रिब्यूनल के अतिरिक्त देश की कोई भी अदालत इस



श्री ओम प्रकाश अग्रवाल
मुख्य प्रबंधक (सेवानिवृत्त)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई

कार्यवाही से संबंधित अपील की सुनवाई इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं कर सकती।

इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्था जब्त किये गये चल एवं अचल संपत्तियों को नीलामी द्वारा बेच सकते हैं लेकिन इसे उचित मूल्य पर बेचा या नहीं, इस पर ऋणी द्वारा कई बार विवाद खड़ा किया जाता है। कई मामलों में कंपनी के कर्मचारी भी अपने स्वयं के भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही करते हैं तथा सांविधिक देयता के नाम से विवाद खड़ा करते हैं।

कष्टकारी ऋण की समस्या बुरे आशय या बुरे वित्तीय प्रबंधन या अन्य कारणों से होती है जिसके बाह्य कारण भी होते हैं। बैंक प्रबंधन की मुख्य चिंता मानक आस्तियों के नीचे घसकने से रोकने की होती है जिससे वह अनर्जक आस्तियाँ न बन पायें। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक ऋण हस्तांतरण से यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि कष्टकारी-ऋणों की समस्या अब इसके बाद भविष्य में पैदा नहीं होगी।

अनर्जक ऋणों में नए ऋणों के प्रवाह को रोकना ही वर्तमान विशाल अनर्जक ऋणों के परिमाण में वसूली माना जाता है। 'सरफेसी अधिनियम' यद्यपि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए धन वसूली में काफी मददगार है लेकिन इसमें भी नए कष्टकारी अनर्जक ऋणों को बढ़ावा होने का डर है, जिनको बाद में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को हस्तांतरित करने की अनिवार्यता होगी।

इस तरह बैंक के निदेशक मंडल को यह समझ लेना चाहिए कि ऋण स्वीकृत करते समय ही विभिन्न बैंकिंग नियमों

का पूरी तरह पालन हो जिससे बाद में ऋण वसूली में आस्ति गुणवत्ता, परिमाण तथा ऋणी की नीयत में खोट उत्पन्न न हो। यह ध्यान रहे कि अनर्जक ऋण समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक लक्ष्य साधन उपलब्ध नहीं है। एक बार जब वसूली के सुधार पूरे किये जाते हैं तब दबाव (स्ट्रेसड) आस्ति में वृद्धि होती है, तब यह सरफेसी कानून अनर्जक ऋणों में कमी करने में मदद करता है। सिर्फ देश में कानून उपलब्ध होने से ही संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता। बैंक/वित्तीय संस्थाओं को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह कंपनी निदेशकों की निजी संपत्ति को भी जब्त कर, दोषी कंपनी की देयताओं को पूरा करे तभी यह कानून प्रभावी एवं कार्यशील माना जाएगा।

बैंक और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में अनर्जक ऋणों के मूल्यांकन के बारे में हमेशा मतभेद रहा है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया है कि पुनर्निर्माण कंपनियाँ बैंकों को प्रतिफल की धनराशि का 15 प्रतिशत दें (यह पूर्व में 5 प्रतिशत ही था) तथा शेष धनराशि वह जमानत रसीदों के रूप में दें।

सरफेसी कानून के बारे में यह ध्यान रहे कि यह कानून सभी प्रकार के अनर्जक ऋणों पर लागू नहीं होता है। यह कानून नीचे लिखे बैंक खातों पर लागू नहीं है :-

- (i) कानूनी समय सीमा के बाहर के ऋण,
- (ii) संविदा कानून के अंतर्गत चल संपत्ति या माल,
- (iii) एअरक्राफ्ट कानून के अंतर्गत दिया गया जमानत,
- (iv) जल परिवहन साधन पर की गयी कोई जमानती संविदा,
- (v) कोई भी सशर्त विक्रय/हायर पचेज या लीज या अन्य किसी संविदा के अंतर्गत 'कोई भी हित नहीं' माना गया हो,
- (vi) अदत्त विक्रेता के अधिकार (माल विक्रय कानून के अंतर्गत),

- (vii) आस्तियाँ, जिनको सिविल प्रोसिजर कोड (संहिता) की धारा 60 के अंतर्गत जब्ती योग्य नहीं माना गया है,
- (viii) कोई भी जमानती हित जिसमें 1 लाख रु. तक के भुगतान के लिए वित्तीय आस्तियों को जब्त नहीं किया जा सकता,
- (ix) कोई भी जमानती हित जो कृषि भूमि में किया गया हो,
- (x) किसी भी मामले में जहाँ ऋणी ने अपने मूलधन तथा ब्याज का 80 प्रतिशत तक वापस कर दिया हो,
- (xi) सरकारी बांड तथा डिबेंचर जिनकी मियाद 6 वर्ष से ज्यादा न हो,
- (xii) बांड/डिबेंचर पर ब्याज बैंक दर से 1.5 प्रतिशत से कम न हो,
- (xiii) भारत तथा जमानती आस्ति पर हस्तांतरित, और
- (xiv) बांड/डिबेंचर के भुगतान वचनबद्धता बिना शर्त के हो।

उपसंहार

इस तरह यह समझना चाहिए कि बैंक के आस्ति देयता प्रबंधन में ऋण/जमाराशि मुख्य कारक होता है। बैंक इसके लिए आस्ति देयता समिति बनाते हैं जो इन दोनों कार्यों पर नजर रखती है और उनमें जरूरत पड़ने पर समय-समय पर परिवर्तन करती है। आस्तियों में कुछ प्रतिशत आस्तियाँ अनर्जक हो जाती हैं जिसका असर बैंक की लाभदायकता तथा फंड तरलता पर पड़ता है। अनर्जक धनराशि की वसूली के लिए बैंकों को अन्य उपायों के अतिरिक्त सरफेसी अधिनियम का उपयोग कंपनी ऋणों के बारे में करना होता है जिससे कि उनके प्रबंधन/निदेशक मंडल में आवश्यक फेर बदल किया जा सके और बैंक की आस्तियों में अनर्जक आस्तियों को बढ़ने से रोका जा सके।

○○○

बैंकों में मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन

कारोबार एवं जोखिम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जोखिम प्रत्येक कारोबार में होता है। वास्तव में जोखिम का प्रबंधन कारोबार के प्रबंधन का ही अंग है। कारोबार कोई भी हो, इसके पीछे लोग होते हैं। एक या अधिक लोग मिल कर कारोबार स्थापित करते हैं। अगर कारोबार सरकार या निजी फर्मों द्वारा भी स्थापित किया गया हो तो भी इसमें व्यक्तियों की ही भूमिका होती है। कारोबार का संचालन भी लोगों के हाथ में ही होता है। आधुनिक समय में कारोबार में मानव संसाधन के योगदान को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। यह अक्सर सुनने को मिलता है कि संगठन में कार्यरत लोग ही इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में संगठन की मदद करते हैं और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। पर इसके दूसरे पक्ष की अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है कि संगठनों की असफलता के पीछे भी इसकी जनशक्ति एक कारण हो सकती है।

बैंकिंग के बगैर हम आज की दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। विश्व और इसके देशों का आर्थिक एवं सामाजिक ताना बाना बुनने में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकों को वित्तीय मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है और समाज के सभी वर्गों को इस मध्यस्थ की जरूरत होती है। बैंकों के प्राथमिक कार्य



श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

हैं - अपने ग्राहकों की जमाराशियों को संभालना एवं उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना। यहाँ संवेदनशील पक्ष यह है कि बैंकों को ज्यादातर दूसरों की आस्तियों का प्रबंधन करना होता है। लोग बैंकों में रकम जमा करते हैं और बैंक इस रकम का कुछ भाग प्रारक्षित रख कर शेष राशि ऋण के रूप में बांटते हैं। बैंकिंग कारोबार की यह प्रकृति ही इसमें निहित जोखिम को दर्शाती है।

अन्य किसी भी कारोबार की भांति बैंकिंग कारोबार का संचालन भी लोगों द्वारा ही किया जाता है। बैंकों में प्रौद्योगिकी का दखल निःसंदेह बढ़ रहा हो पर इस प्रौद्योगिकी को भी लोग ही संचालित करते हैं। बैंकों का सामना विभिन्न प्रकार के जोखिमों से होता है जैसे बाज़ार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, अनुपालन जोखिम आदि। मानव संसाधन जोखिम को परिचालन जोखिम का अंग माना जाता है। इस जोखिम का सही प्रबंधन बैंकों को कतिपय अन्य जोखिमों से भी बचा सकता है। बासेल समिति द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार परिचालन जोखिम आंतरिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, जनशक्ति की अपर्याप्तता अथवा असफलता से होने वाली हानि है। संगठनों का परिचालन बहुत हद तक इस परिचालन में हाथ बंटाने वाले व्यक्तियों की गुणवत्ता, प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी पर निर्भर करता है। अतः यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि परिचालन जोखिम के अन्य कारणों में मानव संसाधन जोखिम का कारण भी निहित है।

वर्तमान परिदृश्य में जोखिम प्रबंधन बैंकों की प्राथमिकता बन चुका है। सभी बैंकों में इस हेतु संस्थागत ढांचा मौजूद है। बैंकों के मुख्य या प्रधान कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन हेतु स्वतंत्र विभाग स्थापित हैं जो वरिष्ठ एवं अनुभवी कार्यपालकों के अधीन कार्य करते हैं। निचले स्तर के नियंत्रक कार्यालयों एवं शाखाओं को भी जोखिम प्रबंधन के दायित्व दिए गए हैं। बैंक इस बात

को बखूबी समझते हैं कि जोखिम प्रबंधन की उपेक्षा अल्प काल में उनकी आय एवं छवि पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इस उपेक्षा से दीर्घ काल में उनके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है।

जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं। सरल तरीके से कहा जाए तो जहां परिणामों के बारे में अनिश्चितता हो वहाँ जोखिम होता है। व्यक्ति एवं संगठन दोनों को ऐसी स्थितियों से गुजरना होता है। इस प्रकार जोखिम की मौजूदगी अधिकांश वैयक्तिक एवं सांगठनिक प्रयासों में होती है। जोखिम की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से हो सकती है तथा इसका प्रभाव व्यक्ति अथवा संगठन की आय, निष्पादन एवं प्रतिष्ठा पर हो सकता है। जोखिम को लाभ एवं हानि दोनों से जोड़ा जाता है। कुछ जोखिम उम्मीद से ज्यादा लाभ दे सकते हैं जबकि कुछ अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। मानव संसाधन जोखिम बाद वाली श्रेणी में आता है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम उठाने से पूरी तरह बचना नहीं है। इसमें ध्यान जोखिम की स्थितियों को समझने, जोखिम के प्रभावों को न्यूनतम रखने एवं जोखिम सामने आने पर परिचालनों की निरंतरता बनाए रखने पर होता है।

आम धारणा यह है कि संगठन जिस कारोबार में हैं जोखिम उसी में मौजूद कारणों से होता है। जब जोखिम की बात आती है तो संगठन ढांचागत व प्रक्रियात्मक कारणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं बनिस्पत उन लोगों के जो इनके पीछे हैं और इन्हें संचालित करते हैं। मानव संसाधन जोखिम की वजह से संगठनों ने भले ही ज्यादा हानि उठाई हो परंतु उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान अभी तक नहीं दिया है। वैश्विक स्तर पर किए गए एक शोध की रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठनों के मानव संसाधन विभागों को भी मानव संसाधन जोखिम की पर्याप्त समझ नहीं है।

संगठनों में मानव संसाधन जोखिम से तात्पर्य उस अप्रत्याशित कीमत से है जो संगठनों को अपने कार्मिकों के कृत्यों अथवा निष्क्रियता के कारण चुकानी पड़ती है। जब कार्मिक अपनी भूमिका अथवा दायित्वों के मुताबिक वांछित क्षमताओं से युक्त नहीं होते, संगठन द्वारा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते या कोई गलत कदम उठाते हैं तो इनसे होने वाले जोखिम को

मानव संसाधन जोखिम के रूप में देखा जाता है। यदि संगठन को इन हानियों का अंदाजा नहीं है तो यह भी इसी जोखिम में शामिल किया जाएगा। संगठन यदि अपनी जरूरतों के अनुसार प्रतिभाओं को आकर्षित न कर सके तो यह भी मानव संसाधन जोखिम का ही एक रूप है।

अन्य संगठनों की भांति बैंकों में भी मानव संसाधन जोखिम के प्रबंधन की शुरुआत इन प्रश्नों से होनी चाहिए – इस जोखिम के संभावित स्रोत कौन से हो सकते हैं? परिचालन के विभिन्न स्तरों पर यह जोखिम किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है? ऐसे कौन से उपाय किए जाएँ जिससे इस जोखिम को न्यूनतम रखा जा सके?

सभी जोखिम बराबर नहीं होते। संगठन के लिए किसी जोखिम की गंभीरता इसकी संभाव्यता, लाभप्रदता एवं छवि पर इसके प्रभाव पर निर्भर करती है तथा इस पर भी कि संगठन इन्हें किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।

आंतरिक मानव संसाधन जोखिम संगठन की आंतरिक मानव संसाधन नीतियों एवं प्रणालियों से तय होते हैं। यहाँ संबंधित विभाग की इन जोखिमों को कम करने या रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठनात्मक संस्कृति में कोई कमी हो तो ऐसा जोखिम उत्पन्न हो सकता है। सही प्रतिभाओं की अनुपलब्धता या रोजगार संबंधी सरकारी कायदे कानून बाहरी जोखिम के उदाहरण हैं।

मानव संसाधन जोखिम का एक मुख्य कारण संगठन में विविध भूमिकाओं के लिए सही व्यक्तियों का चयन न करना होता है। बैंक, जो इन दिनों बड़ी संख्या में जन शक्ति की भर्ती कर रहे हैं, के लिए यह एक विचारणीय मुद्दा है। बड़ी संख्या में लोगों की हो रही सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को भरने हेतु बैंक नयी पीढ़ी के लोगों को नियोजित कर रहे हैं। देश में रोजगार के नवीन अवसरों की भारी कमी है। बैंकिंग को छोड़ शायद ही कोई उद्योग हो जिसमें बड़े पैमाने पर भर्तियाँ हो रही हैं। विविध शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं वाले अनुभवरहित एवं अनुभवी लोग बैंक में नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जब बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ भरी जाती हैं तो उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। बैंकिंग, जिसमें धन

का कारोबार होता है, को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनकी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा अक्षुण्ण हो। अगर बैंक ऐसे कार्मिकों को चुनते हैं जिनमें बैंकिंग कारोबार के लिए रुझान नहीं है तो लोगों के नौकरी छोड़ने (अट्रिशन) की संभावना ज्यादा होगी। अट्रिशन संगठन के लिए कई प्रकार से समस्याएँ खड़ी करता है। अल्प सूचना पर या बिना बताए लोगों द्वारा संगठन छोड़ कर चले जाने से संगठनों के परिचालन में मुश्किलें तो आती ही हैं, भर्ती पर किए गए खर्च, जो धन एवं समय के रूप में होता है, का भी नुकसान होता है। संगठन नए कार्मिकों को प्रशिक्षित एवं तैयार करने में जो निवेश करते हैं उसके लाभ से वे वंचित रह जाते हैं।

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है। कार्मिक अच्छी सेवा तब देंगे जब उनका पेशे से जुड़ाव हो। अगर यह जुड़ाव या लगाव नहीं है तो कार्मिक असंतुष्ट भाव से कार्य करेंगे और निष्पादन अपेक्षित स्तर का नहीं होगा। आवेदक बैंक के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह अमूमन उसके ज्ञान, कौशल एवं अभिरुचि से परखा जाता है। लेकिन सिर्फ इन तीन मानकों के आधार पर आवेदक को भावी निष्पादन हेतु परखना पर्याप्त नहीं है। पूरा आकलन करने हेतु आवेदक के चरित्र एवं उसकी अभिप्रेरणा के स्तर को भी यदि अधिक नहीं तो कम से कम बराबर का महत्त्व दिया जाना चाहिए। चरित्र से आशय कार्मिक के मन में गहराई से बैठे उन विश्वासों से है जो कार्य के प्रति उसके दृष्टिकोण को निर्धारित करेंगे। विशेषकर बैंकिंग कारोबार में मजबूत चरित्र वाले लोगों को ही कार्मिक के रूप में चुनना चाहिए। अभिप्रेरणा कार्मिक की कार्य करने व निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की इच्छा को बताती है। योगदान परिणामों से तय होता है। सारे ज्ञान एवं कुशलताओं से युक्त होने के बावजूद यदि कोई कार्मिक जी लगाकर कार्य नहीं करता एवं अपना सर्वोत्तम निष्पादन नहीं देता तो वह संगठन के लिए बोझ ही होगा।

बैंक में लोगों को पदोन्नति अथवा स्थानांतरण की वजह से एक से दूसरी जगह पदस्थ करते समय भी उपर्युक्त पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बैंक की कॉर्पोरेट मानव संसाधन नीतियों व प्रथाओं में स्थानीय आवश्यकताओं एवं शाखा परिचालन में आने वाली चुनौतियों का ध्यान रखना जरूरी है। कार्मिकों के पास

उनके पद एवं दायित्वों के अनुरूप क्षमताएँ एवं कुशलताएँ होनी चाहिए। बैंक के पास पर्याप्त संख्या में जनशक्ति का मौजूद होना जरूरी होने के साथ-साथ इस जनशक्ति का सही नियोजन मानव संसाधन जोखिम को कम करने में सहायक होगा।

प्रत्येक संगठन की अपनी जरूरतें होती हैं जिनके अनुसार इसे अपनी जनशक्ति को तैयार करना होता है। बैंकों में भी लोगों को वांछित कुशलताओं एवं क्षमताओं से युक्त करने की आवश्यकता होती है ताकि उनका विकास हो और वे प्रतियोगी बने रहें। कार्मिकों के प्रशिक्षण व विकास में पर्याप्त निवेश न करना मानव संसाधन जोखिम का आधार बन सकता है। अगर संगठन समय के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो इसे उत्तराधिकार आयोजना, नेतृत्व विकास एवं क्षमता निर्माण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा न करने से संगठन के विस्तार, अनुभवी लोगों के बैंक छोड़ने, सेवानिवृत्ति आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु बैंकों के पास योग्य, प्रशिक्षित एवं सक्षम पेशेवर लोगों की कमी बनी रहेगी।

जब कार्मिकों का आचरण उससे भिन्न हो जिसकी अपेक्षा की जाती है तो यहाँ भी मानव संसाधन जोखिम सामने आ सकता है। आचरण में ऐसा विचलन जानबूझकर हो सकता है और अज्ञानता वश भी। जब लोग कार्य करते हैं तो गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतना गलतियों को कम रख सकता है। लेकिन व्यक्ति द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी उसके द्वारा की गई गलतियों से बिलकुल भिन्न होती है। संगठन को व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ियों से बचा के रखना गलतियों से बचाने से कहीं अधिक जटिल है। यहाँ भी सही लोगों को नियोजित करने का महत्त्व रेखांकित होता है। बैंकिंग कारोबार में दांव पर काफी कुछ लगा होता है और प्रलोभन भी बहुत होते हैं। गलत इरादों वाले लोग, और वे भी जिनकी ईमानदारी शक के दायरे में हो, बैंक की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं जैसा कई बार देखने को मिलता भी है। बैंकों ने कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु पुलिस सत्यापन एवं संदर्भ जांच का तरीका अपनाया है। यह शुरू के लिए तो पर्याप्त हो सकता है पर इससे यह गारंटी नहीं मिलती कि कार्मिक अवांछित कार्यकलापों में लिप्त नहीं होगा। बैंकों में निरीक्षण व लेखा-परीक्षा का सुस्थापित तंत्र है। जरूरत इस

बात की है कि यह तंत्र और मजबूत बने एवं नियंत्रक प्रणालियों का कड़ाई से पालन हो। साथ ही, विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट संदेश हो कि जानबूझकर की गई चूकों एवं धोखाधड़ियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन के नियम, भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड, द्विपक्षीय समझौते एवं अधिकारी सेवा विनियमावली आदि के प्रावधान लागू हैं। इनके साथ नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा क्या सही है और क्या गलत इसकी समझ को संस्थागत मूल्यों के रूप में लोगों के मन में बैठाना अनिवार्य है जिससे लोग धोखाधड़ी, अपयोजन, धांधली आदि से दूर रहें। बैंक जैसे संगठन में नैतिकता एवं ईमानदारी को सिर्फ कार्मिकों तथा उनके मूल्यों तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता।

संगठनों को होने वाली हानियों, चाहे यह वित्तीय हानि हो या छवि की हानि, के पीछे प्रायः संगठन में कार्यरत लोग ही होते हैं। आगे चल कर कौन क्या करेगा यह भविष्यवाणी करना अत्यधिक कठिन कार्य है। लोगों के विषय में इतनी आसानी से फैसले नहीं लिए जा सकते। ज्यादातर मामलों में लोगों का आकलन सतही निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। ये निष्कर्ष आगे चल कर गलत साबित हो सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण स्थिर या स्थायी हो, यह हमेशा जरूरी नहीं। अनुभवों, परिस्थितियों एवं बाहरी प्रभावों की वजह से लोग अपना नज़रिया कई बार बदल देते हैं। इस तरीके से मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन एक निहायत जटिल कार्य है। यहाँ आवश्यकता चीजों एवं लोगों को करीब से पहचानने, पूर्वाग्रहों एवं पक्षपात से दूर रह कर निष्पक्ष निर्णय लेने और नियंत्रक प्रणाली को मजबूत करने की है।

कार्य करने हेतु समुचित वातावरण का न होना भी मानव संसाधन जोखिम का एक संभावित कारण हो सकता है। संगठन अपने कार्मिकों से बहुत सी अपेक्षाएँ रखते हैं। ऐसा करना ठीक भी है। पर संगठनों का भी फर्ज़ है कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें प्रत्येक कार्मिक संगठन में अपने योगदान के महत्त्व को समझे, प्रेरित हो और अपना सर्वोत्तम योगदान दे। कुछ चीजें जो यहाँ संगठन कर सकते हैं वे हैं - गुणात्मकता, समानता एवं

निष्पक्षता में संगठन के विश्वास से लोगों को परिचित करना, कार्मिकों में नवोन्मेषिता एवं सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना, संप्रेषण को खुला एवं दो तरफा रखना तथा वेतन एवं सुविधाओं का स्तर वाजिब रखना। संगठन के शीर्ष प्रबंधन को भी सांगठनिक संस्कृति के महत्त्व से परिचित होना चाहिए और उन्हें ऐसी संस्कृति एवं मार्ग प्रशस्त करना चाहिए जिस पर कार्मिक गर्व कर सकें। लक्ष्यों तथा रणनीतियों का स्पष्ट एवं परिभाषित होना, प्रबंधन की साफ़गोई, निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता कार्मिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाएगी और उन्हें सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करेगी। सांगठनिक ढांचे में लिखित एवं अलिखित दोनों नियम होते हैं। लिखित नियमों से लोगों को परिचित कराना आसान होता है। कार्मिक अलिखित नियमों को भी जानें व समझें, यह शीर्ष प्रबंधन के सामने एक चुनौती होती है। यहाँ इस प्रबंधन को ही इन नियमों का पालन कर आदर्श प्रस्तुत करना होता है। सभी कुछ लिपिबद्ध करना किसी भी संगठन के लिए संभव नहीं है। लोग मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो इस कारण से यहाँ समस्याएँ नहीं उत्पन्न होंगी।

बैंकिंग एक ग्राहक केन्द्रित कारोबार है। ग्राहकों की उपेक्षा कर कोई बैंक तरक्की नहीं कर सकता। ग्राहक सेवा के प्रति उदासीन या ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार न करने वाले कार्मिक बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यवसाय तो हाथ से निकल ही सकता है, संगठन की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। संतुष्ट एवं प्रसन्न ग्राहकों द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जो व्यवसाय मिल सकता था वह भी नहीं मिल पाता क्योंकि जिन ग्राहकों का बैंक के साथ बुरा अनुभव हो वे किसी और को उसकी संस्तुति नहीं करने वाले। अतः बैंक के लिए कार्मिकों का चयन करते समय उनकी ग्राहकोन्मुखता भी एक वांछित प्रवृत्ति होनी चाहिए।

कुल मिला कर संगठन की सामरिक मानव संसाधन योजना तैयार करते समय मानव संसाधन जोखिम के तत्त्वों को भी पूरी तरह ध्यान में रखना जरूरी है। बैंकिंग कारोबार की प्रकृति बैंकों के लिए मानव संसाधन जोखिम प्रबंधन को और महत्त्वपूर्ण बना देती है।

○○○

प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग की खामियां एवं उनका निस्तारण

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिचर्ड नोलान एवं एफ वारेनमाफक फानदेन के अनुसार “आईटी गतिविधियों को अगर प्रबंधन बोर्ड नजरअंदाज करता है तो यह संस्था के लिए खतरनाक हो सकता है जैसे किसी संस्था की बहियों की लेखापरीक्षा न करना खतरे से खाली नहीं है। कारोबार चलाने के लिए आईटी का आधारभूत स्रोत है सूचना क्योंकि विकासशील बैंकिंग क्षेत्र में सूचना ही कारोबार है”।

मानव जीवन में प्रौद्योगिकी ने भारी परिवर्तन लाया है। इसका प्रभाव जीवन के हर एक पहलू पर दिखाई देता है। इसके बिना हमारा जीवन, समाज, देश अग्रसर नहीं होगा क्योंकि इस पर हम पूर्णतया निर्भर हैं। बैंकिंग क्षेत्र मुख्यतया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। बैंकों के विकास में कंप्यूटर और दूरसंचार का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकिंग क्षेत्र में एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीन के साथ टेकनालॉजी का प्रवेश हुआ और उसके बाद बैंकों में संपूर्ण कंप्यूटरीकरण ने रफ्तार पकड़ी। भुगतान एवं निपटान प्रणाली विकसित वित्तीय प्रणाली का मुख्य अंग है। ई-लेनदेन के जरिए नकदरहित, कागजरहित वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के



श्री पी. अनवर बाशा

वरिष्ठ प्रबंधक

विजया बैंक

लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक सुरक्षित एवं सक्षम आईटी प्रणाली के विकास पर जोर दे रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं आईडीआरबीटी के प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी के विकसित रूप वैन (WAN), इनफीनेट, एनईएफटी/आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग आदि ने बैंकिंग को नई दिशा दी है।

सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज को आज हम संक्षिप्त रूप में कोर बैंकिंग कहते हैं। सीबीएस में बैंक एवं सभी ग्राहक एक मुख्य सर्वर से जुड़े रहते हैं इसलिए सभी जानकारीयां तुरंत प्राप्त होती हैं। विश्व बैंकिंग का एक और मुख्य अंग है इंटरनेट। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए विश्व भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एवं समाचार का संप्रेषण होता है। इंटरनेट आधुनिक बैंकिंग की नींव है।

तकनीक आधारित बैंकिंग से कई फायदे प्राप्त हुए हैं। बैंकों की कार्य क्षमता में गति आई है। बैंक कई प्रकार की सेवाएं द्रुत गति से देने में सक्षम हुए हैं। इससे ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि वे दुनिया के किसी भी कोने से अपने खाते का परिचालन कर सकते हैं। घर से अपनी सहूलियत के अनुसार सभी प्रकार के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक पैसा प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के कारण यह संभव हो रहा है। त्रुटिरहित आसान समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन फायदेमंद हुआ है। तकनीक के कारण बैंकों का परिचालन व्यय कई गुना कम हुआ है।

उपभोक्ता ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और आसान किस्तों में उसकी अदायगी भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की उपादेयता ‘प्लास्टिक करेंसी’ के नाम से प्रसिद्ध

है। ऑनलाइन खरीद हो या दुकान से खरीद, ग्राहक आसानी से क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड बैंकों का परिचालन व्यय कम करने में बहुत सहायक रहा है। एक विश्लेषण के अनुसार ग्राहक के शाखा में आकर एक नकदी लेनदेन करने पर बैंक के लिए करीब 80 रुपयों का व्यय हो जाता है। अगर ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से धन की निकासी करते हैं तो उसका व्यय बैंक पर कम रहता है। यही नहीं ग्राहक को अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं से भी किसी भी एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा आज उपलब्ध है। यह सब तकनीक की देन है।

इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक अपनी सभी प्रकार की बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सभी प्रकार के खातों का परिचालन, टैक्स का भुगतान, चेक बुक के लिए अनुरोध, सावधि जमा आदि कर सकते हैं। साथ में अपने बिलों

का भुगतान भी कर सकते हैं। रिटेल ग्राहक एवं कॉर्पोरेट ग्राहक भी इस इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए कर सकते हैं एवं इससे बैंकों का परिचालन व्यय कई गुना कम हो गया है।

उक्त बताई गई नई तकनीकी बैंकिंग विधाओं में मोबाइल बैंकिंग ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। आम जनता के बीच मोबाइल इतना प्रसिद्ध हुआ है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल का प्रयोग कर रहा है एवं इसमें दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है। इसलिए बैंकों ने समाज के हर प्रकार के ग्राहक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल का सहारा लिया। विशेषतया बैंकिंग से वंचित जनता तक ये सेवाएं पहुंचाने के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र के जरिए सभी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग के लिए परिचालन मार्ग निर्देश जारी किया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। (देखें परिपत्र सं डीपीएसएस.सीओ.1/02.23.001.2015-16)

प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग के जरिए हुए लेनदेनों में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

भुगतान प्रणाली निर्देशक	परिमाण (मिलियन)			मूल्य
	2012-13	2013-14	2014-15	(बिलियन रुपये)
मद	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13
1	2	3	4	5
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार की संरचना (SIFMIs)				
1. आरटीजीएस	68.5	81.1	92.8	676,841.0
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2+3+4)	2.3	2.6	3.0	501,598.5
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	120,480.4
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.7	0.9	1.0	119,948.0
4. फॉरेक्स समाशोधन	1.4	1.5	1.8	261,170.1
कुल एसएफएमआई (1 to 4)	70.8	83.7	95.7	1,178,439.5
खुदरा भुगतान				
कुल प्रलेखों का समाशोधन (5+6+7)	1,313.7	1,257.3	1,195.8	100,181.8

5. सीटीएस	275.0	591.4	964.9	21,779.5
6. एमआईसीआर	823.3	440.1	22.4	57,504.0
7. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	215.3	225.9	208.5	20,898.3
कुल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	694.1	1,108.3	1,687.4	31,881.1
8. ईसीएस नामे	176.5	192.9	226.0	1,083.1
9. ईसीएस जमा	122.2	152.5	115.3	1,771.3
10. एनईएफटी	394.1	661.0	927.6	29,022.4
11. आईएमपीएस (IMPS)	1.2	15.4	78.4	4.3
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH)	-	86.5	340.2	-

इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग में वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक का विजन 'कम नकदी लेनदेन' को साकार बनाने में प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग मददगार साबित हुआ।

प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग को आसान अवश्य किया है एवं एक नई दिशा भी दी है। प्रौद्योगिकी के बहुत से फायदे हैं ही, लेकिन खामियां भी कम नहीं हैं। प्रौद्योगिकी मानव निर्मित है एवं खामियां भी मानव ने ही बनाया है। इस प्रकार के जोखिम से छुटकारा पाने के लिए सावधानियां बरतनी होंगी एवं इन खामियों का निस्तारण करना होगा। कुछ सावधानियां इस प्रकार ली जा सकती हैं :

- प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है। सॉफ्टवेयर में कोई भी हैकर सेंध लगाकर डेटा चोरी कर सकता है। हालांकि यह उतना आसान नहीं है फिर भी अंशभव भी नहीं है। हैकर से सूचना की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। वाईरस, ट्रोजनहार्स जैसे प्रोग्राम सूचना को चुराने के मकसद से बनाए जाते हैं एवं प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्पैम, वार्म आदि भी सुरक्षा के दुश्मन हैं।
- सूचना सुरक्षा के खतरे भी बहुत होते हैं। यदि कोई दुर्घटना हुई तो डेटा नष्ट हो सकता है एवं उसकी पुनः प्राप्ति असंभव हो सकती है। सूचना की चोरी की संभावना भी होती है। ऐसा होने पर किसी भी संस्था के लिए मुश्किल हालात

पैदा हो सकते हैं। बैंकिंग का सारा काम ऑनलाइन होता है इसलिए गोपनीयता का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। हार्डवेयर में त्रुटि होने पर या बिजली की समस्याओं से डेटा गायब हो सकता है।

- एटीएम से धन निकासी करते समय पासवर्ड की चोरियां साधारण बात हैं। क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड का क्लोनिंग किया जाता है एवं बैंक और उपभोक्ता को नुकसान होता है। इसमें विधि संबंधी समस्याएं भी आती हैं।
- मोबाइल बैंकिंग एवं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए धोखाधड़ी/ धन शोधन (Money Laundering) होने की संभावना है। इन लेनदेनों में 'अदायगी को रोकने' (Stop Payment) का प्रावधान नहीं है। इससे उपभोक्ता एवं बैंक को नुकसान हो सकता है।
- सूचना सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेटा बैकअप जरूर लेना चाहिए। डेटा सुरक्षा के लिए डेटा का संग्रहण डेटा केंद्र में किया जाता है। साथ ही, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आपदा रिकवरी साइट में भी बैंक के समस्त संव्यवहार को संगृहीत किया जाता है।
- हैकर डेटा की चोरी एक विशिष्ट प्रोग्राम के जरिए करते हैं। इससे बचने के लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, मजबूत फायरवॉल की स्थापना की जाती है।

- गोपनीयता को कायम रखने के लिए बैंक कड़े सुरक्षा उपायों को अपनाना है। इंटरनेट का प्रयोग कार्य स्थल पर अनिवार्य होने के नाते सभी प्रकार की वेबसाइट खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार नुकसानदायक साइटों पर रोक लगाना है।
- बाहरी वायरस से बचने के लिए पेन ड्राइव, सीडी रोम आदि के प्रयोग पर पाबंदी लगाना है।
- एटीएम में पासवर्ड की चोरी एवं क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के क्लोनिंग संबंधी सूचना विविध प्रकार के संचार माध्यमों के जरिए देकर ग्राहकों को सतर्क बनाना है।
- क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के मामले में मजबूत दोहरी पासवर्ड प्रणाली को अपनाकर नुकसान को रोक सकते हैं। कुछ समय पहले क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के पासवर्ड मांगते हुए फिशिंग मेल ग्राहकों को भेजे गए। इसी दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक के लोगो (logo) को जालसाजों ने प्रयोग किया एवं जाली वेबमेल @rbi.com भी बनाया। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए और ग्राहक को सचेत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मीडिया के जरिए सूचना दी और यह प्रक्रिया लगातार जारी है।
- मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग की प्रणाली को भी दोहरी पासवर्ड प्रणाली से मजबूत बनाकर ग्राहकों को सचेत करना होगा। लॉटरी मिलने की सूचना देते हुए एक बड़ी राशि उनके विदेशी खाते में जमा करने के मेल ग्राहकों को मिले। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचकर रहने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है एवं अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना भी दी। ऐसे मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी मीडिया के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाना अत्यावश्यक है।
- मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों में सुरक्षा मानदंड संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं DPSS.CO.PD. Mobilebanking No.1.02.23.001/2015-16 के जरिए बैंकों को दी गई। इसके अनुसार नकद लेनदेनों पर प्रति माह प्रति लाभार्थी ₹25000/- की सीमा रखी गई। इससे धन शोधन निवारण किया जा सकता है। नकद अंतरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं DPSS.CO.PD.

- No.622.02.27.1.9.2011-12 के अनुसार लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही बैंक के एटीएम या एजेंट के जरिए भुगतान किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के मोबाइल लेनदेन दोनों घटकों के प्रमाणीकरण के बाद ही पूरा होने की प्रणाली प्रवर्तित होनी चाहिए। लेनदेन के सभी चरणों पर एनक्रिप्शन (encryption) एवं सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाने हैं। आवधिक रूप से सुरक्षा संबंधी जांच की जानी चाहिए और सूचना अद्यतन करते रहना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग का प्रयोग करते समय बैंकों को सुदृढ़ फायरवॉल की स्थापना, सिस्टम गेट-वे की सुरक्षा के साथ-साथ नेटवर्क उपकरण, सर्वर, होस्ट कम्प्यूटर के अधिकृत स्रोत का प्रयोग करना चाहिए।
 - बैंक का डेटा सेंटर एवं सेवाकर्ता दोनों का भी उचित रूप से कनेक्ट रहना जरूरी है। कड़े सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए ताकि विस्तृत ग्राहक डेटा एवं लेनदेनों की सूचना की गोपनीयता कायम रखी जा सके।
 - श्री गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में बनी अध्ययन समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी के विविध आयामों पर अध्ययन किया एवं आईटी गवर्नेंस, आईटी सुरक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, आईटी परिचालन, आईटी सचेतता कार्यक्रम आदि पर अपने मार्ग-निर्देशों को तैयार किया एवं सभी के सूचनार्थ अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिक बैंकिंग को नई दिशा और गति प्रदान की है एवं इसकी उपादेयता हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई है। आज यह हमारे जीवन को सुचारु रूप में चलाने में मदद कर रही है एवं बैंकिंग को त्रुटिहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही, इसकी खामियां भी हैं जो समूचे बैंकिंग को ठप कर सकती हैं। लेकिन सावधानी से काम लेने पर इनका निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी के आधार पर बैंकिंग को सुचारु रूप से चलाना है। साथ ही, आवश्यक सावधानी भी बरतनी है। इससे बैंकिंग क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा एवं देश भी तरक्की करेगा।

○○○

आस्तियों पर एक प्रतिशत प्रतिलाभ – नये अर्थ

‘शब्दों’ के मायने समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए पहले ‘शब्द’ या पहले ‘अर्थ’ का निर्णय करना मुश्किल होता है। आर्यों के समय में ‘मंडप’ का अर्थ एक ऐसा स्थान था जहां समुदाय के सब लोग बैठक कर चावल का मांड पिया करते थे। कालक्रम में ‘मंडप’ शब्द के अर्थ का विस्तार हो गया और ‘मंडप’ का अर्थ किसी भी सामाजिक उत्सव के आयोजन के तौर पर लिया जाने लगा। धीरे-धीरे यह शब्द विवाह मंडप या कल्याण मंडप के रूप में भी जाना जाने लगा।

पिछले 25 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में संकट के अनेकों दौर आए। 1996-97 के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया में विदेशी मुद्रा विनिमय में संकट के दौर के कारण 600 के करीब बैंक बंद हो गए। 2007 में अमरीकी हाउसिंग लोन बाजार में आए संकट के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आया। ग्रीस, इटली जैसे देशों में सरकारी ऋणों (Sovereign Debts) में भुगतान के संकट ने शब्दों के कई पारंपरिक अर्थ बदल दिए हैं।

आरओए (ROA) या आस्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Assets) को हमेशा एक ऐसे टूल के रूप में जाना जाता है जिससे किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक की लाभ अर्जन करने की अंदरूनी



श्री जनमेजय पटनायक

उप महाप्रबंधक एवं प्राचार्य

सेन्ट्रल बैंक अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, भोपाल

ताकत को जाना जाता है। दूसरे रूप में यदि परिभाषित करें तो उसका अर्थ किसी बैंक की उस ताकत के रूप में संकेत देता है जिसको देखकर ही यह जाना जा सकता है कि बैंक द्वारा बनाये गए एसेट पर सारे खर्च एवं प्रावधानों के बाद जो लाभ अर्जित होता है वह प्रतिशत के तौर पर कितना है। पूरे विश्व में वित्तीय संस्थानों के लिए 1 प्रतिशत रिटर्न ऑन एसेट को एक विशिष्ट मानदंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए भारतवर्ष में पहले से स्थापित बैंक या नई बैंकिंग लाइसेंस नीति के अंतर्गत जितने नये नये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं उनकी ताकत को उनके आरओए के प्रतिशत से ही समझा और जाना जा सकता है।

कुछ दिनों पहले अलीबाबा (Alibaba) जो कि विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, के संस्थापक जैक मा (Jack Ma) ने अपने एक उद्बोधन में अमरीकी निवेशकों को यह कहा कि अलीबाबा कंपनी की संकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की जानी चाहिए जो समाज के आगामी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के माध्यम के रूप में देखी जा सके। अमरीकी निवेशकों में किसी भी कंपनी की संकल्पना प्रमुख तौर से शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के रूप में देखी जाती है यानि कि ऐसी कंपनी को ही एक सफल कंपनी माना जाता है जो अपने शेयर होल्डरों/ निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बना सके। जैक मा की परिभाषा से कंपनी नाम के शब्द के मायने ही बदलते हैं। उनके अनुसार कंपनी का अस्तित्व शेयर वैल्यू को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में समझना चाहिए।

ठीक इसी तरह पिछले 25 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए संकट के दौर के बाद ‘आरओए’ शब्द के मायने ही बदल गए हैं। ‘आरओए’ शब्द को अब तक एक वित्तीय या फाइनेंशियल टूल के ही रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब चूंकि विभिन्न

देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है, इसी कारण आरओए को फाइनेंशियल टूल के बाजार में एक कॉरपोरेट गवर्नेंस टूल के रूप में देखा जाने लगा है। फाइनेंशियल टूल से हम शेयर होल्डर, कर्मचारी, ग्राहक ऋण देने वाली संस्थाओं के मन में संस्था के सुचारु रूप से चलने का विश्वास पैदा कर सकते हैं लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी मानदंड इसलिए लागू किये जाते हैं ताकि पूरी अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्थिरता, विश्वास एवं पूर्वानुमेयता (Predictability) भी स्थापित हो सके।

यदि कोई बैंक एक या दो दशक के दौरान लगातार 1 प्रतिशत आरओए प्राप्त कर सके तो यह इस बात को दर्शाता है कि उस बैंक का स्ट्रक्चर, सिस्टम, कार्यविधि एवं रणनीति इतनी विकसित एवं समग्र हो चुकी है कि बैंक का व्यापार, बिजनेस

मिक्स कैसा भी क्यों न हो, बैंक अपने कार्यकलापों का एक मानक स्तर लगातार रख सकता है। इस तरह के बैंकों से पूरी बैंकिंग व्यवस्था को एक आत्मविश्वास की स्थिरता एवं विश्वसनीयता मिलती है। किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में जब इस तरह के बैंकों का प्रतिशत बढ़ जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को भी सम्मान से देखा जाता है।

हमारे देश में एचडीएफसी बैंक एक ऐसे बैंक की श्रेणी में आता है जिसने पिछले दो दशकों में लगातार आरओए का एक मानक स्तर स्थापित किया हुआ है। विश्व स्तर पर मजबूत माने जाने वाले बैंकों का आरओए 2 प्रतिशत से ज्यादा होता है एवं अच्छे और मजबूत बैंक 2 प्रतिशत से भी अधिक का आरओए दिखाने की क्षमता रखते हैं। नीचे दिये गए टेबल को देखने से यह

क्रम सं.	बैंक	आरओए	आरओए	आरओए	व्यवसाय	व्यवसाय	व्यवसाय
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
(करोड़ ₹ में)							
1	आन्ध्रा बैंक	0.99	0.29	0.34	2.22 लाख	2.50 लाख	2.85 लाख
2	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	0.82	0.75	0.49	8.02 लाख	9.66 लाख	10.45 लाख
3	बैंक ऑफ़ इंडिया	0.65	0.51	0.27	6.71 लाख	8.48 लाख	9.34 लाख
4	केनरा बैंक	0.77	0.54	0.55	6.18 लाख	7.49 लाख	8.30 लाख
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	0.44	(-0.47)	0.21	4.01 लाख	4.23 लाख	4.51 लाख
6	इंडियन बैंक	1.02	0.67	0.54	2.48 लाख	2.84 लाख	2.95 लाख
7	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	0.24	0.23	(-0.16)	3.62 लाख	4.04 लाख	4.18 लाख
8	ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	0.71	0.56	0.23	3.05 लाख	3.33 लाख	3.49 लाख
9	पंजाब नेशनल बैंक	1.00	0.64	0.53	7.00 लाख	8.00 लाख	8.81 लाख
10	सिंडिकेट बैंक	1.07	0.78	0.58	3.32 लाख	3.85 लाख	4.57 लाख
11	यूनियन बैंक	0.79	0.52	0.49	4.71 लाख	5.27 लाख	5.73 लाख
12	विजया बैंक	0.59	0.35	0.33	1.66 लाख	2.05 लाख	2.13 लाख
13	एचडीएफसी बैंक	1.70	1.70	1.80	5.35 लाख	6.70 लाख	8.17 लाख

ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन भारतीय बैंकिंग के मूल्यांकन से कितना प्रभावित हो सकता है। दूसरे शब्दों में यदि भारत के सारे बैंक 1 प्रतिशत आरओए की तरफ बढ़ने का प्रयास करें तो भारतीय बैंकिंग का सम्मान पूरे विश्व में फिर से बढ़ जाएगा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके भी अनेकों लाभ मिलेंगे जिससे जीडीपी ग्रोथ की दर में काफी सकारात्मक वृद्धि संभव हो सकेगा।

यदि हम विभिन्न बैंकों के कुल व्यवसाय एवं आरओए को देखें तो इसका कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। एचडीएफसी बैंक में देखें तो महसूस होता है कि बैंक की आस्तियों का बेस बढ़ने पर भी उनकी रणनीति ऐसी है जिससे आरओए का स्तर मानक बना रहे।

भारतीय बैंकों में अधिकांश बैंकों के लिए 1 प्रतिशत आरओए अभी भी एक सर्वाइवल ट्रिक के रूप में देखा जाता है। इसमें 0.25 प्रतिशत के नीचे आते ही आरबीआई के प्राम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत सीधे-सीधे आरबीआई के निर्देशों में काम करने को कहा जाता है। इसलिए विश्व/आर्थिक व्यवस्था के स्तर पर आरओए के अर्थ फाइनेंशियल टूल से कॉर्पोरेट गवर्नेंस टूल्स के रूप में बदल गए हैं। भारतीय बैंक में अभी भी इसे सर्वाइवल अथवा अस्तित्व की निरंतरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उपर्युक्त संदर्भ में भारत के सभी बैंकों में उच्च प्रबंधन को इस बात के लिए संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है कि वे किस ऋण नीति, किस प्रशिक्षण की नीति एवं कार्य व्यवस्था को अपनाएं जिससे कि हजारों युवा प्रबंधकों को इस विधा के बारे में समझाया जा सके एवं उन्हें तैयार किया जा सके। पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में युवा प्रबंधकों को औसतन 2-3 वर्षों का ही अनुभव है, इसलिए भी परिपक्वता की आवश्यकता में जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षण एवं व्यापारिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि उच्च प्रबंध तंत्र में भी इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है, फिर भी बैंकों के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने कनिष्ठ एवं मिडिल मैनेजमेंट के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस बारे में जागरूक बनाएं। पहली बार बने शाखा प्रबंधकों को 1 प्रतिशत आरओए सिखाना

अत्यंत आवश्यक है। यदि भारतीय बैंक इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो समूची भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे आने वाले कई दशकों तक इसका लाभ मिलता रहेगा। शाखा प्रबंधकों को आरओए का कंसेप्ट ठीक तरह से समझाने के लिए ट्रांसफर प्राइस मेकेनिज्म, रिर्सोस मिक्स एवं एसेट मिक्स जैसी संकल्पनाओं के साथ परिचय कराना आवश्यक होगा। बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि अभी तक चली आ रही परिपाटी, जिसमें एक ही पैमाना बैंकों की सैकड़ों शाखाओं के लिए लागू किया जाता है, से हटकर हर शाखा के लिए अपनी एक विशिष्ट रणनीति बनाने की शुरुआत की जाए जिससे बैंकों की हर शाखा को 1 प्रतिशत आरओए प्राप्त करने में सफलता मिले।

सभी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने योजना एवं विकास विभाग, इकॉनॉमिक इंटेलिजेंस विभागों को निर्देशित करें, हर शाखा का एक एरिया पोर्टेशियल प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल, शाखा प्रोफाइल एवं व्यापारिक रणनीति बनाएं और ग्राहकों को शाखा में लाने का लक्ष्य निर्धारित करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले अपने रीजन या सर्कल को यूनिट बनाकर कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, फिर क्रमागत रूप से प्रत्येक शाखा को 1 प्रतिशत आरओए की तरफ अग्रसर करना उचित होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आरओए की कार्य-योजना बनाना एवं उसको लागू करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि सरकारी अपेक्षाओं के अनुसार इन बैंकों को अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर एवं हर सेगमेंट के लिए कोई न कोई फाइनेंस देना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एसेट्स का मिक्स अनूठा होता है और सामान्य स्तर पर इसमें बहुत विरोधाभास पाया जाता है। एक स्तर पर ज्यादा रिटर्न देने वाले एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ इनमें क्विक मॉर्टेलिटी वाले एसेट्स होते हैं तीसरी तरफ ऐसे भी एसेट होते हैं जिनमें मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है लेकिन इन एसेट्स से पाया हुआ लाभ भी बहुत ही कम होता है। इन बैंकों के सामने एक चुनौती होती है कि कैसे इन उच्च मॉर्टेलिटी वाले एसेट्स को मीडियम लो मॉर्टेलिटी एसेट्स में बदला जाए, शायद यह हमेशा संभव

नहीं है कि एसेट्स में अवमूल्यन या मॉरटेलिटी को रोका जा सके पर इसे रोकने की कोशिश करना भी एक कार्य है। शायद इसलिए ड्यू डिलिजेंस एवं सामरिक रणनीति बनाने की क्षमता दोनों ही इस तरह के प्रयोगों में अत्यावश्यक तत्व है। ड्यू डिलिजेंस सामरिक रणनीति, मार्केट इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बाजार में लगातार घूमने, ऋण वसूली या समझौता वार्ता जैसे लक्ष्य 1 प्रतिशत आरओए प्राप्त करने के कारक हैं। करेंट अकाउंट एवं रेमीटेंस अथवा कम लागत वाले जमा खातों के द्वारा भी 1 प्रतिशत आरओए प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

चूंकि विकसित देशों में बैंक अपनी आय का लगभग 50 प्रतिशत फी बेस्ड इनकम द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए फी बेस्ड इनकम के प्रमुख साधन बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं जिनका रिस्क सामान्य व्यापारिक रिस्क जैसा ही होता है। भारतवर्ष की साख एक ऐसे देश की है जिसने अभी तक विदेशों से लिये गये ऋण के, चाहे वे विश्व बैंक से हों या आईएमएफ से हों या दूसरी किसी एजेंसी से हों, एक भी किस्त में डिफाल्ट नहीं किया है। इसके अलावा भी भारतीय संसद द्वारा 2003 में पारित एफआरबीएम ऐक्ट के अनुसार भारत सरकार को मैक्रो लेवल पर स्थिरता बनाए रखने हेतु आश्वासन देना होता है, इसलिए अगर अच्छे कोलेटरल के साथ बहुत नियमित रूप से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद बैंक गारंटी एवं लेटर ऑफ क्रेडिट का व्यापार बढ़ाया जाएगा तो आरओए में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। रेमीटेंस एवं कासा तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाते हैं और इनसे एक फ्री फ्लोट प्राप्त होता है जिससे कि कॉस्ट ऑफ फंड को कम करने में काफी सहायता मिलती है। इसके अलावा भारतवर्ष एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से उद्यमिता की क्रान्ति बैंक द्वारा संभव हो रही है। 13 नवम्बर 2013 में इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई एक खबर के अनुसार CARATLANE नामक ई-कॉमर्स साइट से 3.5 करोड़ रुपये कीमत वाली एक सॉलीटेयर (solitaire) की इयर रिंग्स (ear rings) को बेचा।

क्लाउड एवं मोबाइल टेक्नॉलॉजी के समन्वयन से कुछ अभूतपूर्व इनोवेशन हो रहे हैं जिन्हें यदि भारतीय बैंक समय रहते

आश्रय प्रदान करें तो उनका आरओए भी बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था क्रान्तिकारी स्तर पर पहुंच जाएगी।

हर तरह के व्यापारिक वित्त के लिए हर बैंक को अपनी अलग से सामरिक रणनीति बनानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बैंक को कासा (CASA) और रेमीटेंस का व्यापार बहुत बढ़ाना हो तो उसे अपनी संस्था को एक कस्टमर सेंट्रिक संस्था के रूप में बनाना होगा। एक ऐसी संस्था जिसमें ग्राहक सेवा का स्तर बहुत ऊंचा हो और कुछ इस तरह के सिस्टम्स या प्रोसेस को अपनाने की कोशिश हो जिससे ग्राहक सेवा का स्तर अपने आप ही उत्कृष्टतम हो जाए। कासा खासकर दो अन्य बातों पर भी निर्भर करता है- उस बैंक की समग्र कॉरपोरेट इमेज कैसी है और उसकी किस स्थान, शाखा एवं उसके शाखा प्रबंधक की इमेज कैसी है।

लगभग अगले 5 वर्षों में भारतीय बैंकिंग में अभूतपूर्व बदलाव आना अपेक्षित है क्योंकि तकनीकी प्लेटफार्म से मोबाइल बैंकिंग एवं एनपीसीआई द्वारा लाए गए उत्पाद बाजार में क्रांति ले आएंगे। श्री नंदन निलेकणी बैंकिंग एवं फाइनेंस के अगले 5 साल के इस दौर को बैंकिंग में हवाट्सएप क्रांति का दौर कहते हैं। कितने बैंकों का अस्तित्व रहेगा या लुप्त हो जाएगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि बैंकों ने अपने आरओए के स्तर को 1 प्रतिशत से उपर रखने के लिए किस तरह की रणनीति अगले 5 वर्षों के लिए बनाई है।

1 प्रतिशत आरओए की संकल्पना को यदि युवा प्रबंधकों को समझाया जाए तो 5 साल के अंतराल में जब ये युवा प्रबंधक वरिष्ठ अथवा उच्चतम प्रबंधन के पद पर पहुंचेंगे तो इनके लिए उस बैंक की सामरिक रणनीति, सिस्टम, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर एवं बौद्धिक संपदा को एकीकृत कर पूरे बैंक को एक समग्र वित्तीय ताकत के तौर पर अर्थव्यवस्था में स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान देना काफी सरल होगा एवं भारत के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाए जाने में बैंकों की अपेक्षित भूमिका का निर्वहन भी उतना ही सरल होगा।

○○○

रेग्युलेटर की नज़र से

[रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है जिसका निर्माण विशिष्ट कानूनों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-Legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तंभ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहलों को शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का तीसरा लेख।]

क) हरित बॉण्ड का निर्गम और उनकी लिस्टिंग

भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाइयों के लिए अब से 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर (2014-15 की कीमतों पर) जितनी विशाल राशि की ज़रूरत है। इसके अलावा, भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 200 बिलियन डॉलर निधि की ज़रूरत पड़ेगी। अतः पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) के क्षेत्र में निवेश के लिए हरित बॉण्ड के ज़रिए निधियाँ जुटाने में कंपनियों की मदद करने के लिए सेबी ने स्टॉक मार्केट में ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गम और उनकी लिस्टिंग के बारे में नए मानदंडों का अनुमोदन जनवरी 2016 में कर दिया।

इससे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजी लगाने की लागत में भी कमी आएगी। प्रश्न है कि कम ब्याज दर के बावजूद निवेशक हरित बॉण्ड में कैसे क्यों लगाएंगे? केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, हरित बॉण्ड के मामले में, “राशि एक विशिष्ट हरित परियोजना के लिए जुटाई जाती है परंतु उसकी चुकौती का संबंध



डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

उसके जारी करने वाले के साथ रहता है, न कि परियोजना की सफलता के साथ।” अतः इसमें चूक की संभावना कम रहेगी।

सेबी के कथनानुसार हरित बॉण्ड का निर्गम और उनकी लिस्टिंग पर कर्ज़ प्रतिभूतियों (डेट सिक्क्यूरिटीज) संबंधी विनियम लागू होंगे पर हरित बॉण्ड जारी करने वालों को अतिरिक्त प्रकटीकरण करने होंगे। हरित बॉण्ड समय-समय पर सेबी द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

अन्य बॉण्ड और हरित बॉण्ड में अंतर सिर्फ इतना ही है कि हरित बॉण्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ही किया जाएगा। हरित बॉण्ड का पैसा जिन क्षेत्रों में लगाया जाएगा, वे क्षेत्र मोटे तौर पर इस प्रकार हैं - जलवायु परिवर्तन, पुनर्नवीकरणीय और धारणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और जैव-विविधता (बायोजाइवर्सिटी) संरक्षण। ऐसे बॉण्ड जारी करने वालों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में और स्टॉक एक्सचेंज में समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों में इस बात का प्रकटीकरण करना होगा कि राशि का उपयोग किस हरित परियोजना के लिए किया गया।

भारत में हाल ही में कुछ संस्थाओं ने हरित बॉण्ड जारी किए हैं - यथा यस बैंक, सीएलपी इंडिया, निर्यात-आयात बैंक और आईडीबीआई बैंक। फरवरी में यस बैंक ने 1000 करोड़ रु. का हरित बॉण्ड जारी किया था, जो दो गुना ओवर-सब्सक्राइब हुआ था। मार्च में निर्यात-आयात बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का हरित बॉण्ड जारी किया था, जो डॉलर में मूल्यवर्गित भारत का पहला हरित बॉण्ड था, यह लगभग 3.2 गुना ओवर-सब्सक्राइब हुआ था।

ख) एनपीएस

एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन

प्रणाली की स्थापना की गई है जिसका प्रशासन एवं विनियमन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। 18 से 60 साल की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।

i) एनपीएस का इतिहास

भारत सरकार द्वारा अंशदान पेंशन प्रणाली को 22 दिसम्बर 2003 को अधिसूचित किया गया जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई और जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। इसके उपरान्त, 1 मई 2009 से एनपीएस का विस्तार स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों के लिए किया गया जिसमें स्व-रोजगार पेशेवरों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अब एनपीएस के अभिदाताओं में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्र के अभिदाता शामिल हैं और इसका विनियमन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि एनपीएस के अतिरिक्त, कुछ अन्य म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां भी पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाएं उपलब्ध कराती हैं लेकिन वे पीएफआरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।

ii) एनपीएस के लिए विनियामक प्राधिकरण और विनियामक अधिनियम

भारत में पेंशन क्षेत्र को प्रोन्नत, विकसित और नियमित करने के लिए भारत सरकार के अध्यादेश द्वारा 23 अगस्त 2003 को अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई, जो नागरिकों की वृद्धावस्था आय की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक आधार पर पूर्ति हेतु व्यवस्थित पेंशन प्रणाली के संवर्धन एवं विकास के लिए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को 19 सितम्बर 2013 को पारित और 1 फरवरी 2014 से अधिसूचित किया गया है।

iii) निवेश

योजना का निर्माण दो टियर में किया गया है - पहला टियर-I खाता जो एक गैर-आहरणीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें संचित धन का निवेश अभिदाता द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार किया जाता है और दूसरा टियर II खाता जो एक स्वैच्छिक आहरण योग्य खाता है जिसे खोलने की अनुमति तब ही दी जाती है जब अभिदाता के नाम पर सक्रिय टियर-I खाता हो। इस खाते से आहरण की अनुमति अभिदाता द्वारा आवश्यकतानुसार दावा करने पर दी जाती है।

टियर I में न्यूनतम अभिदान राशि 500 रुपये है और साल में कम-से-कम 6000 रुपये का अभिदान करना पड़ता है, जिसमें प्रभार और कर शामिल नहीं हैं। खाता सक्रिय करने के लिए अभिदान की राशि के साथ चूक के प्रत्येक साल के लिए 100 रुपये दंड भी देना पड़ता है। टियर II में खाता खोलने के समय का न्यूनतम अभिदान 1000 रुपये और बाद के अभिदान 250 रुपये के हैं और वित्त वर्ष के अंत में न्यूनतम शेष 2000 रुपये होने चाहिए, जिसमें प्रभार और कर शामिल नहीं हैं।

iv) एनपीएस का निधि प्रबंधन

एनपीएस के अंतर्गत व्यक्तिगत बचत को पेंशन कोष में पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत निवेश के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इस राशि का निवेश इन क्षेत्रों में किया जाता है - सरकारी बॉण्ड, बिल, कॉर्पोरेट बॉण्ड और शेयर। निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ के आधार पर यह अंशदान साल-दर-साल बढ़ता और संचित होता रहता है। एनपीएस से सामान्य रूप से बाहर होने के समय अभिदाता, यदि चाहे तो, संचित पेंशन निधि के एक हिस्से को एकमुश्त प्राप्त करने के साथ योजना के अंतर्गत संचित निधि के शेष भाग का प्रयोग पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनी से वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए कर सकता है।

एनपीएस पेंशन निधि को निम्न तीन प्रकार की योजनाओं में निवेशित किया जाता है - इन्हें सक्रियता से चुनने का विकल्प निवेशक के पास रहता है - I) आस्ति वर्ग E के तहत प्रमुख रूप से इक्विटी बाजार की लिखतों में निवेश किया जाता है, II) आस्ति वर्ग C के तहत निश्चित आय वाली लिखतों में निवेश किया जाता है जिनमें सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं, जबकि III) आस्ति वर्ग G के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेशक अपनी समग्र पेंशन निधि का निवेश आस्ति वर्ग C या आस्ति वर्ग G में करने का अथवा आस्ति वर्ग E में अधिकतम 50 प्रतिशत तक निवेश करने का चुनाव कर सकते हैं। वे अपनी पेंशन निधि को पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आस्ति वर्ग G, E और C में बांट भी सकते हैं। जो निवेशक आस्ति आबंटन से संबंधित विकल्पों को चुनने में अक्षम/अनिच्छुक हैं उनकी निधि का निवेश स्वचालित विकल्प के अनुसार किया जाता है, जिसमें निवेश जीवन चक्र निधि में किया जाता है। इसमें राशि का निवेश पूर्व-निर्धारित पोर्टफोलियो (अभिदाता की आयु के अनुसार परिवर्तित) के अनुसार तीन आस्ति वर्गों में किया जाता है।

v) आहरण और निकासी

60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर संचित की गई पेंशन निधि में से कम से कम 40 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल वार्षिकी खरीदने के लिए करना है जिससे अभिदाता को प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को किया जाता है। हालांकि अभिदाता एकमुश्त निकासी राशि को 70 वर्ष की आयु तक आगे बढ़ा सकता है। 60 वर्ष की आयु से पूर्व किसी भी समय अभिदाता की संचित पेंशन निधि में से कम से कम 80 प्रतिशत पेंशन निधि का इस्तेमाल वार्षिकी खरीदने के लिए करना है जिससे अभिदाता को मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी, शेष 20 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को किया जाता है। अभिदाता की मृत्यु होने पर समग्र संचित पेंशन निधि (100 प्रतिशत) को अभिदाता के नामिती अथवा कानूनी हकदार को दे दिया जाएगा और किसी प्रकार की वार्षिकी/मासिक पेंशन की खरीद नहीं की जाएगी।

vi) पीआरएन और एनपीएस

एनपीएस में खाता खोलने पर स्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्या (प्रान) दिया जाता है जो कि जीवन-भर अभिदाता के पास रहता है। यह उम्र भर समान होता है और पूरे देश में चलता है। यह एक पोर्टेबल स्कीम है। इसमें मिले प्रान नंबर के कारण सभी क्रियाएं आसान हो जाती हैं। यह प्रान नंबर फिक्स रहता है। निवेशक अगर अपना पेंशन ब्रांच/ऑफिस बदलना भी चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं लेकिन उनका प्रान नंबर वही रहता है।

vii) टैक्स लाभ

आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अनुसार 1.50 लाख रुपए तक के सकल निवेश एवं व्यय पर कर कटौती की सुविधा थी। 2015-16 के बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किए गए निवेश पर 50000 रुपये का अतिरिक्त कर लाभ दिया और इस प्रकार कुल कटौती 2.00 लाख रुपए हो गई।

ग) डब्ल्यूआई ट्रेडिंग

रिज़र्व बैंक ने 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में डब्ल्यूआई अर्थात डब्ल्यूआई ट्रेडिंग की अनुमति दी थी ताकि डेट बाज़ार को सुदृढ़ बनाया जा सके। डब्ल्यूआई ट्रेडिंग से तात्पर्य ऐसे सशर्त लेनदेन से है जिसमें प्रतिभूति को प्राधिकृत किया जाता है पर उस समय तक उसे जारी नहीं किया गया होता है। ट्रेजरी प्रतिभूतियों, स्टॉक-स्प्लिट्स तथा स्टॉक एवं बॉण्ड के नए निर्गमों को 'जब जारी' आधार पर ट्रेड किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब

जारी' आधार पर किए जाने वाले लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2015 में ट्रेडिंग के इस सेगमेंट में बैंकों को शॉर्ट पोजिशन लेने की अनुमति प्रदान की, जबकि म्यूच्युअल फंड, बीमा और पेंशन फंड, एनबीएफ़सी आदि को लॉन्ग पोजिशन लेने की अनुमति है।

घ) पीसीए

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन) एक यूएस फेडरल कानून है जिसके तहत पूंजी अनुपात में क्रमिक गिरावट दर्शाने वाले बैंकों के विरुद्ध दंड लगाने का प्रावधान है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पीसीए फ्रेमवर्क के तहत तीन पैरामीटर- अर्थात जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर), शुद्ध अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) - के अनुसार कुछ विनियामक ट्रिगर पॉइंट विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिन्हें हिट करने वाले बैंकों के बारे कतिपय कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं। इस पीसीए की शुरुआत तब की जाती है जब किसी वाणिज्यिक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात अथवा जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत से नीचे चला जाता है; जब उसकी शुद्ध अनर्जक आस्तियां 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती हैं अथवा जब आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.25 प्रतिशत के नीचे चला जाता है। निकट अतीत में रिज़र्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर उनके अशोध्य ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर पीसीए के तहत कार्रवाई की थी।

ङ) पीसीआर

पीसीआर अर्थात प्रोविज़निंग कवरेज रेशिओ एक व्यापक विकेकपूर्ण उपाय है, जिसके तहत उस समय जब बैंक लाभ कमा रहे होते हैं, एक प्रतिचक्रिय रूप में प्रोविज़निंग बफर बढ़ाया जाता है। सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात के रूप में पीसीआर का प्रावधान किया जाता है। दिसंबर 2009 में रिज़र्व बैंक ने इसे सकल अनर्जक आस्तियों का 70 प्रतिशत निर्धारित किया था। इससे इस बात को आँका जा सकता है कि बैंक ने अपने ऋण संविभाग के खराब हिस्से के बारे में किस सीमा तक प्रावधान किया है। पीसीआर अधिक होने से यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में उस बैंक को अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त प्रावधान करना होगा, बशर्ते उसकी सकल अनर्जक आस्तियां तीव्रतर गति से न बढ़ें। इसे बैंक के तुलन पत्र में भी दिखाना पड़ता है।



इतिहास के पन्नों से

किसी भी स्थान की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां वहां के आर्थिक परिदृश्य को भी निर्धारित करती चलती हैं। राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में भी अहम बदलाव लाते हैं। यह अन्यथा नहीं है कि राजनीतिक/देश संबंधी जोखिम को बैंकिंग या निवेश जोखिमों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे बैंक से रू-ब-रू करा रहे हैं, जिसने बदलती राजनीतिक स्थितियों के बरअक्स अपनी संरचना और कार्यप्रणाली को ढालते हुए उन्नति के उंचे पायदानों पर कदम रखा है। आइए सुनते हैं, हैदराबाद स्टेट बैंक से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तक के सफर की रोचक दास्तान - खुद इसी बैंक की जबां से।

हैदराबाद पर राज करने वाले आसफ जाह राजशाही के निजामों की कहानी हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1803 से 1948 तक सात निजामों ने हैदराबाद राज्य पर शासन किया था। यूं तो सभी निजाम कला, संस्कृति, साहित्य,



डॉ. मीनू मंजरी

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वास्तुकला और जेवर-गहनों की कारीगरी के संरक्षक माने जाते थे और उन्होंने अपने राज्य में विद्युत, डाक-तार, रेलवे जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की थीं, पर सातवें निजाम मीर उस्मान अली अपनी समृद्धि और जेवरातों के नायाब संग्रह के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। निजाम के आभूषणों का प्रदर्शन आज भी समाचारों का विषय होता है। उन्होंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। मेरी स्थापना भी उन्हीं के विचारों का प्रतिफल है। मैं यानि कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। उन दिनों मेरा नाम हैदराबाद स्टेट बैंक था; मैं हैदराबाद राज्य का सेंट्रल बैंक जो हुआ करता था।



मीर उस्मान अली खान

मीर उस्मान अली खान ने 1911 में सातवें निजाम के रूप में गद्दी संभाली। उनके सत्तारूढ़ होते ही आधुनिक तरीकों से अर्थ व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए गए। ऐसा ही एक कदम शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंको की स्थापना (1914 में) था, जिससे ग्रामीण कारीगरों एवं कृषकों को संगठित रूप से ऋण प्रदान किया जा सके। वैसे तो हैदराबाद राज्य 1868 में इंपीरियल बैंक की शाखा खुलने के साथ ही औपचारिक बैंकिंग से परिचित हो चुका था। बाद में इंपीरियल बैंक की एक और शाखा सिकंदराबाद में भी खोली गई। इन्हीं दोनों जगहों पर सेंट्रल बैंक की शाखाएं भी क्रमशः 1918 और 1925 में खोली गईं। इसके अलावा राजा पन्नलाल पित्ती ने हैदराबाद मर्केटाइल बैंक भी आरंभ किया था। यह बैंक बाद में सुचारू रूप से नहीं चल पाया और 1953 में मैंने इसकी आस्तियों और देयताओं को अपने नियंत्रण में ले लिया।

सबसे पहले सुनिए मेरे गठन की कथा... हैदराबाद सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक कार्यकलापों एवं बैंकिंग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेष अधिकारी का पद सृजित किया गया, जिन्होंने वर्ष 1932 में हैदराबाद बैंकिंग इंकायरी रिपोर्ट

प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत सरकार ने श्री के.एम. बारूच, तत्कालीन संयुक्त सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी सिफारिश की कि निजाम द्वारा संचालित राज्य के लिए बैंक की स्थापना की जाए। इस सिफारिश के अनुसरण में हैदराबाद स्टेट बैंक विधेयक वर्ष 1939 में कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में हैदराबाद स्टेट बैंक यानि मेरी स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इस बैंक का उद्देश्य निजाम के राज्य के लिए मुद्रा के परिचालन को विनियमित करना, उसका पूर्ण स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, निजाम के राज्य और विदेश में धन का भुगतान सुलभ कराना, ऋण सहायता उपलब्ध कराना और कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देना था।

हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम 8 अगस्त 1941 को पारित हो गया और मेरा औपचारिक उद्घाटन 5 अप्रैल 1942 को नवाब सर अकील जंग बहादुर द्वारा किया गया, जो उस समय बैंक के निदेशकों में से एक थे और निजाम की वाणिज्य एवं उद्योग कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। मेरी पहली शाखा गनफाउंड्री, हैदराबाद में खोली गई। मुझे वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप चलाने के साथ-साथ सरकार का केंद्रीय बैंक होने का गौरव भी प्राप्त था। मेरी इस पहली शाखा को अब हेरिटेज भवन घोषित किया जा चुका है।



गनफाउंड्री स्थित बैंक की पहली शाखा

राज्य का केंद्रीय बैंक होने के कारण लोकहित मेरा सर्वप्रमुख उद्देश्य रहा है। ऊंचा लाभ कमाने के प्रयासों में इस मूल उद्देश्य

की अनदेखी न हो और लोक निधियों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई कि मेरी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत सरकार द्वारा धारित किया जाएगा और निदेशक बोर्ड को सरकार नियंत्रित करेगी। साथ ही, यदि मैं अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहा तो सरकार को सामान्य पर्यवेक्षण एवं उसके मामलों का निर्देशन अपने हाथ में लेने का अधिकार था। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकतम शेयरधारिता को 200 तक सीमित किया गया ताकि किसी भी समूह द्वारा मेरा अधिग्रहण न हो पाए। न्यूनतम 3 प्रतिशत के लाभांश की गारंटी सरकार द्वारा दी गई थी और जब तक कि आरक्षित निधियां मेरी जारी पूंजी के बराबर न हो जाएं, तब तक के लिए अधिकतम लाभांश 6 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया।

एक केंद्रीय बैंक के सभी कार्य अब मेरे हाथ में थे। मुझे सरकार के बैंकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लोक ऋण और मुद्रा विभाग के प्रबंधन का कार्य मैंने 9 अप्रैल 1943 को अपने हाथों में ले लिया। मुझे भारत में परिचालनरत वाणिज्यिक बैंकों में से राज्य की मुद्रा का प्रबंधन करने का भी अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के अधीन मैंने हैदराबाद मुद्रा विभाग के पाँच कार्यों में से चार - अर्थात् विनिमय, निरसन, मांग तथा शाखाओं के पंजीकरण और संकलन के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया।

हैदराबाद राज्य की मुद्रा 'उस्मानिया सिक्का' कहलाती थी, हालांकि यह कागज़ी करेंसी थी। 1858 तक राज्य में मुगल बादशाह के नाम के सिक्के ही चलते थे। फिर जब निजाम के नाम के सिक्के शुरुआत में जारी हुए तो उन्हें 'हाली सिक्का' कहा जाता था, यानि कि हाल में जारी। निजाम कागजी करेंसी चालू करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ निजी बैंकों से बात भी की। लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश शासन को यह मंजूर न था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय धातुओं की किल्लत और युद्ध में हैदराबाद राज्य के सहयोग के कारण इसकी इजाजत दे दी गई। 1919 में 1 रुपए और 5 रुपए के नोट जारी किए गए और 1926 में 1000 रुपए के। वर्ष 1947 के बाद मैंने उस्मानिया सिक्का को भारत सरकार की मुद्रा में परिवर्तित करने का काम हाथ में लिया



उस्मानिया सिक्का (पांच रुपए का नोट)

क्योंकि ऐसा करना वित्तीय एवं आर्थिक बदलाव के लिए जरूरी था। 1959 में उस्मानिया सिक्का का प्रचालन समाप्त कर दिया गया।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत सरकार ने निजाम के साथ यथास्थिति करार (Standstill Agreement) किया, जिसके तहत निजाम ने राज्य की राजनैतिक स्थिति को न बदलने पर सहमति जताई।

श्री गुलाम मोहम्मद निजाम के कार्यकारी परिषद में वित्तीय सदस्य थे और वे कुछ समय के लिए हैदराबाद स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष थे। वे बाद में पाकिस्तान चले गए और वर्ष 1947 में पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे। वे पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए निजाम को मना पाए। कराची, जो उस समय पाकिस्तान की राजधानी थी, से एक बैंकिंग संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई और मैंने पाकिस्तान

के कराची स्थित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के परिसर में अपनी शाखा 20 मई 1948 को खोली।

1 अप्रैल 1950 को हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने मौद्रिक व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिनमें मुद्रा एवं लोक ऋण का प्रबंधन शामिल था। इससे मेरे स्वरूप में भारी परिवर्तन आया और वह सरकार का बैंकर नहीं रहा।

1954-55 के दौरान मैंने कृषि उत्पादों के व्यापारियों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किए। 1 अप्रैल 1956 को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अध्यादेश के जरिए मुझे अनुषंगी के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिए जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 के तहत अब मेरा नाम हैदराबाद स्टेट बैंक से बदलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गया। 1 अक्टूबर 1959 को मैं भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी बन गया।

यह तो थी मेरे अतीत की कहानी। अब मैं आपको अपने वर्तमान में लिए चलता हूँ। आज मैं भारतीय स्टेट बैंक का सबसे बड़ा सहयोगी बैंक हूँ। आरंभ में मेरी उपस्थिति मुख्यतः तेलंगाना, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र एवं कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में थी। पर अब मेरी शाखाओं का विस्तार देश भर में हो गया है और मैंने अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त कर लिया है। हैदराबाद में प्रधान कार्यालय के अलावा मेरे 16 अंचल कार्यालय, लगभग 60 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 2006 शाखाएँ देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार मेरा कुल कारोबार 2,40,773 करोड़ रुपए था, जिसमें से जमाराशियाँ 1,32,022 करोड़ रुपए एवं ऋण 1,08,787 करोड़ रुपए था। मेरा निवल लाभ 1,317 करोड़ रुपए रहा। आज मैं पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ एमएसएमई को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में भी अग्रणी हूँ। मैं ग्राहकों की आवश्यकतानुसार खातों की सुविधा प्रदान करता हूँ। छात्रों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों से लेकर हाई नेट वर्क वाले व्यक्तियों तक-हमारे पास सभी के लिए उपयुक्त खाते मौजूद हैं, जैसे कि बेसिक खाता - सहज और सहज प्लस

तथा साथ ही अतिरिक्त सुविधाओं वाले खाते, जैसे - एसबीएच प्लेटिनम। हमारी कॉरपोरेट और एमएसएमई सुविधाएं सभी प्रकार के उद्यमियों और व्यवसायों के लिए विभिन्न विकल्प देती हैं। हमने लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड जैसी नवोन्मेषी सेवा का भी आरंभ किया है।

वित्तीय समावेशन के तहत मेरी उपस्थिति उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 1478 सेवा क्षेत्रों में है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी मैंने उल्लेखनीय कार्य किया है और इस योजना से संबंधित सारी जानकारी जनता तक स्थानीय भाषाओं में पहुंचाने का प्रयास किया है। हिंदी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुंचाने के प्रति भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। मोबाइल बैंकिंग में भी मैंने अपने ग्राहकों को स्टेट बैंक फ्रीडम अप्लीकेशन की सुविधा दी है, जिससे वे कई सामान्य बैंकिंग सेवाएं अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। न सिर्फ एप, बल्कि एसएमएस से भी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मैंने अपने ग्राहकों को एक और अनोखी सुविधा दी है- श्री वेंकटेश्वर मंदिर में सीधे दान देने की। इस दान राशि का उपयोग मंदिर में भक्तों के खान-पान और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए किया जाता है।

मैं अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभा रहा हूँ। मैंने विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के अंतर्गत समाज के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई है। मैंने एसबीएच विद्या योजना के अधीन वर्ष 2014-15 के दौरान बालिका शिक्षा के लिए 131 लाख की राशि प्रदान की है। बालिका स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए 65 लाख रुपए आबंटित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास द्वारा लोगों को आजीविका के नए और नवोन्मेषी अवसर देने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसके लिए मैंने आठ कौशल विकास केंद्र खोले हैं।

मेरे अधिकारियों और कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा का ही फल है कि मैंने देश-विदेश में कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

□ एबीपी द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2015 को “बैंकिंग, वित्तीय

सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई) पुरस्कारों” में “सर्वोत्कृष्ट बैंक (सरकारी क्षेत्र)” पुरस्कार।

- मुंबई में 11 जून 2015 को “इकनामिक वैल्यू-पेपरलेस बोर्ड मीटिंग्स” के लिए स्काॅच भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
- एसबीआई जनरल इन्शुरेंस द्वारा 11 मई 2015 को “सर्वश्रेष्ठ सहयोगी बैंक - जनरल इन्शुरेंस बिजनेस” पुरस्कार।
- एसबीआई कार्ड द्वारा 27 अगस्त 2015 को “सर्वश्रेष्ठ सहयोगी बैंक - क्रेडिट कार्ड बिजनेस” पुरस्कार।
- 3 सितंबर 2015 को स्टेट बैंक समूह में हमारे “एसबीएच टच” के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक स्नेही मोबाइल एप्लिकेशन पुरस्कार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए पोषण (नर्चरिंग) आरएसईटीआई मूवमेंट में द्वितीय सर्वोत्कृष्ट बैंक के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार।
- ग्राहक प्रिय ऑनलाइन शुल्क संग्रहण समाधान की शुरुआत करने के लिए “शिक्षा श्रेणी के अंतर्गत” स्कोच डिजिटल इनक्लुएशन अवार्ड, 2013।

मेरा सूत्र वाक्य है- आधुनिक, नवोन्मेषी, विश्वसनीय। हमारी कार्यप्रणाली के हर अंग में यह दृष्टिगोचर होता है। हम अपने ग्राहकों को आधुनिकतम सुविधाएं देते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद लाना हमारी विशेषता रही है। अपने समर्थ कॉरपोरेट गवर्नेंस के कारण हमने अपने ग्राहकों का विश्वास भी अर्जित किया है। अंत में यही कहकर अपनी कथा को विराम दूंगा कि

**हर पड़ाव पर खुद को और मजबूत पाएगा,
कामयाबी का सूरज तेरी फिजा को रोशन कर जाएगा।**



○○○



धूमता आईना

स्थायी खाता संख्या (पैन) की अनिवार्यता संबंधी नए नियम

कालेधन पर शिकंजा कसने तथा कर दायरा बढ़ाने के मददेनजर आयकर विभाग ने हाल ही में स्थायी खाता संख्या (पैन) दिए जाने की अनिवार्यता संबंधी नियमों में बदलाव किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू हो गए हैं, जो पूर्व नियमों को तर्कसंगत बनाते हैं और करदाताओं को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। अब आभूषणों की खरीद सहित 2 लाख रुपए से अधिक के अन्य सभी लेन-देनों के लिए पैन संख्या देनी अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था नकदी एवं कार्ड दोनों से किए जाने वाले भुगतान पर लागू होगी।

10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद के लिए भी पैन अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, सरकार ने पहले 5 लाख रुपए मूल्य वाली संपत्ति की खरीद के लिए पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था।

बैंक, डाकघर, एनबीएफसी, निधि या को-ऑपरेटिव बैंक



श्री के.सी. मालपानी

प्रबंधक (राजभाषा)

भारतीय रिज़र्व बैंक

में 50 हजार रुपये से अधिक की सावधि जमा कराने तथा एक साल में सभी जमाराशियां मिलाकर 5 लाख रुपए से अधिक होने पर भी पैन संख्या देनी होगी। हालांकि, डाकघर बचत बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा कराने के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है।

सभी तरह के बैंक खाते खोलने के लिए पैन अनिवार्य होगा। हालांकि, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते इसके दायरे से बाहर रहेंगे। दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि बैंक में जमा कराने, दिन में नकद राशि द्वारा 50 हजार रुपये से अधिक राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक बनवाने पर भी पैन संख्या बतानी होगी।

कैश कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए 50,000 रुपए से अधिक का भुगतान तथा जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान 50 हजार रुपये से अधिक होने पर भी पैन संख्या बतानी होगी।

अब होटल में या विदेश यात्रा के लिए 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए पैन संख्या बतानी अनिवार्य होगी अभी तक यह सीमा 25,000 रुपए थी।

डीमैट खाता खोलने तथा असूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए एक लाख रुपए से अधिक के लेनेदेनों के लिए भी पैन संख्या देनी होगी। वैसे अब टेलीफोन या सेलफोन का कनेक्शन लेने के लिए पैन नंबर नहीं देना होगा।

चेक बाउंस संबंधी मामलों से निपटने के नए नियम

अगर आपको मिला कोई चेक बाउंस हो गया है तो अब आपके लिए उसकी शिकायत दर्ज करना आसान होगा। सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स (संशोधन) अधिनियम के बारे

में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कोई भी शिकायतकर्ता चेक बाउंस होने की शिकायत उस शहर की अदालत में कर सकता है जहां उसने चेक जमा कराया है या जिस शहर में वह रहता है। यह अधिनियम शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया। इससे संबंधित अध्यादेश पिछले साल जून में ही जारी किया गया था।

इसके बाद चेक काटने वालों को अब ज्यादा खबरदार रहना होगा क्योंकि अगर उनके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है या उनके दस्तखत खाते में दर्ज दस्तखत से मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें न केवल मुकदमे में फंसना पड़ सकता है बल्कि सुनवाई के लिए बार-बार दूसरे शहर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इस संशोधन के बाद चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान की भी संभावना है क्योंकि शिकायतकर्ता को सुनवाई के लिए हर बार दूसरे शहर में नहीं जाना होगा। एक अनुमान के अनुसार देशभर में चेक बाउंस के करीब 18 लाख मामले लंबित चल रहे हैं।

2005 से पहले के नोट बदलने की अवधि छह महीने और बढ़ी

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पहले के करेंसी नोटों को बदलने की अवधि को छह महीने और बढ़ाकर 30 जून 2016 कर दिया है। हालांकि, 31 दिसंबर 2015 के बाद इन नोटों को सिर्फ बैंकों की चुनिंदा शाखाओं और रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर ही बदला जा सकेगा। पिछले साल जून में रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक का समय दिया था। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि 2005 से पहले के सभी नोट वैध बने रहेंगे। इन्हें प्रचलन से बाहर करने का उद्देश्य जाली नोटों के गोरखधंधे को रोकना है।

रिजर्व बैंक ने बढ़ाई एनएचबी में अपनी अंशधारिता

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की चुकता पूंजी में 1000 करोड़ रुपये का और योगदान कर इसमें अपनी अंशधारिता बढ़ाई है। इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक की एनएचबी में अंशधारिता 450 करोड़ रुपये से बढ़कर 1450 करोड़ रुपये हो गई है। इस कदम का उद्देश्य एनएचबी को अपने

वित्तीय परिचालनों के विस्तार में मदद करना है। एनएचबी की स्थापना 1988 में हुई थी और यह आवास ऋण कंपनियों के लिए विनियामक संस्था है।

स्वर्ण मुद्राकरण योजना (गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम) को ग्राहकों के और अनुकूल बनाया गया

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को ग्राहकों के और अनुकूल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि जमाकर्ता अब मध्यावधि जमाराशियों (5 से 7 साल) के मामले में 3 वर्ष और दीर्घावधि जमाराशियों (12 से 15 साल) के मामले में 5 वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि के बाद मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमाराशियों का समय-पूर्व (प्री-मेच्योर) आहरण कर सकेंगे।

तथापि, समयपूर्व आहरण के लिए कम ब्याज दर के रूप में दंड लगेगा और यह जमाराशि जमा रहने की वास्तविक अवधि पर निर्भर करेगा। इन जमाराशियों पर ब्याज दर का निर्धारण समय-समय पर सरकार करेगी और उसे रिजर्व बैंक अधिसूचित करेगा। रिजर्व बैंक ने ये संशोधन भारत सरकार के परामर्श से किए हैं जिससे इस योजना को अधिक ग्राहकानुकूल बनाया जा सके।

बैंकों को भारतीय स्वर्ण सिक्कों (आईजीसी) के विक्रय की अनुमति

रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्राकरण योजना पर जारी अपने निदेशों में यथानिर्धारित विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंकों को एमएमटीसी द्वारा ढलाई किए गए अशोक चक्र वाले भारतीय स्वर्ण सिक्कों को बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस संबंध में नियम और शर्तें विनिर्दिष्ट बैंकों और एमएमटीसी के बीच हुए करार के अनुसार होंगी। हालांकि, आयातित स्वर्ण सिक्कों की बैंकों द्वारा बिक्री पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा।

एमएमटीसी को केंद्र सरकार ने अशोक चक्र वाले भारतीय स्वर्ण सिक्कों (आईजीसी) का विनिर्माण करने और इनकी घरेलू बाजार में आपूर्ति करने हेतु प्राधिकृत किया है। एमएमटीसी के अनुसार इन सिक्कों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सोना केवल वही सोना होगा जिसे मौजूदा स्वर्ण जमा योजना (जीडीएस) और स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस) के तहत जुटाया गया है।

1 अप्रैल से बढ़ जाएगा आरटीजीएस का शुल्क

इस साल 1 अप्रैल से बैंकों तथा ग्राहकों को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के लिए अधिक शुल्क देना होगा। बैंकों के लिए मासिक शुल्क में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, जबकि ग्राहकों के लिए मामूली बढ़ोतरी की गई है। उनके लिए सिर्फ समय आधारित शुल्क में बदलाव किया गया है, जबकि मूल शुल्क और अधिकतम शुल्क स्थिर रखा गया है।

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2016 से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 5000 रुपये मासिक तथा गैर-अनुसूचित बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों, आरटीजीएस के लिए प्राधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी को 2500 रुपये मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा। पहले सहकारी बैंकों के अलावा सभी बैंकों के लिए यह शुल्क 4000 रुपये तथा सहकारी बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के लिए 2000 रुपये मासिक था।

ग्राहकों के लिए आरटीजीएस से पैसा पाना पहले की तरह निःशुल्क रहेगा जबकि दो लाख से पांच लाख रुपये भेजने के लिए मूल शुल्क 25 रुपये तथा अधिकतम शुल्क 30 रुपये और पांच लाख से ज्यादा भेजने के लिए मूल शुल्क 50 रुपये तथा अधिकतम शुल्क 55 रुपये पर स्थिर रखा गया है। हालांकि, मूल शुल्क के साथ समय के हिसाब से दिये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क में थोड़ा बदलाव किया गया है। सुबह 8 बजे से दिन के 11 बजे तक समय आधारित शुल्क शून्य होगा। दिन के 11 बजे के बाद से 1.00 बजे तक इसके लिए 2 रुपये, 1.00 बजे के बाद से 4.30 बजे तक 5 रुपये तथा 4.30 बजे के बाद 10 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन देना होगा।

लेकिन, किसी भी स्थिति में बैंकों द्वारा ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क अधिकतम शुल्क से अधिक नहीं होगा।

व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की संख्या हुई एक अरब

मोबाइल मैसेजिंग सेवा प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी 'व्हाट्सएप' का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या एक अरब हो गई। उल्लेखनीय है कि व्हाट्सएप का स्वामित्व

फेसबुक के पास है और फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की।

जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 1 अरब हो गई है। ऐसी कुछ ही सेवाएं हैं जो एक अरब लोगों को जोड़ती हैं। यह मील का पत्थर पूरी दुनिया को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप पर हर दिन 42 अरब संदेश, जिसमें 1.6 अरब तस्वीरें और 25 करोड़ वीडियो शामिल हैं, आदान-प्रदान की जाती हैं। जुकरबर्ग ने यह भी लिखा कि फेसबुक से जुड़ने के बाद व्हाट्सएप से जुड़े लोगों का समुदाय दोगुना हो चुका है। हम लोगों को दूरस्थ स्थानों पर रह रहे प्रियजनों से जुड़ने का मौका प्रदान करते हैं।

यह भी बता दें कि यूक्रेन से आकर अमेरिका बस गए जेन कूम और ब्रायन एकटन ने 2009 में व्हाट्सएप शुरू किया था। इसके बाद 2014 में दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 19 अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण कर लिया था।

आयकर विभाग ने करदाताओं को पिन, पासवर्ड साझा न करने के बारे में आगाह किया

आयकर विभाग ने करदाताओं को सावधान करते हुए कहा कि वे अपने ईमेल के पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा न करें क्योंकि आयकर विभाग द्वारा कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाती।

आयकर विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी करदाता इस बारे में जागरूक हों कि विभाग ई-मेल पर करदाता की गोपनीय एवं वित्तीय सूचनाएं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड या इसी तरह की सूचनाएं कभी नहीं मांगता। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे ऐसे किसी मेल का जवाब न दें और अपने क्रेडिट कार्ड, बैंक या अन्य वित्तीय खातों से जुड़ी सूचनाएं कभी किसी को न बताएं। विभाग ने यह भी कहा है कि करदाता ऐसे धोखाधड़ी वाले (फिशिंग) ईमेल की जानकारी incident@cert-in.org.in पर दे सकते हैं, जो भारत सरकार ऐसी

धोखाधड़ियों से निपटने के कार्य से जुड़ी एजेंसी है।

डोरमेंट खाता - कैसे कराएं सक्रिय

यदि आपका बैंक में कोई चालू या बचत बैंक खाता है और यदि इसमें दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के दौरान कोई क्रेडिट या डेबिट लेनदेन नहीं हुआ है तो ऐसा खाता डोरमेंट माना जाता है।

किसी खाते को डोरमेंट तब माना जाता है जब ग्राहक द्वारा इसमें दो वर्ष या अधिक अवधि के दौरान शाखा या एटीएम (ATM) के माध्यम से नकद राशि की निकासी; चेक द्वारा भुगतान; इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से धन का अंतरण नहीं किया गया हो और न ही कोई राशि जमा कराई गई हो।

सिस्टम द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों जैसे कि बैंक द्वारा खाते में ब्याज की रकम को जमा किया जाना ग्राहक द्वारा किया गया लेनदेन नहीं माना जाता है। तथापि, यदि बचत खाते में शेयरों पर लाभांश या आपकी सावधि जमा (एफडी) का ब्याज जमा हो रहा है तो इसे ग्राहक की ओर से किया गया लेनदेन माना जाएगा और जब तक ऐसा लाभांश या सावधि जमा की आय खाते में जमा होती रहती है तब तक खाते को डोरमेंट नहीं माना जा सकता।

एक बार खाता डोरमेंट हो जाने के बाद आप खाते से एटीएम, इंटरनेट तथा फोन बैंकिंग के द्वारा कोई लेनदेन, नकदी जमा/आहरण नहीं कर पाएंगे और न ही डेबिट कार्ड और चेक बुक के लिए अनुरोध कर सकेंगे।

डोरमेंट खाते को सक्रिय कराने के लिए आपको शाखा प्रबंधक को पहचान प्रमाण के साथ एक लिखित आवेदन देना होगा। खाते को सक्रिय कराने के लिए खातेदार को खाते में कुछ रकम भी जमा करानी होगी। ग्राहक की पहचान, हस्ताक्षर आदि के सत्यापन के बाद खाते को पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।

चूंकि बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने से पहले ग्राहक के क्रेडेंशियल्स सत्यापित करने में समुचित सावधानी बरतें, अतः यह वांछनीय होगा कि खातेदार

अपनी पहचान और पते के प्रमाण के साथ बैंक की किसी नजदीकी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर इन औपचारिकताओं को पूरा करे। यदि किसी डोरमेंट खाते के लिए पूर्व में केवाईसी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है/होना बाकी है, तो खातेदार को इसे दुबारा सक्रिय कराने के निवेदन के साथ केवाईसी दस्तावेज़ जैसे फोटो, पैन, पते और पहचान के प्रमाण भी जमा करने होंगे। डोरमेंट खाते को सक्रिय करने के लिए बैंक कोई शुल्क/प्रभार आदि वसूल नहीं करते।

खातेदारों को चाहिए कि वे अपने खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए खाते में साल में कम-से-कम एक बार ऑफ-लाइन या ऑन-लाइन डेबिट या क्रेडिट लेनदेन करते रहें।

राजन विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) के कार्यबल में

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) के उस कार्यबल में शामिल किए गए हैं, जिसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के भविष्य के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फोरम ने एक बयान के अनुसार उच्च स्तरीय कार्यबल का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली के भविष्य का अध्ययन करना है। यह वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान, विश्लेषण और इस संदर्भ में सिफारिशें देने का काम भी करेगा।

कार्यबल के सदस्यों में रघुराम राजन के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक मिन जू तथा चीन विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो लीयू मिंगकांग को शामिल किया गया है। निजी बैंकों तथा संस्थानों से सिटीग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल कॉर्बेट, ब्लैकरॉक के चेयरमैन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लॉरेंस फिंक, एचएसबीसी के चेयरमैन डग्लस फ्लिंट तथा बैंक ऑफ अमरीका के चेयरमैन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रयन मोयनियान को भी इस कार्यबल में शामिल किया गया है।


○○○

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001
फोन : 022 - 22604002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम हिंदी पुस्तक

‘अनुवाद के विविध आयाम’

मूल्य : 165/- रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त)

पुस्तक मिलने का पता-
निदेशक

रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन

फोर्ट, मुंबई - 400 001

फोन : 022 - 22604002

ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती सुषमा फडणीस का सहयोग प्राप्त हुआ।

साहूकार



बैंक



बैंक से अगर लिया है कर्ज, कम है ब्याज,
और हिसाब है जायज

